सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002- 2007)

जनपद लखीमपुर-खीरी

अध्याय–1

जनपद की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

जनपद लखीमपुर–खीरी:–

उत्तरी 27.41 अक्षांश व 28.42 अक्षांश तथा 80.20 व 81.19 पूर्वी देशान्तरों के मध्य हिमालय की तराई में स्थित है। जनपद के उत्तर में नेपाल देश पश्चिम में जनपद शाहजहांपुर ,पीलीभीत,पूरब में जनपद बहराईच तथा दक्षिण में जनपद हरदोई व सीतापुर स्थित हैं। जिले का क्षेत्रफल 7680 वर्गकिमी० है। जनपद की 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2413463 है। जिसका 90.4 प्रतिशत भाग गांवों में रहता हैं।

जनपद में छ तहसीलें एवं 15 विकास खण्ड व 156 न्याय पंचायतें एवं 993 ग्राम पंचायतों में 3352 ग्राम आबाद हैं । जिलें में कुल चार नगर पालिकायें तथा 6 टाउन एरिया ,दो संसदीय क्षेत्र तथा 7 विधान सभा क्षेत्र हैं ।अतीत में यह जनपद खैर/कत्था का विशाल जंगल था । और आज भी यहां खैर काफी मात्रा में हैं ,इसीलिये यह जनपद खैर,खैरी फिर खीरी के नाम से विख्यात हुआ । खैरीगढ़ स्टेट के अवशेष प्रमाणिकता के प्रतीक हैं जिले का प्रमुख तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ ,रामायण युग की याद दिलाता है । उल्लेखनीय है कि गोला गोकर्णनाथ में रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग आज भी विद्यमान है। यह उत्तर भारत के महत्वपूर्ण तीर्थो में से एक है, तथा छोटी काशी के नाम से विख्यात है।

भौगोलिक विशेषतायें :–

जिले का 1471 वर्ग किमी० क्षेत्र कीमती वनों से आच्छादित है, जिसमें कीमती साल,सागौन आदि के वृक्ष तथा दुर्लभ वन्य प्राणी पाये जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बारहसिंघा ,चीता हाथी जंगली सुअर ,हिरन,टाईगर सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र हैं । जिलें में 574260 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है,यहां की मुख्य फसलों में गेहूं ,गन्ना,धान ,मक्का ,हल्दी,मिर्च,शकरकन्दी व मूंगफली की विशेष पैदावार मानी जाती है। यहां की प्रमुख नदिया शारदा, घाघरा, गोमती, उल्ल, चौका, कौड़ियाला, सरायन, कठिना व मोहाना नदीं हैं। मोहाना नदी सन् 1899 ई० में नेपाल व ब्रिटिश भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा स्वीकार की गयी थी। इन नदियों के जलप्लावन के कारण यहां जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है ।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति:–

जनपद का उत्तरी भाग बाढ़ से लगभग चार माह तक प्रतिवर्ष प्रभावित रहता है।इस भाग की मुख्य उपज गन्ना है । यहां पर सम्पन्नता एवं विपन्नता का मेल हैं । जनपद के विकास क्षेत्र पलिया ,निघासन में थारू जनजाति के लोग रहते हैं ,जिनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। जो अधिकतर अशिक्षित है,इनकी शिक्षा हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित कर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

आन्तरिक सुविधायें:-

जनपद मीटर गेज रेल सेवा तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है । स्थानीय आवागमन के लिये रिक्शा सुलभ साधन उपलब्ध है। दूरसंचार की व्यवस्था का समावेश हो चुका हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था :-

जनपद का मुख्यालय लखीमपुर शहर में हैं अतः प्रशासनिक कार्यालय एवं न्यायालय मुख्यालय पर स्थित हैं । जनपद की प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय,तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास कार्यों के संचालन हेतु खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों के कुशल संचालन के लिये जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा परियोजना समिति है,जिसके उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।

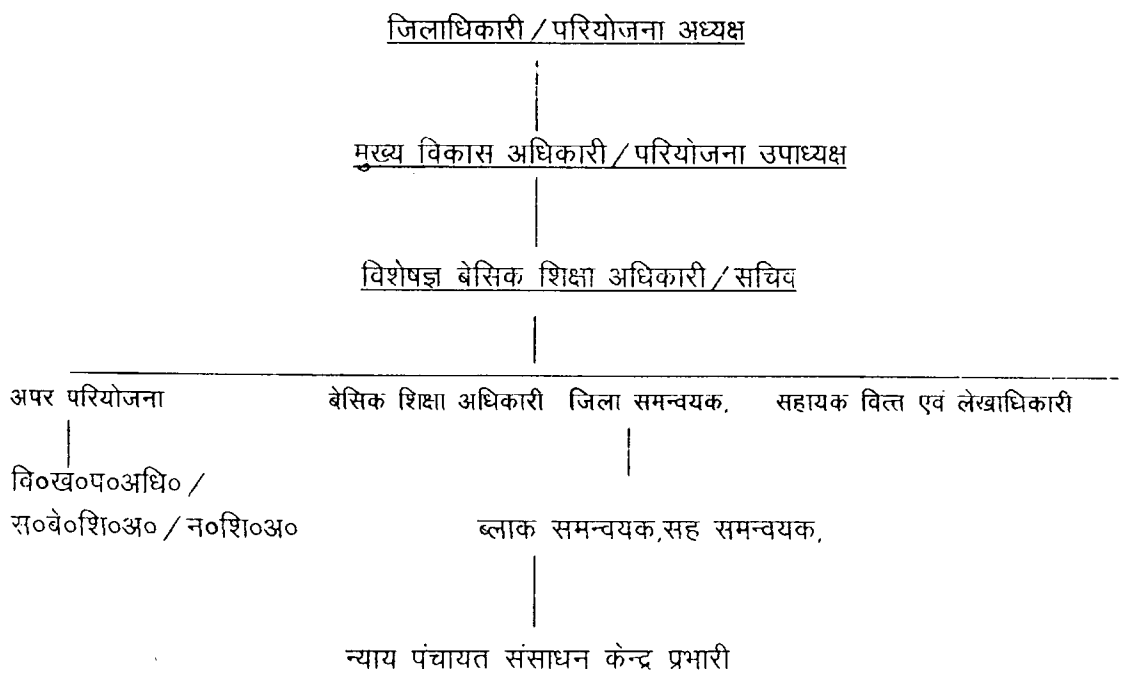

प्रशासकीय संभाग

सारणी– 1-1

संभाग	संख्या
तहसील	06
विकास खण्ड	15
न्याय पंचायत	156
ग्राम पंचायत	995
बस्तियों की संख्या	3352
नगर पालिका परिषद	04
नगर पंचायत	06
वार्ड संख्या	151

जनसंख्या सम्बन्धी विशेषतायेः–

वर्ष 2000-2001 की जनगणना के अनुसार इस जनपद की कुल जनसंख्या 298118 जिसमें 1613755 पुरूष एवं 1367363 महिलायें है। उपरोक्त में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 832131 है। जिसमें 471449 पुरूष 360682 महिलायें हैं। अनुसूचित जाति की आबादी 27.9प्रतिशत तथा जनजाति की आबादी 2.0 प्रतिशत है, जो विकास खण्ड पलिया एवं निधासन में मुख्य रूप से पायी जाती है। जनपद की साक्षरता दर 49-93 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 35.89 प्रतिशत है।

सारणी –1.2

विकास खण्डवार /नगर क्षेत्रवार जनसंख्या

क०सं०	नाम	1991 की जनसंख्या						2001 की जनसंख्या					
		कुल जनसंख्या			अनु०जाति			कुल जनसंख्या			अनु०जाति		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	कुम्मी	78581	66133	144714	22309	18878	41187	95868	80682	176550	72216	23031	95247
2	बांकेगंज	74591	63235	137826	30248	25650	55898	91001	77146	168147	36902	31293	68195
3	बिजुआ	76295	64812	141107	27493	24084	51577	93079	79070	172149	33541	29382	62923
4	ईसानगर	76756	63056	139812	18592	15359	33951	93642	76928	170570	22682	18337	41019
5	धौरहरा	52463	43820	96283	14957	12553	27510	64004	53460	117464	18247	15314	33561
6	रमियाबेहड़	77194	63616	140810	19119	16039	35158	97234	85792	183026	19764	16689	36453
7	निघासन	98946	84486	183432	20599	17853	38452	120714	103072	223786	25130	21780	46910
8	पलिया	73019	63594	136613	14980	12942	27922	89083	77584	166667	18275	15789	34064
9	पसगवां	90973	73560	164533	24905	19846	44751	110987	89774	200761	30382	24212	54594
10	मितौली	84770	71256	156026	29218	24777	53995	103419	86932	190351	35645	30227	65872
11	मोहम्मदी	80526	66304	146830	27452	22060	49512	98241	80890	179131	33491	26913	60404
12	नकहा	64871	53832	118703	17734	15132	32866	84806	74051	158857	21635	18461	40096
13	फूलबेहड़	75247	64263	139510	20598	17880	38478	91801	78400	170201	25129	21813	46942
14	बेहजम	68304	57390	125694	22695	19637	42332	83330	70015	153345	27687	23957	51644
15	लखीमपुर	100384	85408	185792	27825	24197	52022	122468	104197	226665	33946	29520	63466
वन क्षेत्र का नाम		2090	1484	3574	563	503	1066	2550	1810	6360	488	351	839
	कुल योग	102474	86892	189366	28388	24700	53088	1444777	1221613	2666390	455160	347069	802229
	नगरीय	138507	119468	257975	13352	11159	24566	168978	145750	314728	16289	13613	29902
	महायोग	**240981**	**206360**	**447341**	**41740**	**35859**	**77654**	**1613755**	**1367363**	**2981118**	**471449**	**360682**	**832131**

स्रोतः–वर्ष1991 की जनगणना के आधार पर।

वर्ष 2001 की जनगणना सम्बन्धी आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। जिससे 1991 की जनगणना को 2.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की दर से प्रक्षेपित कर आकलन किया गया है।

अध्याय–2

जनपद की शैक्षिक रूपरेखा

जनपद में सितम्बर 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम डी०पी०ई०पी०।। परियोजना संचालित है, जिसमें शिक्षा की पहुंच का विस्तार,ठहराव,गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता के विकास के विशिष्ट उद्देश्य हैं, जिसका लाभ जिले में शैक्षिक प्रगति में तीव्रता लाने में मिल रहा है।इस परियोजना में सभी वर्गों का नामांकन ,ठहराव एवं गुणवत्ता में समुचित वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है । इस कार्य में तीव्र गति लाने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान का शुभारम्भ इस जिले में किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा कार्यकम प्रारम्भ होने से पूर्व इस जनपद की साक्षरता 1991 की दर कुल 29.78 प्रतिशत थीजिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता दर केवल 12.5 प्रतिशत थी। जनपद में इससे पूर्व साक्षरता दर अत्यंत न्यून थी, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के सचालन से वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 49.93 प्रतिशत हो गयी है,साथ ही महिलाओं की साक्षरता दर 12.5 से बढ़कर 35.8 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार कुल साक्षरता में 1991 की तुलना में 20.15 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से महिला साक्षरता में 23.3 % की वृद्धि हुयी है।

शैक्षिक परिदृश्य

साक्षरता दर

सारणी सं०– 2.1

जनपद की साक्षरता दर (जनगणना 2001)	प्रतिशत
कुल साक्षरता	49.93
ग्रामीण साक्षरता	30.7
नगरीय साक्षरता	72.4
कुल पुरूष साक्षरता	62.1
कुल महिला साक्षरता	35.8

स्रोतः–जनपद की सांख्यिकी पत्रिका के आधार पर।

जनपद प्रदेशीय मुख्यालय से 135 किमी० दूरी पर स्थित एक पिछड़ा गांजरी क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जनपद की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों में साक्षरता एवं शिक्षा कियान्वयन के क्षेत्र में तीव्र गति नहीं हो पायी थी,परन्तु वर्ष 1995 से साक्षरता अभियान को जनपद का एकमात्र अभियान मानते हुये एकसूत्रीय कार्यकम साक्षरता एवं शिक्षा विकास के क्षेत्र में चलाये गये। परिणामस्वरूप उपर्युक्त सारणी अनुसार साक्षरता दर में सन्तोषजनक वृद्धि हुयी है। साक्षरता दर की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास क्षेत्र मितौली की साक्षरता दर सबसे अधिक 46.3% है एवं विकास क्षेत्र धौरहरा की साक्षरता दर सबसे कम 20.5% है। विकास क्षेत्र मितौली में महिला साक्षरता दर 24.8% है।वहीं विकास क्षेत्र धौरहरा में महिला साक्षरता दर 12.5% है। शैक्षिक दृष्टि से विकास क्षेत्र धौरहरा ,रमियाबेहड़,निघासन एवं बिजुआ तथा ईसानगर के लिये विशेष क्षेत्रीय उपादानों की आवश्यकता है। नगरीय क्षेत्र की कुल साक्षरता 72.4% है जिसमें महिलाओं

की साक्षरता 61.4% है।

विकास खण्डवार साक्षरता

क०सं०	विकास खण्ड का नाम	साक्षरता दर		
		पुरूष	महिला	योग
1	कुम्भी	61.2	21.1	41.2
2	बांकेगंज	54.0	17.3	35.7
3	बिजुआ	39.6	12.8	26.2
4	ईसानगर	37.9	10.1	24.0
5	धौरहरा	32.3	8.7	20.5
6	रमियाबेहड़	32.6	9.2	20.9
7	निघासन	31.8	11.0	21.4
8	पलिया	45.4	17.6	31.5
9	पसगवां	60.8	22.7	41.8
10	मितौली	67.7	24.8	46.3
11	मोहम्मदी	51.2	12.5	31.9
12	नकहा	40.1	10.5	25.3
13	फूलबेहड़	42.6	12.8	27.7
14	बेहजम	64.6	22.6	43.6
15	लखीमपुर	64.7	21.8	43.3
	नगर क्षेत्र	83.3	61.4	72.4
	जनपद–लखीमपुर	62.1	35.8	49.0

स्रोतः– जिला सांख्यकीय पत्रिका 1991 के आधार पर।

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये वयवर्ग 6-11 तथा 11-14 वर्ष की आयु के बच्चों का विकास खण्डवार विवरण निम्नांकित है:-

सारणी-2.3

बालगणना 2002.03 वयवर्ग 6 से 11

क्र0स0	विकास क्षेत्र	बालगणना			स्कूल जाने वाले			स्कूल न जाने वाले		
		बालक	बालका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुम्भी	18994	15925	34919	18828	15426	34254	166	499	665
2	बांकेगंज	14256	12362	26618	14142	11996	26138	114	366	480
3	बिजुआ	14526	12457	26983	14103	11986	26089	423	471	894
4	ईसानगर	15994	12751	28745	15496	12014	27510	498	737	1235
5	धौरहरा	13610	10201	23811	13265	9682	22947	345	519	864
6	रमियाबेहड़	16198	12591	28789	15659	12587	28246	539	4	543
7	निघासन	23083	20261	43344	22870	19423	42293	213	838	1051
8	पलिया	14506	10600	25106	14204	9856	24060	302	744	1046
9	पसगवां	19123	16706	35829	18824	16128	34952	299	578	877
10	मितौली	19102	16547	35649	18924	13732	32656	178	2815	2993
11	मोहम्मदी	18696	15543	34239	18547	13645	32192	149	1898	2047
12	नकहा	14988	12221	27209	14682	11867	26549	306	354	660
13	फूलबेहड़	19720	15247	34967	19278	14801	34079	442	446	888
14	बेहजम	15444	13827	29271	15241	9977	25218	203	3850	4053
15	लखीमपुर	26398	22864	49262	26111	22536	48647	287	328	615
	नगर क्षेत्र	14741	13446	28187	14632	13132	27764	109	314	423
	कुल योग	279379	233549	512928	274806	218788	493594	4573	14761	19334

स्रोतः- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों /प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों द्वारा कराई गयी बालगणना के आधार पर ।

बालगणना वर्ष **2001** वयवर्ग **11-14**

सारणी–.2.3

क0सं0	विकास	कुल बालगणना			स्कूल जाने वाले			स्कूल न जाने वाले		
	क्षेत्र	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुम्भी	7266	5519	12785	6189	4904	11093	1077	615	1692
2	बांकेगंज	7238	5743	12981	5595	4019	9614	1643	1724	3367
3	बिजुआ	9870	6848	16718	7956	5369	13325	1914	1479	3393
4	ईसानगर	6464	5010	11474	5124	3568	8692	1340	1442	2782
5	धौरहरा	6633	4650	11283	3880	2836	6716	2753	1814	4567
6	रमियाबेहड़	7479	5344	12823	6188	4041	10229	1291	1303	2594
7	निघासन	10174	8501	18675	8556	7023	15579	1618	1478	3096
8	पलिया	6743	5391	12134	5446	4160	9606	1297	1231	2528
9	पसगवां	8825	6456	15281	7580	4615	12195	1245	1841	3086
10	मितौली	8352	5827	14179	7395	4933	12328	957	894	1851
11	मोहम्मदी	6758	4530	11288	6316	3383	9699	442	1147	1589
12	नकहा	6454	4601	11055	5030	3495	8525	1424	1106	2530
13	फूलबेहड़	6846	4706	11552	6420	4087	10507	426	619	1045
14	बेहजम	7083	5755	12838	6694	3887	10581	389	1868	2257
15	लखीमपुर	10131	7843	17974	8117	6951	15068	2014	892	2906
	नगर क्षेत्र	7263	6239	13502	6380	5847	12227	883	392	1275
		123579	**92963**	**216542**	**102866**	**73118**	**175984**	**20713**	**19845**	**40558**

स्रोत:– सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों /प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों द्वारा स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत अध्यापकों द्वारा कराई गयी बालगणना के आधार पर !

जनपद वर्ष 2003.2004 में कुल 2002 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय तथा 455 परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं इ अतिरिक्त मान्यता प्राप्त विद्यालय भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। जनपद में पठन पाठन हेतु निम्नलिखित विरण के विद्यालय संचालित हैं।

शैक्षिक संस्थाएं

सारण

क्र0सं0		परिषदीय/शासकीय			मान्यता प्राप्त			कुल			गैर मान्यता प्राप्त	
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय
1	प्राथमिक विद्यालय	1972	30	2002	160	108	268	2132	138	2270	465	101
2	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग	0	1	1	0	3	3	0	4	4	0	0
3	उच्च प्राथमिक विद्यालय	448	7	455	75	41	116	523	48	571	56	35
4	माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक अनुभाग	2	4	6	46	20	66	48	24	72	0	0
5	केन्द्रीय विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	नवोदय विद्यालय	1	0	1	0	0		1	0	1	0	0
7	हाईस्कूल	2	2	4	37	5	42	39	7	46	6	2
8	इण्टरमीडिएट	0	2	2	16	20	36	16	22	38	0	0
9	डिग्री कालेज	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2
10	स्नातकोत्तर महाविद्यालय	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0
11	विश्वविद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12	तकनीकी सुंस्थान जैसे आईटीआई/पालीटेक्निक	1	2	3	0	0	0	1	2	3	0	0
13	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थायें	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	5
14	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मकतब/मदरसे	0	0	0	2	4	6	2	4	6	10	20
16	संस्कृत पाठशालायें	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0
17	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थायें	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	बाल श्रमिक विद्यालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

स्रोतः- विभागीय आंकड़े।

शिक्षकों की उपलब्धता परिषदीय विद्यालय

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 1.7.2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय पाथमिक विद्यालय	4933	3228	1705	2135
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1477	1012	458	..

स्रोतः- विभागीय आंकड़े।

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3228 अध्यापक एवं 1615 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। वर्ष 2003.2004 में कुल 520 शिक्षा मित्र और स्वीकृत किये गये हैं। प्राथमिक स्तर में कुल 386120 छात्र अध्ययनरत हैं एवं अध्यापक छात्र अनुपात 119:1 है।शिक्षा मित्रों की संख्याको सम्मिलित करते हुये अध्यापक छात्र अनुपात 80:1 है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल 1012 अध्यापक कार्यरत हैं एवं 50974 छात्र अध्ययनरत हैं। जिससे छात्र अनुपात 50:1 है साथ ही वर्तमान समय में लगभग प्रति विद्यालय तीन अध्यापक की दर से ही अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद में कुल 1884 प्राथमिक विद्यालय एवं 379 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इस प्रकार उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 1:5 का अनुपात हैं।

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार असेवित ग्रामों की संख्या ;प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयद्ध कुल बस्तियों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक

परिषदीय विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी- 2.6

	एक किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	एक किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध
ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	1668	724	.
ऐसे ग्रामो/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	467	437	150

स्रोतः- विभागीय आंकड़े

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी-2.7

	तीन किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उ0प्रा0वि0 उपलब्ध	तीन किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय मान्यता प्राप्त उ0प्रा0वि0 उपलब्ध	मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता
ऐसे ग्रामों /बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800से अधिक है।	1420	0	0
ऐसे ग्रामो/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम है।	1852	50	40

स्रोतः- विभागीय आंकड़े

मानक के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की आवश्यकता शून्य है जिन 800 से कम आबादी वाले ग्रामों की संख्या तीन किमी0 से अधिक दूरी में अंकित की गयी है उसमें ए0आई0 ई0 उच्च प्राथमिक स्तर का केन्द्र खोलकर संतृप्त किया जायेगा।

विद्यालयों में भौतिक सुविधायें

(परिषदीय विद्यालय-1.7.2003 की स्थिति)

प्राथमिक स्तर

सारणी 2.9।

क्र0सं0	विवरण	ग्रामीण	नगर	योग
1	प्रा0वि0 भवन	1854	30	1884
2	एक कक्षीय वि0सं0	60	5	65
3	दो कक्षीय वि0सं0	1003	12	1015
4	तीन कक्षीय	629	8	637
5	चार कक्षीय	37	..	37
6	पाचं कक्षीय	..	..	..
7	पांच से अधिक	...	..	..
8	भवनहीन/जर्जर	120	05	125

स्रोतः- ई0एम0आई0एस0

मरम्मत योग्य विद्यालय

लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत
240	81

स्रोतः- ई0एम0आई0एस0

शौचालय

कुल प्रा0वि0	शौचालय युक्त	आवश्यकता
1884	1735	149

स्रोतः- विभागीय आंकड़ें।

हैण्डपम्प

हैण्डपम्पयुक्त	हैण्डपम्प विहीन	आवश्यकता
1823	61	61

स्रोतः- विभागीय आंकडें

उच्च प्राथमिक स्तर

(परिषदीय विद्यालय-1.7.2003 की स्थिति)

सारणी 2.9

कुल संख्या	भवनयुक्त	भवनहीन	जर्जर
379	376	..	03

स्रोतः- विभागीय आंकडें

कक्षा कक्ष

एककक्षीय	दोकक्षीय	तीनकक्षीय	चारकक्षीय	पांचकक्षीय	पाच से अधिक
0	0	0	286	93	..

स्रोतः- विभागीय आंकडें

मरम्मत योग्य विद्यालय

लघु मरम्मत	वृहत मरम्मत
57	21

स्रोतः- विभागीय आंकडें

शौचालय

शौचालययुक्त	शौचालय विहीन	आवश्यकता
329	50	50

स्रोतः- विभागीय आंकडें

हैण्डपम्प

हैण्डपम्पयुक्त	हैण्डपम्प विहीन	आवश्यकता
379	..	..

स्रोतः- विभागीय आंकडें

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी

क्र0 सं0	आइटम का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	डी0पी0ई0पी अथवा अन्य योजनाओं से	मांग	कमी	अन्य योजनाओं से	मांग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नवीन विद्यालय	0	0	0	0	0	0
2	विद्यालय पुनर्निर्माण	125	0	125	3	0	3
3	अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रतिप्रा0वि0 3 कक्ष एवं पू0मा0 प्रति 4कक्ष	1668	0	1668	92	0	92
4	पेयजल सुविधा	61	0	61	0	0	0
5	शौचालय	149	0	149	50	0	50
6	चहारदीवारी	0	0	0	0	0	0
7	लघु मरम्मत		0			0	
8	वृहत मरम्मत		0			0	

स्रोतः- विभागीय आंकड़े

आकलन

	प्राथमिकविद्यालय			पूर्व माध्यमिक विद्यालय		
कक्षों की संख्या	कुल विद्यालय	कुल कक्ष	तीन कक्षों हेतु आवश्यकता	कुल विद्यालय	कुल कक्ष	चार कक्षों हेतु आवश्यकता
एक कक्षीय	65	65	130	0	0	0
दो कक्षीय	1015	2030	1015	0	0	0
तीन कक्षीय	642	1926	0	0	0	0
चार कक्षीय	37	148	0	283	1132	0
पांच कक्षीय	0	0	0	93	465	0
भवहीन जर्जर	125	250	125	03	12	0
वर्ष 2.3,3.4 में निर्मित विद्यालय	118	236	118	92	276	92
कुल योग	2002	4655	1388	471	1885	92

स्रोतः- विभागीय आंकड़े

प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिविद्यालय तीन कक्ष की दर से आकलन किया गया है। जिन विद्यालयों चार कक्ष निर्मित है उनकी संख्या को सम्मिलित नही किया गया है। एक कक्षीय भवनों में दो कक्ष ,

कक्षीय भवनों में एक कक्ष तथा भवनहीन जर्जर 125 विद्यालयों हेतु एक कक्ष तथा नवनिर्मित होने वाले विद्यालयों में एक एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष की दर से आकलन तैयार किया गया है इस प्रकार कुल 1388 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मात्र नवनिनिर्मित होने वाले 92 विद्यालयों हेतु एक एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का प्रस्ताव किया गया है जिसमें तीन शिक्षण कक्ष की निर्मित होंगे। शेष मांग तालिका से स्पष्ट है।

नामांकन प्राथमिक 6-11 वर्ष 2002-2003 सारणी– 2.7

सारणी–2.11

क्र०सं०	विकास	बालगणना			नामांकन											
	क्षेत्र	6 --11			परिषदीय			मान्ययत्रप्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			कुल छात्रसंख्या		
		बालक	बालका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुम्भी	18994	15925	34919	13752	13041	26793	2855	1620	4475	2221	765	2986	18828	15426	34254
2	बांकेगंज	14256	12362	26618	13615	11219	24834	342	621	963	185	156	341	14142	11996	26138
3	बिजुआ	14526	12457	26983	12152	10917	23069	1442	763	2205	509	306	3327	14103	11986	26089
4	ईसानगर	15994	12751	28745	12291	9856	22147	1729	1232	2961	1476	926	2402	15496	12014	27510
5	धौरहरा	13610	10201	23811	12207	8931	21138	826	566	1392	232	185	417	13265	9682	22947
6	रमियाबेहड	16198	12591	28789	13595	11699	25294	1408	546	1954	656	342	2819	15659	12587	28246
7	निघासन	23083	20261	43344	12719	9782	22501	4579	4784	9363	5572	4857	10429	22870	19423	42293
8	पलिया	14506	10600	25106	9612	8674	18286	3067	624	3691	1525	558	2083	14204	9856	24060
9	पसगवां	19123	16706	35829	16037	13833	29870	1245	1310	2555	1542	985	12512	18824	16128	34952
10	मितौली	19102	16547	35649	16805	13176	29981	1124	103	1227	995	453	1448	18924	13732	32656
11	मोहम्मदी	18696	15543	34239	17562	9057	26619	724	3251	3975	261	1337	1598	18547	13645	32192
12	नकहा	14988	12221	27209	11426	10071	21497	2146	1024	3170	1110	772	3046	14682	11867	26549
13	फूलबेहड	19720	15247	34967	14145	12226	26371	2668	849	3517	2465	1726	4191	19278	14801	34079
14	बेहजम	15444	13827	29271	12701	7281	19982	2014	1832	3846	526	864	1390	15241	9977	25218
15	लखीमपुर	26398	22864	49262	19206	19088	38294	4423	1890	6313	2482	1558	5581	26111	22536	48647
	नगर क्षेत्र	14741	13446	28187	2585	2127	4712	9638	8424	18062	2409	2581	4990	14632	13132	27764
	कुल योग	**279379**	**233549**	**512928**	**210410**	**170978**	**381388**	**40230**	**29439**	**69669**	**24166**	**18371**	**59560**	**274806**	**218788**	**493594**

नामांकन उच्च प्राथमिक 11-14 वर्ष 2002-03 सारणी– 2.7

सारणी–2.12

क०सं०	विकास	बालगणना			नामांकन											
	क्षेत्र	11--14			परिषदीय			मान्यतप्राप्त			गैर मान्यता प्राप्त			कुल छात्रसंख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुम्भी	7266	5519	12785	2306	1595	3901	2462	2354	4816	1421	955	2376	6189	4904	11093
2	बांकेगंज	7238	5743	12981	2277	1370	3647	3104	2546	5650	214	103	317	5596	4019	9614
3	बिजुआ	9870	6848	16718	1523	693	2216	1808	1462	3270	4625	3214	2693	7956	5369	13325
4	ईसानगर	6464	5010	11474	1526	680	2206	953	725	1678	2645	2163	4808	5124	3568	8692
5	धौरहरा	6633	4650	11283	861	288	1149	865	652	1517	2154	1896	4050	3880	2836	6716
6	रमियाबेहड़	7479	5344	12823	912	906	1818	3035	1946	4981	2241	1189	3430	6188	4041	10229
7	निघासन	10174	8501	18675	748	416	1164	3246	2711	5957	4562	3896	8458	8556	7023	15579
8	पलिया	6743	5391	12134	694	416	1110	765	778	1543	3987	2966	6953	5446	4160	9606
9	पसगवां	8825	6456	15281	3009	1608	4617	856	751	1607	3715	2256	15411	7580	4615	12195
10	मितौली	8352	5827	14179	2926	1956	4882	2817	2531	5348	1652	446	2098	7395	4933	12328
11	मोहम्मदी	6758	4530	11288	3862	865	4727	830	1956	2786	1624	562	2186	6316	3383	9699
12	नकहा	6454	4601	11055	1870	831	2701	1836	1423	3259	1324	1241	4284	5030	3495	8525
13	फूलबेहड़	6846	4706	11552	2691	1389	4080	3465	2564	6029	264	134	398	6420	4087	10507
14	बेहजम	7083	5755	12838	2875	1299	4174	2954	1832	4786	865	756	1621	6694	3887	10581
15	लखीमपुर	10131	7843	17974	3537	3592	7129	4012	3014	7026	568	345	2019	8117	6951	15068
	नगर क्षेत्र	7263	6239	13502	347	283	630	4632	466	5098	1401	201	3640	6380	5847	12227
		123579	92963	216542	31964	18187	50151	37640	27711	65351	33262	22323	64742	102866	73118	175984

स्रोतः– विभागीय आंकडे

छात्र नामांकन 6-11 वयवर्ग वर्ष 2002-03

सारणी–2.14

क०सं०	विकास क्षेत्र	नामांकन			अनुसूचित जाति		
		परिषदीय					
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुग्गी	13752	13041	26793	4374	3195	7569
2	बांकेगंज	13615	11219	24834	5611	5324	10935
3	बिजुआ	12152	10917	23069	4481	3930	8411
4	ईसानगर	12291	9856	22147	5270	10246	15516
5	धौरहरा	12207	8931	21138	8449	7090	15539
6	रमियाबेहड़	13595	11699	25294	6337	5553	11890
7	निघासन	12719	9782	22501	5257	4880	10137
8	पलिया	9612	8674	18286	7200	6565	13765
9	पसगवां	16037	13833	29870	11193	7070	18263
10	मितौली	16805	13176	29981	5629	5277	10906
11	मोहम्मदी	17562	9057	26619	4835	3624	8459
12	नकहा	11426	10071	21497	5620	4112	9732
13	फूलबेहड़	14145	12226	26371	2703	2314	5017
14	बेहजम	12701	7281	19982	6758	6603	13361
15	लखीमपुर	19206	19088	38294	5792	4609	10401
	नगर क्षेत्र	2585	2127	4712	526	425	951
	योग	210410	170978	381388	90035	80817	170852

छात्र नामांकन 11-14 वयवर्ग वर्ष 2002-03

सारणी–2.13

क०सं०	विकास	नामांकन			अनुसूचित जाति		
	क्षेत्र	परिषदीय					
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुम्भी	2306	1595	3901	623	431	1053
2	बांकेगंज	2277	1370	3647	615	370	985
3	बिजुआ	1523	893	2216	411	187	598
4	ईसानगर	1526	680	2206	412	184	596
5	धौरहरा	861	288	1149	232	78	310
6	रमियाबेहड़	912	906	1818	246	245	491
7	निघासन	748	416	1164	202	112	314
8	पलिया	694	416	1110	187	112	300
9	पसगवां	3009	1608	4617	812	434	1247
10	मितौली	2926	1956	4882	790	528	1318
11	मोहम्मदी	3862	865	4727	1043	234	1276
12	नकहा	1870	831	2701	505	224	729
13	फूलबेहड़	2691	1389	4080	727	375	1102
14	बेहजम	2875	1299	4174	776	351	1127
15	लखीमपुर	3537	3592	7129	955	970	1925
	योग	347	283	630	94	76	97220
	नगर क्षेत्र	31964	18187	50151	8630	4910	13541

स्रोत:– विभागीय आंकडे

जनपद के प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें एवं महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स

लखीमपुर खीरी

जनपद लखीमपुर डी०पी०ई०पी०–।। से आच्छादित हैं तथा कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० इकाई वर्ष 1997 से कार्य कर रहा हैं जिसके द्वारा वार्षिक सांख्यकी नियमित रूप से तैयार की जा रही हैं।शैक्षिक सांख्यकीय का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना व निर्माण में किया गया हैं।ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थित निम्नवत् हैं:–

ई०एम०आई०एस० से प्राप्त आंकड़ों की स्थिति:–

कक्षा	98-99	99-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	96807	106556	115157	108256	106493
2	90130	98378	107676	100773	81803
3	66763	72873	82355	75520	75111
4	46734	51010	51032	46131	66046
5	33384	36436	37839	33893	51935
योग	333818	365253	394059	364573	381388

स्रोत:–विभागीय आंकड़े

जी०ई०आर०

कुल	97.59	104.59	108.46
बालिका	94.21	99.05	104.06

स्रोत:–विभागीय आंकड़े

एन०ई०आर०

कुल	76.28	94.30	99.56
बालिका	72.01	89.30	95.91

स्रोत:–विभागीय आंकड़े

जनपद के नामाकंन में 9 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि हुयी है। जी०ई०आर० एवं एन०ई०आर० में पर्याप्त वृद्धि हुयी हैं। बालिकाओं का जी०ई०आर० एवं एन०ई०आर० बालकों के समतुल्य ही रहा है।कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 में नामांकन में निरंतर वृद्धि हुयी है इससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की मांग में वृद्धि हुयी हैं।

शिक्षकों की उपलब्धता(परिषदीय विद्यालय)

	सृजित	कार्यरत	रिक्त 1-7-2003	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय पाथमिक विद्यालय	4933	3228	1705	2135
परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय	1477	1012	458	--

स्रोतः— विभागीय आंकड़े।

वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 3228 अध्यापक एवं 1615 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। वर्ष 2003.2004 में कुल 520 शिक्षा मित्र और स्वीकृत किये गये हैं। प्राथमिक स्तर में कुल 386120 छात्र अध्ययनरत हैं एवं अध्यापक छात्र अनुपात 119: 1 है।शिक्षा मित्रों की संख्याको सम्मिलित करते हुये अध्यापक छात्र अनुपात 80: 1 है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल 1012 अध्यापक कार्यरत हैं एवं 50974 छात्र अध्ययनरत हैं। जिससे छात्र अनुपात 50: 1 है साथ ही वर्तमान समय में लगभग प्रति विद्यालय तीन अध्यापक की दर से ही अध्यापक कार्यरत हैं। जनपद में कुल 1884 प्राथमिक विद्यालय एवं 379 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इस प्रकार उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों में 1: 5 का अनुपात है।

डी०पी०ई०पी० संचालन की अवधि में प्राथमिक विद्यालय एवं शिक्षकों की संख्या मे हुयी वृद्धि का विवरण निम्नवत् हैं:–

	1997-98	2002-2003	प्रतिशत वृद्धि
प्रा०वि०	1677	1884	11
प्रा०वि०शिक्षक	4735	4933	4.1%

स्रोतः–विभागीय आंकड़े

पांच वर्षो की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 11प्रतिशत की वृद्धि हुयी है तथा शिक्षकों की संख्या में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है औसतन रूप में विद्यालयों की संख्या में प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा मे सफल प्रयास हुये हैं।

ड्राप आउट दर

वर्ष	कुल	बालिका
1998	**37.6**	**38.8**
1999	**36.7**	**35.8**
2000	**35.9**	**33.8**
2001	**35.1**	**31.9**
2002	**25.2**	**24.2**

स्रोतः–ई०एम०आई०एस०डाटा०

प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है,विगत चार वर्षो में ड्राप आउट दर में लगातार कमी आयी है विगत पांच वर्षों में यह दर 37.6प्रतिशत से घटकर 25.2 प्रतिशत रह गयी है जोकि महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ड्राप आउट दर के विषय में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि दोनो बालक एवं बालिका की ड्राप आउट दर का अन्तर समाप्त हो गया है।

रिपीटीशन दर व पांच कक्षाएं पूर्ण करने की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	कक्षा 5 की कक्षा पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
97.98	**4.51**	**6.97**
98-99	**4.46**	**6.70**
99-2000	**4.41**	**6.48**
2000-2001	**4.39**	**6.30**
2001-2002	**4.12**	**6.10**
2002-2003	**4.02**	**5.90**

स्रोतः–ई०एम०आई०एस०डाटा०

ट्रान्जिशन दर कक्षा 5 से कक्षा–6

वर्ष	कक्षा–5	कक्षा–6	ट्रान्जिशन दर
1998-99	33384	10182	30.5
1999-2000	36436	11878	32.6
2000-2001	37839	13540	35.8

2001-2002	33893	16384	48.34
2002-2003	56935	21878	38.42

रिपीटीशन दर एवं कक्षा –5 पूर्ण करना

रिपीटीशन की दर 1.79% मात्र है तथा कक्षा–5 की कक्षायें पूर्ण करने में बच्चों को औसतन 5वर्ष का समय लगता है अर्थात शिक्षा प्रणाली कीकार्य कुशलता एवं गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष 2002-2003	--	1:119
एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत	--	52%
छात्र कक्षा कक्ष अनुपात 2002-2003	--	90:1

डी०पी०ई०पी के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित होने तथा शिक्षा मित्रों नियुक्ति से एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में कमी आयी है। नामांकन में वृद्धि होने के कारण अभी भी अध्यापक छात्र अनुपात 1:119 है। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति से छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ है। शिक्षामित्रों के पदों को सम्मिलित करते हुये छात्र अध्यापक अनुपात घटकर 1: 80 *हो गया है।* जिसे सर्व शिक्षा अभियान में अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षामित्रों की नियुक्ति करके मानक के अनुसार 1:40 का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा कक्ष अनुपात में भी पर्याप्त सुधार हुआ है परन्तु कक्षा छात्र अनुपात 1:40 पर लाने के लिये अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचकांक

जनपद लखीमपुर–खीरी

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि जनपद लखीमपुर–खीरी

वर्ष	कक्षा–6	कक्षा–7	कक्षा–8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रशित वृद्धि
1998-99	10182	9164	8064	27410	--
1999-2000	11878	9690	7960	29528	7.72
2000-2001	13540	10755	7942	32237	9.17
2001-2002	16384	13309	11649	41342	22.02
2002-2003	21878	15876	13220	50974	18.89

स्रोतः– विभागीय आंकड़े

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि **2001-2002** एवं **2002-2003** में कमशः **22.02** प्रतिशत एवं **18.89** प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

सन् 2001 की जनगणना के आधार पर गावदार विस्तृत आकडे प्राप्त नही हुए है। आंकड़ें प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओ) मे एवं जनसख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना–।। जनपद लखीमपुर–खीरी

उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर–खीरी 7680 वर्ग किमी० में फैला है।कई नदियों व जलप्लावित क्षेत्र तथा बड़ी संख्या से इन क्षेत्रों में दूर दूर छोटी बड़ी बस्तियां है। यह जनपद पांच तहसीलों 15 विकास खण्डों व 156 न्याय पंचायत क्षेत्रों में विभक्त है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की आबादी 24.19 लाख ,जिसमें 26.90 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनसंख्या का 1.19 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति पायी गयी है।जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना –।। को प्रारम्भ करते समय जनपद की औसत साक्षरता दर 29.70 प्रतिशत थी। जिसमें महिला साक्षरता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में 12.50 प्रतिशत थी।

क०सं०	विकास खण्ड	साक्षरता प्रतिशत(1991)		
		पुरूष	महिला	योग
1	धौरहरा	24.9	6.7	16.8
2	रमियाबेहड़	24.9	7.1	17.1
3	निघासन	24.5	7.0	17.3
4	ईसानगर	29.2	7.7	19.8
5	नकहा	31.6	8.1	21.2
6	बिजुआ	30.5	9.9	21.2
7	फूलबेहड़	32.1	9.4	21.2
8	पलिया	35.0	13.4	25.1
9	मोहम्मदी	39.4	11.7	27.1
10	बांकेगंज	41.6	13.3	28.8
11	कुम्भी	47.1	16.2	33.3
12	पसगवां	46.9	17.6	34.0
13	लखीमपुर	49.8	16.8	36.0
14	बेहजम	49.7	17.4	35.2
15	मितौली	52.1	19.1	37.3
जनपदकीग्रामीणकुल साक्षरता दर			**12.5**	**29.7**

स्रोत–सांख्यकीय पत्रिका जनपद खीरी।

कम साक्षरता दर का मुख्य कारण कृषि आधारित क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर न होने से गरीबी व बेरोजगारी अधिक है। अनुसूचित जाति समुदाय दूरस्थ विद्यालयों व पहुंच के कारण तथा अपनी सामाजिक अवधारणाओं से भी शैक्षिक रूप से पिछड़े रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम के प्रमुख लक्ष्य सार्वभौम नामांकन तथा

धारण के साथ ही शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त परियोजना को प्रारम्भ करते समय आयु 6-11 वयवर्ग की गणना पूर्ण की गयी । इस

वयवर्ग में वर्ष 2000-2001 निम्नलिखित सारणी के अनुसार बालक बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति का विवरण आकलित किया गया है:-

क०सं०	वि०क्षे०	कुल	बालक	बालिका	कुलअनु० जाति	बालक	बालिका
1	लखीमपुर	40238	21729	18509	13330	8410	4920
2	बेहजम	30343	16765	13578	12187	7154	5033
3	नकहा	20233	10926	9307	7137	4294	2843
4	फूलबेहड़	21593	11162	9431	7145	4718	3127
5	बिजुआ	19287	10913	9374	8425	4946	3479
6	मोहम्मदी	30737	16598	14139	11350	5978	5372
7	पसगवां	31789	17266	14523	12596	6916	5680
8	मितौली	31937	17246	14691	13145	7312	5833
9	निघासन	23612	11890	9722	6494	3882	2612
10	पलिया	18956	10316	8640	5846	3351	2495
11	धौरहरा	18210	9833	8377	8122	5210	2912
12	ईसानगर	23428	13361	10067	9256	5174	3782
13	रमियाबेहड़	18547	10096	8451	5928	3757	2171
14	कुम्भी	31588	16897	14691	11631	6383	5248
15	बांकेगंज	21225	11461	9764	10496	6050	4446
	कुल योग	379723	206459	173264	143788	83835	59953
	नगर क्षेत्र						
1	लखीमपुर	2515	1251	1264	523	269	254
2	गोला	538	283	255	124	99	95
3	मोहम्मदी	511	265	246	112	61	51
4	पलिया	--	--	--	--	--	--
	योग	3564	1799	1765	829	429	400
	महायोग	383287	208258	175029	144617	84264	60353

स्रोतः- विभागीय आंकडे

उपरोक्त वयवर्ग के शिक्षण हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के प्रारम्भ में जनपद के अन्तर्गत कुल 1658 प्र०वि० उपलब्ध थे। जनपद में विकास खण्ड व कक्षवार ग्रामीण अंचलों में निम्नलिखित स्थिति थी:-

क०सं०	वि०क्षे०	प्रा०वि०	एक कक्षीय	दो कक्षीय	तीन कक्षीय
1	लखीमपुर	184	85	66	8
2	बेहजम	121	61	14	11
3	नकहा	82	63	3	6
4	फूलबेहड़	96	80	13	10
5	बिजुआ	101	63	20	4
6	मोहम्मदी	121	97	8	3
7	पसगवां	134	84	30	8
8	मितौली	128	76	27	10
9	निघासन	99	50	14	10
10	पलिया	94	48	12	9
11	धौरहरा	68	47	7	2
12	ईसानगर	92	46	8	3
13	रमियाबेहड़	84	47	9	3
14	कुम्मी	123	00	00	00
15	बांकेगंज	101	60	15	5
	कुल योग	1628	907	246	92

स्रोतः- विभागीय आंकड़े

डी०पी०ई०पी०-।। योजना लागू होने के बाद ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुयी है,जिसके फलस्वरूप वर्ष 2001-2002 में विद्यालयों की संख्या बढ़कर 1815 हो गयी है। और 68 विद्यालय एक कक्षीय ,1160 विद्यालय दो कक्षीय,तथा 492 विद्यालय तीन कक्षीय हो गये है।

जनपद के उपरोक्त परिषदीय विद्यालयों के अतिरिक्त 30 प्राथमिक विद्यालय नगर क्षेत्र में संचालित थे। इन प्राथमिक विद्यालयों में 6-11 आयु के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिये उपलब्ध छात्र शिक्षकों का विवरण निम्नवत् पाया गया।

क०सं०	वि०क्षे०	30/9/98 की छात्रसंख्या	40:1 में शिक्षक की आवश्यकता	विद्या० में कार्यरत शिक्षक सं०	मानक से कम/अधिक शिक्षकों की संख्या	
					कम	अधिक
1	लखीमपुर	40586	1026	637	406	15
2	नकहा	19410	477	217	261	01
3	बेहजम	24691	615	332	289	06
4	फूलबेहड़	20934	530	246	289	05
5	कुम्भी	22026	535	280	260	05
6	बिजुआ	18694	478	131	347	--
7	बांकेगंज	20522	511	225	287	01
8	मोहम्मदी	24298	592	237	358	03
9	पसगवां	28536	720	271	449	--
10	मितौली	25269	639	276	363	--
11	धौरहरा	15141	368	107	261	--
12	ईसानगर	18430	454	159	296	01
13	रमियाबेहड़	16041	390	109	281	--
14	पलिया	15192	383	133	250	--
15	निघासन	18229	458	147	311	--
	महायोग	333818	8178	3507	4708	37

स्रोतः– विभागीय आंकड़े

जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति आकलित होने पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य क्रम की योजना निर्माण में स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित ,सहभागितापरक तथा विकेन्द्रित नियोजन प्रकिया अपनाई गयी। क्षेत्रानुसार व्यक्ति समूहों की शिक्षण आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु इस योजना में ग्रामवासियों,विद्यालय शिक्षकों एवं संकुल, विकास खण्ड स्तर तक के अभिकर्मियों के विचारों तथा सुझावों को विद्यमान विविधताओं के अनुसार समाहित किया गया। योजना को यथा सम्भव क्षेत्र सापेक्ष तथा जिला सापेक्ष उपयुक्त बनाने हेतु नियोजित किया गया । जिलें में विद्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षा से वंचित बच्चों का सर्वेक्षण करके उनकी शिक्षण आवश्यकता के अनुसार जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नामांकन हेतु प्राथमिक विद्यालय भवनों आदि के निर्माण कराये गये। जनपद में तत्समय 473 असेवित बस्तियों का आकलन किया गया था। जिनके अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय 168 एवं 400 अतिरिक्त कक्ष। कक्ष ,45जर्जर भवन के

पुननिर्माण किये गये। बालिकाओं के ठहराव को महत्व देते हुये प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2000 से 2001 तक जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये गये :–

क०सं०	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण इकाईयों की संख्या		योग	अभ्युक्ति
		97-98	98-99		लागत का 40%परियोजना से तथा 60% डी०आर०डी०ए० से वहन किया गया।
1	नवीन प्रा०वि०	30	138	168	
2	जर्जर भवन	15	30	45	
3	अति०कक्षा कक्ष	100	300	400	
4	शौचालय	316	1100	1416	
5	बी०आर०सी०	--	15	15	
6	एन०पी०आर०सी०	156	--	156	

स्रोतः–विभागीय आंकड़े

जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना में निर्माण कार्य की सीलिंग दर 24 प्रतिशत निर्धारित थी, जोकि वर्ष 2001 से 2002 के अन्तर्गत बढ़ाकर 33 प्रतिशत परियोजना लागत निर्धारित हो जाने से वर्ष 2001 .02 के लिये वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में निर्माण कार्य निम्नवत प्राविधानित किये गये थे । वर्ष 2002.2003 में कोई भी निर्माण कार्य डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हुआ।

क०सं०	निर्माण कार्य विवरण	2001-02 के लिये प्राविधानित निर्माण कार्य	2002-03 के लिये प्रस्तावित	योग
1	नवीन प्रा०वि०	30	117	147
2	जर्जर भवन	50	--	50
3	अति०कक्षा कक्ष	84	--	84
4	शौचालय	180	147	576
5	भवन मरम्मत	110	--	110

उक्त में वर्ष 2002.2003 में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमीः–

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के नियोजन हेतु नवीन प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कराये गये परन्तु शिक्षण कार्य हेतु मूलभूत आवश्यकता अध्यापकों की कमी को पूर्ण करना था। इनकी कमी से अनेकों विद्यालय एकल शिक्षक पर ही निर्भर हो गये । जनपद में शिक्षक छात्र अनुपात निम्नवत् आकलित किया गया।

वर्ष	जनसंख्या	GER (4% Increase annual	कुल नामांकन (अनुमानित)	परिषद नामांकन	कुल शिक्षक आवश्कता (1:50)	अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता
1996-97	383287	90.32	346208	270088	5401	380
1997-98	390952	93.93	367221	286480	5729	328
1998-99	398772	97.69	389560	303908	6078	349
1999-00	406747	101.59	413214	322361	6447	369
2000-01	414882	105.66	438364	341981	6839	392
2001-02	423180	109.88	464990	362753	7255	416

नवीन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान परियोजनाधीन रहे हैं। शिक्षक छात्रों के अनुपात को सुधारने हेतु वर्ष 2000-2001 के अनतर्गत 720 शिक्षा मित्र चयनित हुये तथा वर्ष 2001-02 में 144 शिक्षा मित्र जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये शिक्षा मित्रों सहित अब जनपद में कुल 1615 शिक्षा मित्र स्वीकृत हो गये हैं। जिनसे जनपद के प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों व शिक्षा मित्रों सें संचालित है।

ब्लाक संसाधन केन्द्रः -

जनपद के समस्त 15 विकास खण्डों में ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवन रू0 7०5 लाख प्रति भवन की लागत से निर्मित कराये गये हैं। इनके समन्वयकों के माध्यम से गुणवत्ता परक शिक्षण कार्य नियोजित कराया जा रहा है। इन केन्द्रों पर कार्यरत समन्वयकों का वेतन, यात्रा भत्ता व आकस्मिक व्यय परियोजना द्वारा वहन किया जा रहा है।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रः -

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिये तथा प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से संकुल प्रभारियों को तैनात किया गया है। शिक्षकों की मासिक बैठक व दृश्य श्रव्य माध्यम से शिक्षा के लिये प्रचार प्रसार व आवश्यक आंकड़ों का एकत्रीकरण न्याय पंचायत समन्वयकों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इनके वेतन यात्रा भत्ता व आकस्मिक व्यय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा पोषित किया जा रहा है।

विद्यालय विकास अनुदानः–

प्राथमिक विद्यालयों की स्वच्छता तथा शैक्षिक वातावरण तैयार करने के लिये

परियोजना द्वारा समस्त परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की रंगाई पुताई आदि तथा छात्रों के बैठने हेतु टाट पट्टी की वयवस्था आदि सुविधाओं के लिये प्रतिवर्ष रूपये 2000.00 प्रति प्रा०वि० अनुदान दिया जा रहा है जिससे बच्चों को शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जा सके।

शिक्षक अनुदानः–

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को गुणवत्तापरक एवं सुरूचिपूर्ण बनाने हेतु प्रतिवर्ष रूपये 500.00 प्रति शिक्षक अनुदान दिया जाता है ताकि अध्यापक शिक्षण सामग्री तैयार करें तथा बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार शिक्षा प्रदान कर सकें।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरणः–

प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालकों तथा समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराई जाती है जिससे इन छात्रों की पढ़ाई में रूचि पैदा हो तथा ड्राप आउट की दर कम हो सके।

प्राथमिक विद्यालयों तक पुस्तकालय व्यवस्थाः–

प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को सामाजिक ज्ञान एवं अपनी संस्कृति का बोध कराने हेतु ब्लाक संसाधन केन्द्र,न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र एवं नवीन प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय गठित किये गये हैं जिनमें मनोरंजक साहित्य छात्रों के लिये उपलब्ध है।

बालिकाओं का ठहरावः–

ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं का ड्रापआउट दर सबसे अधिक पाया गया । अतः ड्राप आउट को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यकमों को नियोजित किया जा रहा है।

- ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण
- माता पिता शिक्षक संघों का गठन
- प्रतिवर्ष नामांकन बढ़ाने हेतु स्कूल चलो अभियान
- ग्रीष्कालीन शिविर के माध्यम से बालिकाओं का अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित किया जाना।
- जनपद में 150 शिशु केन्द्रों के सहयोग से बालिकाओं का नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित किया जा रहा है। इनकी कार्यकत्रियों को मानदेय दिया जाता है तथा आर्वतक तथा अनावर्तक व्यय करके खिलौने आदि अपेक्षित सामग्री कय कराई जाती है।
- अनेक सामुदायिक सहभागिता के कार्यकम संचालित करके बालिकाओं व उनके माता पिता को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- वार्षिक खेलकूद एवं प्रतियोगिताओं से बच्चों का बहुमुखी विकास किया जा रहा है।
- समेकित शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार की व्यवस्था सुलभ करायी जा रही है।

- मीना कैम्पेन का उपयोग बच्चों व ग्रामीण निवासियों को शिक्षा के लिये प्रेरित करने हेतु प्रदर्शित किया जा रहा है।
- शारीरिक रूप से चुनौती वाले बच्चों को विद्यालय व बाहर चिन्हित करके उनमें क्षमता का विकास एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता बनाने का प्रयत्न किया जा रहा हैं।

<u>गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये प्रशिक्षण व्यवस्थाः–</u>

प्राथमिक विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखने हेतु समस्त अध्यापकों को समय समय पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण देकर कुशल अध्यापक बनाया जा रहा है। आवश्यकतानुसार इन्हें बोधात्मक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्ष 1998 में प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षक विवरण निम्नवत् थाः–

क०सं०	वि०क्षे०	प्रशिक्षित शिक्षक		अप्रशिक्षित शिक्षक		कुल योग
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	
1	लखीमपुर	377	233	11	12	633
2	बेहजम	257	54	11	14	336
3	नकहा	168	56	18	3	245
4	फूलबेहड़	149	79	12	4	244
5	बिजुआ	101	33	17	4	155
6	मोहम्मदी	184	31	17	4	236
7	पसगवां	238	41	15	13	307
8	मितौली	273	30	10	2	315
9	निघासन	112	28	29	1	170
10	पलिया	95	20	27	1	143
11	धौरहरा	96	7	15	1	119
12	ईसानगर	141	16	17	4	178
13	रमियाबेहड़	106	16	17	3	142
14	कुम्भी	231	44	14	5	294
15	बांकेगंज	159	39	13	0	216
	कुल योग	2687	727	243	71	3728

<u>वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्थाः–</u>

जनपद की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिखरी हुयी छोटी बस्तियों में रहने वाले तथा विभिन्न मजदूरी के कार्यों में लगे 6-11 वयवर्ग के बच्चों को शिक्षा देने हेतु जनपद

में प्रारम्भिक लक्ष्य 60 केन्द्रों में व 1998 -99 तक 30 केन्द्र संचालित थे। जोकि आवश्यकतानुसार कमशः बढ़ते हुये अब वर्ष 2002-03 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 200 केन्द्र प्रावधानित हैं। जिनके विवरण निम्नवत् हैं। जो सभी सफलतार्पूवक संचालित किये गये। जिन्हें सर्व शिक्षा अभियान में भी संचालित किया जा रहा है।

क0सं0	माडल	2002.03 तक संचालित केन्द्र
1	शिक्षा घर	47
2	ऋषि वैली माडल	60
3	विद्या केन्द्र	93
	योग	200

उपरोक्त केन्द्रों के संचालन हेतु शिक्षा घर एवं ऋषि वैली माडल केन्द्रों का संचालन अनुदेशकों द्वारा किया जाता है। जिन्हें मानदेय रू० 1000/ माह की दर से दिया जा रहा है। जनपद में चलाये जा रहे विद्या केन्द्रों को आचार्य द्वारा संचालित किया जाता है। इनको भी रू० 1000/ माह का वर्ष में 10 माह का भुगतान किया जाता है। उशिक्षण सामग्री ,पुस्तकें ,स्लेट आदि व आकस्मिक व्यय की राशि परियोजना वहन करती है। इस प्रकार परियोजना के विभिन्न कार्य कमों से प्रारम्भिक शिक्षा में जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के संचालन से 6-11 आयवर्ग के बच्चों में शिक्षा के प्रति रूझान आया है और अधिकाधिक बच्चे शिक्षा रत हैं। अद्यतन अवधि में जनपद की साक्षरता दर 29.70 से बढ़कर 49.39 प्रतिशत हो गयी है। जोकि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि सहित आकलित है।

पर्सपेक्टिव कार्ययोजना के अध्याय–2 में उपलब्ध आंकड़ों से जनपद में संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम की प्रगति प्रखर होती है। परन्तु जनपद के समस्त आयु 6-11 वयवर्गके बच्चों को पूर्ण साक्षर करने के उददेश्य से अभी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की रूपरेखा के कार्यकमों सहित परियोजना के संचालन की नितान्त आवश्यकता है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न हो तथा गुणवत्तापरक शिक्षा के लिये उनका ठहराव हो सके तथा बच्चों का शिक्षा सहित सर्वांगीण विकास सम्भव हो पाये।

<u>ठहराव के लक्ष्यः–</u>

सर्व शिक्षा अभियान योजना की संरचना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर ठहराव वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य 2010 तक निर्धारित किया गया है। इस आधार पर प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट को कम करने के लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैः–

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर का नियोजन	उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट की दर का नियोजन
2000-01	36	12
2001-02	35	10

2002-03	29	8
2003-04	23	6
2004-05	16	5
2005-06	9	4
2006-07	4	3
2007-08	0	2
2008-09	0	1
2009-10	0	0

सर्व शिक्षा अभियान योजनाओं के अन्तराल जनपद में ड्राप आउट कम करने के लिये अनुश्रवण हेतु प्रत्येक दो वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर के ड्राप आउट का आकलन करने के लिये पृथक पृथक को हार्ट स्टडी के माध्यम समीक्षा की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –।। के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में निर्माण सम्बन्धी

कार्य–विवरण

क०सं०	निर्माण कार्य	प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य–विवरण					2002-03 के अन्तर्गत प्रस्ताव		डी०पी०ई०पी०–।। के अन्तर्गत निम्रण कार्य का विवरण	
		97-98	98-99	2001-02में	दर@	धनराशि रू०	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	प्रा०वि०नवीनभवन	30	138	30	@76400/-	12835200	117	22347000	315	409122000
1	प्रा०वि०पुननिर्माण	15	30	50	@76400/-	3438000	-	-	95	12988000
3	प्रा०वि० में अति०कक्षा कक्ष	100	300	84	@55000 @70000	22000000	-	-	484	27880000
4	प्रा०वि० में शौचालय निर्माण	316	1100	429	@12000	22140000	147	1764000	1992	23904000
5	न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र	156	-	-	@65000	10140000	-	-	156	10140000
6	विकास खण्ड संसाधन केन्द्र	-	15	-	@8.0 लाख	12000000	-	-	15	12000000
7	प्रा०वि०भवनों का लघु मरम्मत कार्य	-	-	110	@20000	2200000	2	40000	112	2200000
	योग	-	-	-		105913200	-	24151000	-	130064200

१. डी०पी०ई०पी०–।। का पर्सपेक्टिव प्लानरू० 394129000.00

२. १–जनपदमेंनिर्मित/प्राविधानिककार्यों पर व्यय रू० 105913200

३. निर्माण कार्य की सरलिंग/33 प्रतिशत रू० 130062750

४. वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत प्रस्ताव हेतु विवरण की धनराशि–24151000

डी0पी0इ0पी0 के अन्तर्गत वर्ष 2002.2003 में कोई भी निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया अतः समस्त कार्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परस्तावित किया जा रहा है।

अध्याय–3
नियोजन प्रकिया

सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र एवं राज्यों की भागीदारी से समयबद्ध समेकित प्रयास द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वाजनीकरण लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने का सतत् ऐतिहासिक प्रयास है । अभियान के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में 6 से 14 वयवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी तथा गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना है।

सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान स्कूल पद्धति से कार्य निष्पादन में सुधार तथा समुदाय की भागीदारी से मिशन के रूप में सभी बच्चों की क्षमता विकास के अवसर सुलभ कराने का सम्पूर्ण प्रयास है। इस कार्यक्रम में लिंग भेद तथा सामाजिक अन्तर को समाप्त करने की परिकल्पना भी की गयी है। इस अभियान के द्वारा केन्द्र,राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच एक गठबन्धन तैयार करने की अवधारणा है । सर्व शिक्षा अभियान में ऐसे प्रयास किये जायेंगे जिनसे ग्रास रूट से जुड़ी संस्थाओं यथा पंचायत,ग्राम शिक्षा समिति,स्वयं सेवी संगठनों ,अभिभावक शिक्षक संघ एवं माता शिक्षक संघ आदि संगठनों की विद्यालय प्रबन्धन में सकिय भागीदारी सुनिश्चित करके स्कूल स्तर से ग्राम स्तर तक विकेन्द्रीरण की प्रकिया सुदृढ़ की जायेगी ।

<u>सूक्ष्म नियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना</u> –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया है। सूक्ष्म नियोजन में प्रत्येक ग्राम व बस्ती के प्रत्येक परिवार के 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों के शैक्षिक स्थिति का आकलन किया गया है। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करते समय ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्दश्यों व विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और ग्राम मय बस्तियों की सूची तैयार की गयी । जनपद लखीमपुर–खीरी में वर्ष 1997—98 तथा 1999—2000 में ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा परिवार की सभी सूचनाओं का एकत्रीकरण करके समस्याओं /आवश्यकताओं की पहचान की गयी ।

<u>सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गयी</u> :–

1– ग्राम में 6 से 11 वयवर्ग के बच्चों की संख्या।

2– विद्यालय तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ।

3– विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।

4– शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने का कारण।

5– ग्राम में विद्यालय न होने की स्थिति में मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने का निर्धारण।

6– मानक के अनुसार विद्यालय न खोले जानें की स्थिति में ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।

7– ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं भौतिक संसाधन की उपलब्धता।

8– भौतिक संसाधन में सुधार के लिये ग्रामवासियों के सुझाव।

9– क्या विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति छात्रसंख्या के अनुसार है,तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है।

10– क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय आते हैं!

11– शिक्षण कार्य की स्थिति एवं शिक्षा के गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

12– सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचनायें एकत्र करने के पश्चात ग्रामवासियों के सहयोग से निम्न कार्य किये गये :–

अ– परिवार सर्वेक्षण

ब– स्कूल का मानचित्र

स– सूचनाओं का विश्लेषण

द– ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण

शैक्षिक मानचित्र विश्लेषण एवं ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों ,शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता में रूचि रखने वाले युवक युवतियों ,आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका ,युवक मंगल दल के सदस्य , नेहरू युवा केन्द्र के सकिय सदस्यों सहित शिक्षक शिक्षिकाओं की एक बैठक बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं एवं आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी । साथ ही ग्राम सर्वेक्षण प्रपत्रों एवं विद्यालय सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर गांव का शैक्षिक मानचित्र तैयार करते हुये ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम की अपेक्षित शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। शैक्षिक मानचित्र के आधार पर प्रत्येक ग्राम की निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयीः–

1– बस्ती की कुल जनसंख्या

2– वयवर्गवार जनसंख्या

3– स्त्री पुरूष जनसंख्या

4– पढ़ने न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5– बाल श्रमिकों की संख्या

6– विकलांग बच्चों की संख्या

7– बालिका शिक्षा की स्थिति

8– समग्र साक्षरता की जानकारी

उपरोक्त सभी योजनाओं का अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर रखा गया । किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका जिससे माइक्रोप्लानिंग के वर्तमान आंकड़ों को जनपद पर संकलित करके सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त आंकड़ों को संकलित करके विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा,नवाचार शिक्षा ,शिक्षा गारण्टी योजना आदि कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वालें बच्चों की संख्या 6-11 वयवर्ग एवं 11-14 वयवर्ग में बालक / बालिका आकलित की गयी हैं।साथ ही ऐसे बच्चों की गणना की गयी है जो कामकाजी हैं,बालश्रमिक हैं,विकलांग हैं,अथवा सड़कछाप घुमन्तू हैं।

माइक्रोप्लानिंग सर्वेक्षण से निर्धारित मानक के अनुसार नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु बस्तियों की सूची तैयार करके विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। साथ ही शिक्षा गारण्टी केन्द्र,वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र,नवाचार शिक्षा के अर्न्तगत ज्ञान केन्द्र एवं ज्ञानशाला स्थापित करने हेतु बस्तियों की सूचीतैयार करके सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। संबंधित सूचनाओं का विस्तृत विवरण अध्याय–7 में दर्शाया गया है!

सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालिक योजना प्रथम वार्षिक योजना 2001—2002 को कियान्वयन समुदाय की सहभागिता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा । तथा इससे प्राप्त सूचनाओं का उपयोग अगली वार्षिक योजना में किया जायेगा ।

नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का संकलन करके

वर्ष 2002-2003 की वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करने में किया जायेगा ।

स्कूल चलों अभियान

नामाकन बढ़ाने तथा ड्राप आउट समाप्त करने के लिये जुलाई 2000 एवं 2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान से शैक्षिक वर्ष 2001-2002 में बालक बालिकाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी एवं शैक्षिक वातावरण सृजित हुआ। इसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त किया जायेगा। स्कूल चलो अभियान का विवरण निम्नलिखित प्रकार है:-

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया ,तथा शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन ने शत प्रतिशत नामांकन कराने का संकल्प लिया । प्रथम चरण 1-7-2001 से 15-7-2001 तक आयोजित किया गया जिसमे प्रचार प्रसार के साथ ही 6-11 वयवर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हीकरण किया गया।

दिनांक 25-6-2001 को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,समस्त उप बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सहायक लेखाधिकारी,प्रचार्य जिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण ,जिला समन्वयक ,समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक की बैठक आयोजित कर अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी । दिनांक 7-7-2001 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी एवं विभिन्न स्तरों पर कोर ग्रुप का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- दिनांक 1-7-2001 से दिनांक 15-7-2001 तक विद्यालय स्तर पर प्रतिदिन अध्यापकों एवं छात्रों की रैली के माध्यम से व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया गया।

2- दिनांक 10-7-2001 को जनपदीय नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी लखीमपुर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग एवं स्वायत्ताशषी संस्थाओं द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया।

3- दिनांक 11-7-2001 का विकास खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में सभी 15 विकास क्षेत्रों में एवं 4 नगर क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की रैलियों का अयोजन किया गया। रैली में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/समन्वयक/सह समन्वयक द्वारा एवं संकुल प्रभारी व अध्यापकों एवं बच्चों ने भी प्रतिभाग किया।

4- दिनांक 13-7-2001 को न्याय पंचायत स्तरीय नोडल अधिकारी संकुल प्रभारी की देखरेख में 156 न्याय पंचायतों में रैली निकाली गयी। जिसमें न्याय पंचायत स्तरीय विद्यालयों के अध्यापकों एवं बच्चों ने भाग लिया। दिनांक 14-07-2001 को जनपद के समस्त विद्यालयों के बच्चों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में रैली निकालकर अभियान का प्रचार एवं प्रसार किया गया।

5- स्कूल चलो अभियान के प्रथम चरण दिनांक 1-7-2001 से 15-7-2001 के मध्य विद्यालय स्तर पर रैली निकालने एवं प्रचार प्रसार करने के साथ साथ विद्यालय न जाने वाले 6 से 14 वयवर्ग के 101852 बच्चे चिन्हित किये गये।

6- जिलाधिकारी की बैठक में दिये गये निर्देश के अनुसार शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी जिला विकास अधिकारी,प्राचार्या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ,जिला विद्यालय निरीक्षक,जिला पंचायत राज अधिकारी,जिला कार्यकम अधिकारी ,बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ,सचिव जिला साक्षरता समिति,जिला सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार ने क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्यकम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया ।

7- दिनांक 15-7-2001 को स्कूल चलो अभियान का समापन किया गया एवं द्वितीय

चरण में दिनांक 16-7-2001 से 31-7-2001 तक अभिभावकों से सम्पर्क कर बच्चों को प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये प्रत्येक नियोजन हेतु बस्ती को इकाई मानकर शैक्षिक योजनाये तैयार की गयीं। अभियान के स्वरूप को अधिक स्पष्ट एवं सुगम बनाने के लिये विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रणाली लागू की गयी। जनपद में सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित कार्य किये गये:-

नियोजन प्रकिया

1- सर्व शिक्षा अभियान परियोजना निर्माण हेतुजनपद स्तर पर 6 सदस्यीय कोर ग्रुप का गठन किया गया हैं ।

2- बस्ती ग्राम न्याय पंचायत विकास क्षेत्र आदि विभिन्न स्तरों पर समुदाय के कार्यकर्ताओं अध्यापकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की गयीं। बैठकों में समुदाय की राय ली गयी कि उनसे किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है। सन्दर्भ व्यक्तियों की पहचान स्वयं सेवी संस्थाओं की पहचान एवं पंचायतीराज पदाधिकारियों की सोच तथा उनका सहयोग पर्सपेक्टिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुआ ।

परियोजना का कार्यक्रम तैयार करने में समस्त जिला समन्वयक ,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक समन्वयक,संकुल प्रभारी तथा उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक,स्वेयं संवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा तमाम विभाग के अधिकारियों जन प्रतिनिधियों सें सहयोग लिया गया।

समितियों के सहयोग एवं निष्कर्षों से प्लान को आवश्यकता आधारित बनाया जा सका है । प्रोजेक्ट के पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान जिला पचायत सदस्य,ग्राम पंचायत सदस्य ,प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को न्याय पंचायत संसाधन प्रभारी के माध्यम से अवगत कराया गया कि परियोजना पूर्ण रूपेण समुदाय की सहभागिता यथा ग्राम शिक्षा समिति,नेहरू युवक केन्द्र ,युवक मंगल दल,सहकारी समितियों आदि पर निर्भर करती है। सम्पूर्ण परियोजना का आधार बस्ती को मानक मानते हुये आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर माइकोप्लानिंग के द्वारा योजना निर्मित की गयी,जिसके क्रियान्वयन में समुदाय का पूर्ण सहयोग रहेगा । पूर्व में संचालित व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायतों को परियोजना में ग्राम स्तर पर नियोजन ,प्रबन्धन,प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार दिये जायेंगे। अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में भी जनता एवं स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं का योगदान अपेक्षित है।

जनपद स्तर पर नियोजन

सर्व शिक्षा अभियान डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम का वृहद स्वरूप है। जनपद में डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम सितम्बर 1997 से संचालित है । डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त सहयोगी संस्थाओं स्वयं सेवी संस्थाओं ,पंचायतीराज संस्थाओं आदि का जिनका जनपद को सहयोग मिला है साथ ही जो विभाग मानव संसाधनों की प्रतिपूर्ति करते हैं ऐसे समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठकें गयीं।बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विभागों में समन्वय व सहयोग से बेसिक शिक्षा के प्रभावी संचालन ,विकास,स्थापना एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नांकित विभागों से अपेक्षित सहयोग सुनियोजित ढंग से प्राप्त किया जा सकता है:-

1- आई०सी०डी०एस० के साथ समन्वय:-

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, स्वाथ्यकर्मी एवं एन०जी०ओ० को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह एवं विकास खण्ड सन्दर्भ समूह के गठन के उपरान्त समन्वय स्थापित किया जाता है।

1– आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय विद्यालयों के समय के साथ निर्धारित है।

2– आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट में संचालित है।

3– आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी सहायक शिक्षण सामग्री दी जाती है।

4– प्रा०वि० एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के समन्वय से बच्चों के नामांकन एवं धारण की वृद्धि में आशातीत सफलता मिल रही है।

2– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख भूमिका है।

1– जनपद,विकास क्षेत्र,न्याय पंचायत,विद्यालय स्तरीय समस्त प्रशिक्षणों का कुशल संचालन ।

2– जनपद,विकास क्षेत्र,न्याय पंचायत, स्तरीय परियोजनाओं एवं संसाधन केन्द्रों का सफल संचालन ।

3– गुणवत्ता सुधार हेतु प्रभावी कार्यक्रम लागू करना।

4– जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पूर्ण आपसी समन्वय।

3–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस विभाग का भी पूर्ण योगदान अपेक्षित है। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण,विकलांग बच्चों का विशेष स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य विभाग सें सकिय सहयोग की पूर्ण अपेक्षा की जाती है।

४–समाज कल्याण विभाग

जिला परियोजना कार्यालय समाज कल्याण से समन्वय करके विद्यालयों में पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग के समस्त बच्चों को यथासम्भव छात्रवृत्ति आदि की सुविधायें उपलब्ध कराता है।

५–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण

प्रारम्भिक शिक्षा में ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु अभी तक आर्थिक सहयोग प्राप्त होता रहा है,जबकि सर्व शिक्षा अभियान के उपरान्त वित्तीय संसाधन केवल विभाग के रहेंगे,आपसी समन्वय के द्वारा निर्माण कार्यो की सुनिश्चित देखभाल करने का कार्य इस विभाग के अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा ।

६–स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण का सृजन करना वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के कियान्वयन में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका रहती है। परियोजना कार्यक्रमों की सभी क्षेत्रों में व्यापक पहुंच के लिये परियोजना कार्यालय निरन्तर समन्वय करता है ।

७–नेहरू युवा केन्द्र

ग्रामीण अंचलों में नेहरू युवा केन्द्रों के माध्यम से युवक मंगल दल द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों के कियान्वयन एवं प्रचार प्रसार में सहयोग मिलता है ।

८–<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग</u>

प्रारम्भिक शिक्षा कार्यकम को शिखर तक पहुंचाने का जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने एवं व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य एवं परियोजना की प्रगति पर लेबल तक पहुंचाने में इस विभाग का सहयोग भी प्राप्त होता हैं।

९–<u>उत्तर प्रदेश जलनिगम,यू०पी०एग्रो०</u>

विद्यालयों में आवश्यक पेयजल की सुविधा हेतु दोनो विभागों का आवश्यक समन्वय रहता है।

१०–<u>खाद्य एवं आपूर्ति विभाग</u>

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत ऐसे समस्त छात्र छात्रायें जिनकी उपस्थित मास में 80 प्रतिशत रहती है, को प्रतिमाह 3 किग्रा० प्रतिछात्र छात्रा की दर से चावल/गेहूं वितरित कराया जाता है।

11–<u>पिछडावर्ग कल्याण,अल्पसंख्यक कल्याण,विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय</u>

उपरोक्त विभाग अर्ह छात्र छात्राओं का रू० 300 अथवा रू० 480 वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति उपलब्ध कराते हैं,अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय उपरान्त अल्पसंख्यक मकतब ,मदरसों की सूचनानुसार अगले वर्ष की सूचना में तत्सम्बन्धी आकलन किया जायेगा ।

<u>नियोजन प्रकिया मे समुदायिक सहभागिता की कार्यवाही का विवरण:–</u>

क०सं०	स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागी विवरण	विचारणीय बिन्दु
1	जनपद	1.10.01	लखीमपुर	जि०बे०शि०अ० उ०बे०शि०अ० स०बे०शि०अ० प्र०उ०वि०नि० समन्वयक बी०आर०सी०सी०, एन०पी०आर०सी०सी० लिपिक	गांजरी क्षेत्र के ब्लाकों में अध्यापकों/शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्रस्ताव। –समस्त निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कार्मिको के प्रभावी निरीक्षण में कमी। –एकल एवं बन्द विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव। –गुणवत्तापरक निरीक्षण की आवश्यकता। –थारू जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड पलिया के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं उनके ठहराव पर विचार।
2	ग्राम	8.10.01	धुसकिया वि०ख०पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	जनजाति क्षेत्र होने के कारण अति०शिक्षक की व्यवस्था। अध्यापक शिक्षा मित्र द्वारा सप्ताह के प्रथम दिवस अभिभावकों से सम्पर्क
3	ग्राम स्तर	8.10.01	गूम फूलबेहड़	प्र०अ०,स०अ०,शिक्षामित्र, ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,उपप्रधान,एन०पी०आर०सी०	बालिका शिक्षा में जागरूकता की कमी। प्रति सोमवार शिक्षा समिति एवं अध्यापकों का जनसम्पर्क। स्थानीय शिल्प ,यथा चटाई,पंखा बुनाई में बालिकाओं की दक्षता के अवसर –लिंगभेद,सम्प्राप्ति हेतु जागरूकता अभियान
4	न्याय पंचायत	8.10.01	अमृतागंज नकहा	ख०वि०अ० स०बे०शि०अ० बी०आर०सी०सी० ए०बी०आर०सर०सी० ग्रा०वि०अधि० एन०पी०आर०सी०सी० ग्राम प्रधान	–शिक्षण को खेलपरक बनाने की आवश्यकता। –भवनों की रंगाई, पुताई एवं सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था। –आर्थिक तथा सामाजिक पिछड़ापन।
5	ग्राम	9.10.01	भूड़ा ,पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	अध्यापक एवं छात्र अनुपात में निरन्तर कमी होने के कारण अतिरिक्त शिक्षा मित्र के चयन का प्रस्ताव। बालिकाओं की शिक्षा हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों विशेषकर महिला सदस्यों द्वारा सप्ताह के प्रथम दिवस अभिभावकों से जनसम्पर्क

6	न्याय पंचायत	9.10.01	पिपरावां फूलबेहड़	बी०आर०सी०,ए०बी०आर०सी०,एन०पी० आर०सी०प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	–छात्रवृत्ति नियमित वितरण हेतु सूची एवं खाता संख्या का समय से प्रेषण। सभी विद्यालय भवनों की रंगाई पुताई। प्राथ०वि०बसन्तीपुर का निर्माण –शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सभी छात्र नियमित रूप से गृहकार्य करके लायें एवंनियमित उपस्थिति हेतु प्रतिसोमवार शिक्षा समिति एवं अभिभावकों का सम्पर्क –ठहराव वृद्धि हेतु अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की नियुक्ति।
7	ग्राम	9.10.01	बड़ागांव नकहा	बी०आर०सी०सी०, ग्राम प्रधान,एन०पी०आर० सी०, शिक्षक,अभिभावक	–शिक्षकों एवं शिक्षा मित्र की नियुक्ति का प्रस्ताव। –छात्रवृत्ति आदि नियमित वितरण। –असेवित बस्तियों में विद्या केन्द्र खोलना।
8	ग्राम	10.10.01	सेढ़ामेढ़ा, पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	–ग्राम प्रधान कीरतपुर ने शिक्षा व्यवस्था सुधारने हेतु शिक्षक नियुक्ति व शिक्षा मित्र के चयन पर प्रस्ताव किया। –दोनो विद्यालयों में ग्रान्ट के रूप में स्थानीय एक शिल्प का बच्चों को सिखाना।
9	ग्राम	10.10.01	खम्भारखेड़ा फूलबेहड़	,एन०पी०आर०सी०प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,पूर्व प्रधान	–बालिकानामांकन,एवं ठहराव हेतु स्थानीय शिल्प व खेलों का समावेश। –छात्रसंख्या के अनुसारअध्यापक/शिक्षा मित्र की नियुक्ति। –सतत मूल्यांकन का अभाव।। –निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की आवश्यकता।
10	जनपद	10.10.01	लखीमपुर	मु०वि०अ०, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला विद्यालय निरीक्षक,सहा०लेखाधिकारी,समन्वयक,बी० आर०सी०,शिक्षक प्रतिनिधि,	–असेवित बस्तियों में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता। –विद्या केन्द्रों की स्थापना। –चहारदीवारी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु अनुदान की आवश्यकता। –शिक्षा का सउद्देश्य न होना। –शिक्षकों का शिक्षण कार्य में रूचि न लेना। –अभिभावकों एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता एवं रूचि का अभाव। –अध्यापन को खेलपरक बनाने की आवश्यकता।

11	ग्राम	10.10.01	उमरिया नकहा	एन०पी०आर०सी० स०बे०शि०अ० प्र०अ० आंगनबाड़ी कार्य० प्रधान अध्यापक ग्राम प्रधान अभिभावक	–शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति रूचि का अभाव। –अभिभावकों में लाभपरक शिक्षा के प्रति अरूचि। –निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण प्रभावी होने की आवश्यकता।
12	ग्राम स्तर	11.10.01	बनकटी पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	–सामाजिक व्यवस्था में जनजाति का रूढ़ियों में रूचि एवं अन्धविश्वास प्रगति में बाधक है।जनचर्चा के माध्यम से इन्हें मिटाने हेतु प्रेरित किया गया। –शिक्षा के सभी साधनों के बावजूद भी शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं है। –अभिभावक अपनी बालिकाओं का नामांकन स्कूल में नहीं कराते ।
13	ग्राम	11.10.01	ज्ञानपुर फूलबेहड़	अधिकारी ,एन०पी०आर०सी०,ग्राम प्रधान एवं शिक्षा समिति के सदस्य	–अध्यापकों से शैक्षिक एवं राष्ट्रीय कार्य एवं अतिरिक्त अन्य कार्य कराना। –बच्चों की रूचि में कमी। –चहारदीवारी का अभाव। –अध्यापकों एवं अभिभावकों के साथ सामंजस्य। –बाल श्रमिकों की विद्यालय में लाने की आवश्यकता।
14	ब्लाक	11.10.01	नकहा	ख०वि०अ० स०बे०शि०अ० बी०आर०सी०.सी० ए०बी०आर०सर०सी० ग्रा०वि०अधि० ग्राम प्रधान	–दूरस्थ एवं दुर्गम विद्यालयों में शिक्षक / शिक्षा मित्र की आवश्यकता। –शिक्षक,छात्र अभिभावक में आपसी समन्वय का अभाव। इस हेतु प्रति शनिवार को उपर्युक्त इकाई का सहयोग प्राप्त करना। –जटिल एवंदूर्गम क्षेत्रों में विद्या केन्द्र खोलना।
15	ग्राम स्तर	12.10.01	सौनहा पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,जिला पंचायत सदस्य,स०बे०शि०अ०	–शिक्षकों की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी। –अध्यापकों का मानक के अनुसार स्वयं में उपलब्ध न होना। –विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना। –अध्यापकों में शिक्षा कार्य में अरूचि।
16	ग्राम	12.10.01	मुड़िया खुर्द फूलबेहड़	बी०आर०सी०,ए०बी०आर०सी०,एन०पी० आर०सी०प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	–चहारदीवारी की आवश्यकता,अध्यापकों की कमी,अभिभावक छात्रों एवं अध्यापकों में सामंजस्य का अभाव,सामाजिक सहभागिता का अभाव,असंवित बस्तियों में विद्या केन्द्र खोलना।

17	जनपद	12.10.01	लखीमपुर	अध्यक्ष,जिलापंचायत मा०सहाकरिता मंत्री मुख्य विकास अधि० सदस्य विधान परिषद विधायक सदस्य जिला पंचा० जिला अर्थसंख्याधिकरी	–बाल श्रमिकों ,घुमन्तू,विकलांग बच्चों का शत प्रतिशत प्रवेश। –बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्या केन्द्रों की स्थापना। –सम्पूर्ण जनपद में मास का प्रथम सोमवार अभिभावक,छात्र, अध्यापक सम्पर्क दिवस के रूप में संचालित किया जायेगा। –विद्यालयों में सतत मूल्यांकन हेतु अभियान।
18	ग्राम	12.10.01	चहमलपुर नकहा	स०बे०शि०अ० बी०आर०सी० ए०बी०आर०सी० ग्राम प्रधान पंचायत सदस्य एन०पी०आर०सी० अभिभावक प्रधान अध्यापक	–समय विभाग चक का अभाव। –शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य लेना । –समाजिक एवं आर्थिक चेतना का अभाव। –मासिक/पाक्षिक जनसम्पर्क की आवश्यकता।
19	ग्राम स्तर	13.10.01	परसिया एव पाया पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,बी०आर०सी० ,ए०बी०आर०सी०	–जनजातीय लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में कमी। –बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संरक्षकों की उदासीनता। –आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।
20	ग्राम	13.10.01	परसा नकहा	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षा मित्र	–चहारदीवारी की आवश्यकता। –शिक्षकों की आवश्यकता। –महिला अभिभावकों द्वारा बालिकाओं में ठहराव वृद्धि हेतु महिला माताओं से जनसम्पर्क। –बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं के नियमित मूल्यांकन का अभाव।
21	ग्राम	13-10-2001	जुमुनिया	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षा मित्र	छात्रसंख्या के अनुसार अध्यापक नियुक्ति पर विचार --दूरस्थ ग्राम होने के कारण बालिकाओं के नामांकन के अनुसार ठहराव की स्थिति पर विचार –बच्चों का शिक्षण स्तर सामान्य है।
22	ग्राम स्तर	14.10.01	त्रिलोकपुर पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,ए०बी०आर०सी० अभिभावक	–अध्यापकों का मानक के अनुसार संख्या में उपलब्ध न होना। –बच्चोंकी व्यक्गित रूचि में कमी। –निरीक्षण एवं पर्यवेक्षणका प्रभावी न होना। –सामाजिक सहभागिता का अभाव ।

A-20

23	ग्राम	14.10.01	गड़रियनपुरवा फूलबेहड़	बी०आर०सी०,ए०बी०आर०सी०,एन०पी० आर०सी०प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति	–गांजरी क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं के ठहराव में कमी, –अध्यापकी की कमी। –खेल कार्यकमों का अभाव। –सामाजिक सहभागिता का अभाव। –अध्यापक छात्र अभिभावक समन्वयक एवं सम्पर्क की आवश्यकता।
24	ग्राम स्तर	15.10.01	कृ णानगर पलिया	प्र०अ०,शिक्षामित्र,ग्रामप्रधान,संकुल प्रभारी सदस्यशिक्षा समिति,बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० एवं अभिभावक	अध्यापक से अन्य विभागों का काम कराना। –शिक्षामेंगुणवत्ता परकसुधार अपेक्षित है। –जिन बस्तियों में विद्यालय नहीं है,वहां के बच्चों के लिये शिक्षा केन्द्र खोलना। –शौचालयएवं,चहारदीवारी की कमी।
25	ग्राम	18-10-2001	बाजपेई	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षा मित्र	–छात्रवृत्ति वितरण शीघ्र कराया जाये। –छात्रसंख्या अनुसार एक अतिरिक्त कक्ष बनवाया जाये। –ग्राम शिक्षा समिति प्रति सोमवार ग्राम में अध्ययनरत छात्रों/अभिभावकों से सम्पर्क करे।
26	ग्राम	19-10-01	कालाआम	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक शिक्षा मित्र एवं सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी	–बालिकाओं के नामांकन अनुसार ठहराव वृद्धि हेतु महिला माता समूहों का महिला अभिभावकों से सपर्क। –बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं का नियमित मूल्यांकन। –विद्यालय की स्थिति सुधार हेतु नियमित पर्यवेक्षण।
27	न्याय पंचायत	29-10-2001	सलेमपुर	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य	शहरी क्षेत्र से लगा हुआ होने के कारण नवीन विधाओं के द्वारा गणित एवं विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता। – अभिभावकों की शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करने हेतु नियमित सम्पर्क । –सामाजिक एवं आर्थिक चेतना का अभाव।
28	ग्राम	30-10-2001	रूद्रपुर कला	ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक	सामाजिक सहभागिता का अभाव। –शिक्षा की गुणवत्तापरक सुधार हेतु समय सारणी अनुसार शिक्षण।

29	ग्राम	31-10-2001	लगुचा	बी०आर०सी० ग्राम प्रधान एन०पी०आर०सी० प्रधान अध्यापक पंचायत सदस्य अभिभावक सहाय०बे०शि०अ०	प्राथमिक विद्यालय के पुराने भवन की मरम्मत हेतु विचा विमर्श। –चहारदीवारी का आवश्यकता। --खेलपरक शिक्षा हेतु साप्ताहिक कार्ययोजना निर्माण।

विकास क्षेत्र वार ग्राम शिक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क०सं०	विकास क्षेत्र	अक्टूबर 2001 की तिथियां						नवम्बर 2001 की तिथियां						योग
		8	9	10	11	12	13	1	2	3	5	6	7	
1	लखीमपुर	2	1	2	-	1	2	2	1	-	1	1	1	14
2	बेहजम	2	2	2	-	1	1	2	1	1	3	2	1	18
3	नकहा	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	ईसानगर	1	1	2	2	1	1	2	2	2	-	-	2	16
5	धौरहरा	1	1	1	1	-	-	1	1	2	1	2	1	12
6	रमियाबेहड़	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	18
7	निघासन	2	2	2	2	2	2	1		1	1	1	1	17
8	पलिया	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
9	बांकेगंज	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
10	कुम्मी	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	10
11	मोहम्मदी	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	9
12	मितौली	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	21
13	बिजुआ	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	16
14	पसगवा	1	2	2	2	-	2	2	2	1	2	2	2	17
15	फूलबेहड	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	योग													216

42

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा–1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्व भौमिकरण राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया है । ससर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चालाया जायेगा। नई पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85.15 ,दशम पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75.25 तथा उसके आगे की अवधि के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 रहेगा ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य रूप से निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:–

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय ,शिक्षा गारण्टी केन्द्र ,वैकल्पिक केन्द्र ,बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन ।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्णकरलेना।
- गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक बालिका समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत् अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद ने यथावत् स्वीकार कर लिया है लिये मान लिया गया है,उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये।जिनका विवरण आगे अंकित है।

बालसंख्या एवं नामांकन प्रपोजल्स हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना 2001 से प्रदेश के जनपदवार जनसंख्या के आंकड़ें प्राप्त हो गये हैं । जनगणना 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मानते हुये विगत वर्षों में जनपद की जनसंख्या में वृद्धि हुयी हैं। वृद्धि के आधार पर नीपा नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी । जनपद की वार्षिक जनसख्या वृद्धि दर 2.3% है। इसी वार्षिक वृद्धिदर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवार जनसंख्या के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ,अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुये वर्ष 2001 तथा इसके आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6 से 11 वयवर्ग की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11 सें 14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ,ग्रामीण /नगरीय ,अनुसुचित जाति/जनजाति के लिये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुये नीपा नई दिल्ली द्वारा प्रति पारित इनरोलमेण्ट मैथेड से सत्र 2000 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बालसंख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर 6 से 11 के लिये वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11सें 14 तक के लिये वर्ष 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है । चूंकि कुल नामांकन में कुछ कम आयु एवं अधिक आयु के बच्चे होंगे अस्तु जी०ई०आर का लक्ष्य 100 सें अधिक रखा गया है।यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी,क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वयवर्ग के बढ़ेंगें उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

ठहराव के लक्ष्यः–

सर्व शिक्षा अभियान योजना की संरचना के अन्तर्गत जनपद में प्राथमिक स्तर पर ठहराव वर्ष **2007** तक एवं लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस आधार पर प्राथमिक स्तर ड्राप को कम करने के लक्ष्य निम्नवत् निर्धारित किये गये हैंः–

वर्ष	प्राथमिक स्तर ड्राप आउट की दर का नियोजन	उच्च प्रा०स्तर पर ड्राप आउट की दर का नियोजन
2000-01	36	22
2001-02	35	18
2002-03	29	11
2003-04	23	9
2004-05	16	05
2005-06	09	04
2006-07	04	0
2007-08	0	0
2008-09	0	0
2009-10	0	0

सर्व शिक्षा अभियान परियोजना के अन्तराल जनपद में ड्राप आउट कम करने के लिये अनुश्रवण हेतु प्रत्येक दो वर्ष पर प्राथमिक विद्यालय स्तर का ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर के ड्राप आउट का आकलन करने हेतु पृथक–पृथक कोहार्ट स्टडी के माध्यम से समीक्षा की जायेगी।

अध्याय–5

समस्यायें एवं रणनीतियां

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन हेतु विकेन्द्रीकृत प्रकिया के रूप में जनपदीय अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं सामाजिक एवं शैक्षिक विकास में रूचि रखने वाले समूहों,व्यक्तिगत व्यक्तियों,शिक्षकों ,जिला पंचायत,क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक चर्चा की गयी ,जिनके आधार पर मुख्य समस्यायें एवं उनके प्रति अपेक्षित कार्यवाही की जानकारी हुयी प्रमुख समस्या के रूप में बालगणना केअनुसार शत प्रतिशत नामांकन कर एवं तद्नुसार विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने एवं सभी नामांकित बच्चों के ठहराव पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।

परिषदीय विद्यालयों की छात्रयंख्या 6-11 वयवर्गवर्ष 2002-03

कक्षा	कुल छात्रसंख्या			अनु०जाति की छात्रसंख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1						
2						
3						
4						
5						
योग						

स्रोतः–विभागीय आंकडें

परिषदीय विद्यालयों की छात्रयंख्या 11-14 वयवर्ग वर्ष 2002-03

कक्षा	कुल छात्रसंख्या			अनु०जाति की छात्रसंख्या		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
6						
7						
8						
योग						

स्रोतः–विभागीय आंकडें

छात्रसंख्या सारणी देखने से स्पष्ट है कि बालिका विद्यार्थियों की संख्या बालकों की अपेक्षा न्यून है। विशेषतया अनुसूचित जाति की बालिकाओं के प्रवेश एवं ठहराव हेतु विशेष अभियान की आवश्यकता है। इस हेतु निम्नांकित रणनीतियां बनाई गयी :–

समस्यायें व रणनीति

मुद्दे	रणनीति
1–आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन	जनपद में समस्त शिक्षा विभाग विकास विभाग की जनपदीय,क्षेत्रीय एवं ग्राम स्तरीय इकाईयों के द्वारा व्यापक रूप से बैठकों ,सामूहिक चर्चा भ्रमण के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रभावी प्रयास किया जायेगा। इस हेतु जनपद में पूर्व से संचालित ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियों एवं साक्षरता समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी ।
2–शिक्षा के लाभ की अनिश्चितता	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिये निश्चित कार्ययोंजना तैयार की जायेगी यथा प्रारम्भिक शिक्षा के साथ ही पुस्तक कला,सिलायी –कढ़ायी, ग्रामीण एवं नगरीय क्षे.त्र में स्थानीय शिल्प,मेंहदी,बुनायी,चटायी निर्माण आदि की कला सिखाने का प्रबन्ध किया जायेगा ,सिलायी शिक्षा के मशीनों की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है। जनपद में पूर्व में छात्रों को टाट पट्टी बुनायी का निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका हैं। साथ ही अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी ऐसे अध्यापक कार्यरत हैं जिनहें जनपद स्तर पर टाट पट्टी बुनाई एवं प्रशिक्षण का कार्य दिया गया था।
3–भौगोलिक एवं प्राकृतिक अवरोध के कारण शैक्षिक समस्या	जनपद गांजरी एवं नदियों के जिला से विख्यात है,अस्तु समस्त ऐसी बस्तियों में शिक्षा गारंटी योजना /नवाचार शिक्षा केन्द्रों के द्वारा शत प्रतिशत नामांकन कराया जायेगा एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा।
4–असेवित एवं मलिन बस्तियो में विद्यालयी सुविधा का अभाव	300 से 800 तक की आबादी वाले ग्रामों ,बस्तियों तथा 1.5 किमी एवं 3.00 किमी की दूरी पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधा उपलब्ध वाले ग्रामों /बस्तियों में प्राथमिक एवं उच्च प्रथमिक विद्यालय खोले जायेगें साथ ही मानक के अनुसार प्राथमिक,उच्च प्राथमिक विद्यालयी सुविधा से वंचित बस्तियों में इ०जी०एस० एवं ए०आई०ई० केन्द्रों की सीपना की जायेगी ,नगर क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार असेवित मलिन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
5–विद्यालयों में भौतिक सामग्री/संराधन का अभाव–	सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त मांग के अनुसार विद्यालयों को समस्त भौतिक सामग्री मेज, कुर्सी, टाट–पट्टी,श्याम पट आदि उपलब्ध कराये जायेंगे साथ ही चहारदीवारी एवं शौचालय विहीन विद्यालयों में इनका निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जायेगा
6–शिक्षा के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों में जागरूकता का अभाव	वर्तमान में समाज,शिक्षा को मात्र व्यवासायिक लाभ के लिये ग्रहण करना चाहता है। इस नकारात्मक सोच में परिवर्तन हेतु सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जायेगा

7–बच्चों में शैक्षिक रूचि की कमी	शिक्षा रूचिपरक हो इसके लिये रूचिपूर्ण पाठ्यकम का निर्माण कराया जायेगा । समय विभागचक को प्रभावी ढंग से लागू करना एवं रूचिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यकमों का समावेश,अध्ययन एवं अध्यापन में किया जायेगा।
8–विद्यालय–छात्र एवं अध्यापक अनुपात के अनुसार विद्यालयों की कमी	सर्वेक्षण के अनुसार विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। 40 :1 में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से शिक्षको द्वारा सकारात्मक एवं गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान की जायेगी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यकम का विभाजन कर समय विभाग चक्र बनाया जायेगा।
9–अध्यापकों की विभागीय कार्यकमों के अतिरिक्त अन्य शासकीय कार्यकमों में भागीदारी।	शासन के निर्णय हेतु यह प्रस्ताव कराया जायेगा कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य शिक्षकों से कराये जायें,जिससें अध्यापन कार्य में बाधा न हो। विद्यालय को इकाई मानते हुये अध्यापकों को पूर्ण रूपेण पठन पाठन हेतु उत्तरदायी बनाया जाये। अध्यापक के शिक्षण को आधार मानकर अध्यापकों को वार्षिक वृद्धि चयन–वेतनमान की सुविधा दी जायेगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये प्रतिकूल प्रविष्टि आदि दी जायेगी।
10–निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण	मानक के अनुसार समस्त छात्र छात्राओं को कक्षा एक से आठ तक की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी।
11–छात्र अनुपात मे अध्यापकों की नियुक्ति न होना	विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण पठन पाठन में गुणवत्ता न्यून बनी रहती है। अतः प्राथमिक स्तर पर कम से कम दो अध्यापको की नियुक्ति प्रस्तावित है। एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित,विज्ञान,अंग्रेजी एवं संस्कृत / उर्दू विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
12–अध्यापकों की शिक्षण कार्य में अरूचि	अध्यापकों को विषयवस्तु आधारित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे। देशकाल एवं विज्ञान आदि की सामान्य जानकारी हेतु प्रति दो माह बाद सामान्य ज्ञान पत्रक उपलब्ध कराये जायेंगे।

13–विद्यालयों का अनाकर्षक होना।	प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक प्राथमिक एवं एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा,इन विद्यालयों को आधुनिक शिक्षण प्रणाली यथा टी०वी०,टेप रिकार्डर,माइकोफोन एवं कम्प्यूटर शिक्षा व्यवस्था से नगर एवं ग्रामीण खेत्र के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों को यथा सम्भव विद्युतीकरण युक्त किया जायेगा। समस्त विद्यालयों की रंगायी पुतायी आदि की व्यवस्था पूर्व से चल रही है ,विद्यालय परिसर आदि को आकर्षक बनाने हेतु आकर्षक पेड़ पौधे फूल बूटे आदि का रोपड़ किया जायेगा ।
14–छात्रों का गणवेश	विद्यालय परिवेश को अनुकूल बनाने हेतु यथासम्भव गणवेश वयवस्था की जायेगी। स्वस्थ गणवेश एवं आकर्षक विद्यालय परिसर से छात्रों का व्यक्तित्व मुखर होगा।
15–अध्यापक–अभिभावक एव ग्राम शिक्षा समितियों में समन्वय	ग्राम शिक्षा समितियों की मासिक बैठकों में एवं समिति सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति हेतु उनसे सम्पर्क कर निवेदन किया जायेगा साथ हि बैटकों में माता समूहो की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी!
16–सतत मूल्यांकन का अभाव	गुणवत्ता परक शिक्षा के लिये सतत एवं प्रभावी मूल्याकन शिक्षा एवं शिक्षण का मेरूदण्ड है। मूल्यांकन मासिक ,त्रैमासिक,अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रूप में कराया जायेगा । मासिक मूल्यांकन में कमजोर छात्रों की अतिरिक्त शिक्षा की विद्यालय अवकाश के बाद अतिरिक्त कक्षायें चलायी जायेंगी। अभिभावको को भी उनके पाल्य के अंकों की जानकारी करायी जायेगी साथ ही प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति एवं गणमान्य व्यक्तियों से पुरस्कृत कराया जायेगा।
17–निरीक्षण/पर्यवेक्षण की कमी	एन०पी०आर०सी०/बी०आर०सी समन्वयक,प्रति उप विद्यालय निरीक्षक,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,डायट अभिकर्मी एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा विद्यालयों का प्रभारी निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जायेगा । विद्यालयो की ग्रेडिंग करके अच्छे विद्यालयों एवं शिक्षकों को पुरस्कृत किया जायेगा एवं खराब विद्यालयों वाले अध्यापको के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
18–शारीरिक चुनौती वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था	सूक्ष्म नियोजन के सर्वेक्षण अनुसार शारीरिक चुनौती वाले बच्चों की बस्तीवार सूचना तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए०डी०पी०आई० के बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा। आवश्यकतानुसार एक ही बस्ती में ऐसे बच्चों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोला जायेगा।

19–बाल श्रमिक ,घुमन्तू एवं मजदूर पेशा बच्चों एवं अभिभावकों में शिक्षा कमी	समस्याग्रस्त इन बच्चों के अभिभावकों से अध्यापकों एवं ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा उनसे ऐसे बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क करके जागरूक बनाया जायेगा । सम्बन्धित बस्ती ग्राम मुहल्ले में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।इस कार्य में श्रम विभाग का सहयोग लेते हुये बच्चों को उनकी योग्यतानुसार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।
20–बच्चों का विद्यालय ठहराव	विद्यालयों में ठहराव हेतु विद्यालयों को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाया जायेगा। सामान्य पठन पाठन की सुविधाओं से युक्त किया जायेगा। प्रोत्साहन स्वरूप राष्ट्रीय अवसरों पर समस्त खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया जायेगा।

अध्याय-6
शिक्षा की पहुंच का विस्तार

प्राथमिक स्तर पर नवीन भवनों की स्थापनाः-

जनपद में 1997 के सर्वेक्षण के अनुसार 473 असेवित बस्तियां ऐसी चिन्हित की गयी थी,जिनमें राजकीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हों सकती है। लेकिन पर्याप्त संसाधनों के उपलब्ध न होने के कारण सभी असेवित बस्तियों में विद्यालय नही खोले जा सके जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम -।। के अन्तर्गत 168 विद्यालयों की स्थापना असेवित बस्तियों में 1998.99 तक कर दी गयी हैं। वर्ष 2000. 2001 में जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार कुल असेवित बस्तियों की संख्या हो पायी हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-।। में निर्माण कार्य की सीलिंग 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत किये जाने के फलस्वरूप 30 नवीन प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वर्ष 2001.2002 के अन्तर्गत कर लिया गया है और वर्ष 2002.2003 में 117 नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव डी0पी0ई0पी0 में किया गया था किन्तु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न हो पाने के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये थे जिसकी स्वीकृति वर्ष 2003.04 में प्राप्त हुयी हैं। जनपद के सघन सर्वेक्षण से यह स्थिति सामने आयी कि 118 विद्यालयों के खेलने से समस्त जनपद सेवित हो जायेगा अतः आागामी वर्षो में प्राथमिक विद्यालय का प्रस्ताव नही किया जा रहा है। जिनके खुलने से परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से अंकित किये गये बच्चों का अधिक से अधिक नामांकन भी इन विद्यालयों में सुनिश्चित हो सकेगा।

विद्यालय पुनर्निर्माण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों पुनर्निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जनपद में कुल 125 पाथमिक एवं 3 पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवनहीन विद्यालय है जिनका विकास क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् हैः-

क0स	विकास क्षेत्र का नाम	प्राथमिक विद्या0 सं0	निर्माण वर्ष	पृ0मा0वि0संख्या	निर्माण वर्ष
1	मोहम्मदी	9	1775 से पूर्व	0	0
2	पसगवां	13	तदैव	0	0
3	मितौली	11	तदैव	1	1950 से पूर्व
4	लखीमपुर	8	तदैव	0	
5	नकहा	2	तदैव	0	
6	बेहजम	15	तदैव	0	
7	फूलबेहड़	5	तदैव	0	
8	कुम्भी	10	तदैव	0	
9	बिजुआ	7	तदैव	0	
10	बांकेगंज	12	तदैव	0	
11	रमियाबेहड़	4	तदैव	0	
12	धौरहरा	4	तदैव	0	
13	पलिया	6	तदैव	0	
14	निघासन	2	तदैव	0	
15	ईसानगर	11	तदैव	0	
16	नगर क्षेत्र	5	तदैव	2	तदैव
	योग	125		3	

शिक्षक व्यवस्था :-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विधालय में एक प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था प्रस्तावित है,जोकि छात्रसंख्या बढ़ने पर 1रू40 के अनुपात में बढ़ायी जायेगी। नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक व चार स0अ0 सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था होगी । सहायक अध्यापकों में विज्ञान ,गणित व महिला शिक्षक की नियुक्ति की जायेगी

विद्यालय साज सज्जा

प्रत्येक नवीन प्रा0वि0 एवं उच्च प्रा0वि0 को सुसज्जित करने के लिये आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण शिक्षण सामग्री खेल सामग्री,टाट पट्टी,श्याम पट आदि हेतु निर्धारित धनराशि ग्राम शिक्षा निधि खाते में उपलब्ध करायी जायेगी एवं ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से समस्त सामग्री की व्यवस्था करायी जायेगी।

पेयजल तथा शौचालय

नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का नल लगाये जायेंगे। प्रति विद्यालय बालक बालिकाओं के लिये पृथक पृथक शौचालय निर्माण हेतु विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने हेतु मानक के अनुसार धन ग्राम शिक्षा समिति को दिया जायेगा ।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था एवं तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था

विकेन्द्रित व्यवस्था एवं विद्यालय के प्रभावी भागीदारी के उद्देश्य से भवन निर्माण का दायित्व ग्राम शिक्षा समितियों को सौंपा गया है। तकनीकी पर्यवेक्षण ग्राम विकास अभिकरण एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा एवं विकास विभाग के अभियन्ताओं को सौंपा गया है। व्यवस्था का विवरण अध्याय -10 परियोजना कियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लागत में कमी लाने की व्यवस्था

जनपद में स्थापित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही की जाये ,जिससे दोनो विद्यालय भूमि ,भवन ,हैण्डपम्प ,शौचालय ,चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का उपयोग दोनो विद्यालयों द्वारा किया जा सके। जिससे स्थापना लागत में कमी आयेगी ।

नवीन प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा:-

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से किया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित सामग्री का क्रय किया जायेगा-मेज,कुर्सी,बाल्टी,घण्टा,लोटा,गिलास,टाट पट्टी, अलमारी,सन्दूक,श्याम पट,कूड़ादान,संगीत संत्र ; ढोलक,मजीरा,हारमोनियम,रिंग,गेंद,कूदने की रस्सी ,टायर युक्त कूदने की रस्सीद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री ;गणित किट ,विज्ञान किट,मानचित्र,शैक्षिक चार्ट,ग्लोब,शब्दकोष,ज्ञान कोष,खिलौने,बौद्धिक खेलकूद के ब्लाक आदिद्ध । उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी,किन्तु ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट,गणित किट,सुलभता से उपलब्ध नही हो पाते हैं,इसलिये इनकी व्यवस्था जनपदीय क्रय समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय साज सज्जा:-

ग्राम शिक्षा को मानक के अनुसार धनराशि प्रेषित की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति इस धनराशि से निम्नलिखितसामग्रीकोक्रयकरेगी-मेज,कुर्सी,बाल्टी,घण्टा,लोटा,गिलास,कूड़ादान,संगीत यंत्र ;ढोलक,मजीरा,हारमोनियम,रिंग,गेंद,कूदने की रस्सी ,टायर युक्त कूदने की रस्सीद्ध कक्षा शिक्षण सामग्री ;गणित

क्रिट ,विज्ञान किट,फुटबाल,बालीबाल,स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प,क्लास रूम टीचिंग मैटेरियल ,मापचित्र,शब्दकोष,ज्ञान कोष,टू उन वन,आदि आदि तथा शिखक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षणः-

प्रस्तावित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आकलन हेतु प्रतिवर्ष त्वरित सवेक्षण कराया जायेगा जिसमें आगामी वर्ष के बजट एवं नवीन विद्यालय की स्थापना तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता का प्रस्ताव सम्मिलत किया जाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सर्वेक्षण कार्य हेतुरू0 २०० लाख वार्षिक का वित्तीय प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े / सूचनाओं का प्रयोग पन्रियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

समस्त निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण

जनपद के लिये अपेक्षित विद्यालय भवन शौचालय हैण्डपम्प ,चहारदीवारी व अतिरिक्त कक्षा कक्ष आदि निर्माण कार्यो को ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पूर्ण कराया जायेगा । इन निर्माण कार्यो का तकनीकी पर्यवेक्षण विकास खण्ड स्तर पर तैनात ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिचाई के अभियन्ताओं से सुनिश्चित कराया जायेगा । इसके लिये अपेक्षित व्यवस्था का उल्लेख परियोजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी अध्याय 10 में इंगित किया गया है।

अध्याय-7

शिक्षा की पहुंच का विस्तार-।।

शिक्षा गारंटी योजना/नवाचार शिक्षा/वैकल्पिक शिक्षा योजनाः-

सर्व शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा के स्वरूप को परिवर्तित करते हुये शिक्षा गारण्टी योजना /वैकल्पिक शिक्षा योजना एवं नवाचार शिक्षा को संचालित किया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षाः-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षो में सरकार ने कुछ विशेष प्रयास किये हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राथमिक शिक्षा की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औपचारिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के साथ वर्ष 1979.80 से 31.3.2001 तक जनपद में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इसके अन्तर्गत 6.14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चों को जो विद्यालय नही पहुंच पाते थे अथवा जिनके क्षेत्र में विद्यालय नही था,अथवा किन्ही कारणों से विद्यालय छोड़ दिया था एवं कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा के समतुल्य शिक्षा उपलब्ध कराई गयी।

जनपद में 15 विकास खण्डों में 15 परियोजनायें संचालित की गयी,प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये । अनौपचारिक शिक्षा का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् बालक कक्षा-5 की परीक्षा उर्त्तीण करके कक्षा-6 में मुख्य धारा में प्रवेश लेकर शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ जाता था। प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चों का नामांकन किया गया। जिसमें बालिकाओं के पंजीकरण पर अधिक बल दिया गया।

उपलब्धिः-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से कार्यक्रम की उपलब्धियां हुयी,परन्तु उतनी संकल्पनाओं के अनुरूप परिलब्धियां नही रही। अतः वैकल्पिक नवाचार शिक्षा योजना लागू की जा रही है।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वैकल्पिक शिक्षा के अन्तर्गत जनपद में 1998.99 में दो माडल 1- शिक्षा घर 2- ऋषि वैली 2000.2001 में विद्या केन्द्र स्थापित किये गये हैः-

क्रमांक	माडल	99 से 2003 तक		2003.2004	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	शिक्षा घर	47	47	...	...
2	ऋषि वैली	60	60	...	...
3	विद्या केन्द्र	93	93	200	200
4	ए0आई0ई0			150	150

वर्ष 2002.03 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेंगे। फिर भी जनपद की आवश्यकता को देखते हुये अग्रिम वर्षो में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता रहेगी,जिसे वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा क्या है:-

संविधान के अन्तर्गत 6.14 वयवर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया गया है। अतः सरकार ने सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र संचालन करने का निर्णय लिया है।

- यह अभियान उन बच्चों के लिये शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प है जो पारिवारिक परिस्थितियोंवश अर्थोपार्जन या अन्य सामाजिक कारणों से विद्यालय जाने की उम्र होते हुये भी पढ़ने नही जा सकते हैं।
- यह उन बच्चों के लिये भी शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर है जो विद्यालय में पढ़ने तो गये किन्तु प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ दिया ।
- यह उन बच्चों के लिये भी है जो कामकाजी हैं,विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं अथवा बाल श्रमिक हैं।
- यह शिक्षा सार्वजनीकरण का अभियान है।

वैकल्पिक शिक्षा नवाचार शिक्षा क्यों:-

प्रायः ऐसा पाया जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग आधे बच्चे परिस्थितियों से विवश होकर बीच की कक्षा में ही ड्राप आउट करके चले जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चे बच्चे बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं,कुछ बच्चे पैतृक व्यवसाय में लग जाते है और कुछ विशेषकर लड़कियां माता पिता के काम पर चले जाने के बाद अबोध शिशुओं की देखभाल के लिये घर पर रहती है।

कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर औपचारिक विद्यालयों में प्रतिदिन 6 घण्टे का समय शिक्षा ग्रहण करने के लिये नही दे पाते हैं।

कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं किन्तु गांव में प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।

इन सभी बच्चों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक ऐसे वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा अभियान की आवश्यकता अनुभव हुयी ,जिसमें शिक्षार्थी की परिस्थितियों के साथ तालमेल स्थापित करने की गुन्जाइश है।

डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत जनपद में संचालित वैक0शिक्षा केन्द्र /विद्या केन्द्र का कक्षावार एवं श्रेणीवार नामांकन

कक्षा	अनु0जाति			अनु0जनजाति			पिछड़ी जाति			अल्पसंख्यक			सामान्य			कुल योग		
	ठ	ळ	ज	ठ	ळ	ज	ठ	ळ	ज	ठ	ळ	ज	ठ	ळ	ज	ठ	ळ	ज
1	652	535	1187	188	144	332	1017	764	1781	210	162	372	115	102	217	2182	1707	3889
2	331	286	617	57	44	101	324	255	579	83	63	146	38	30	68	833	678	1511
3	51	34	85	14	11	25	38	33	71	10	8	18	6	4	10	119	90	209
योग	1034	855	1889	259	199	458	1379	1052	2431	303	233	536	159	136	295	3134	2475	5609

विद्या केन्द**EGS**:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत डी0पी0इ0पी0 के अन्तर्गतू पूर्व से संचालित विद्याल केन्द्रों की संख्या को सम्मिलित करते हुये कुल केन्द्र वर्श 2003.2004 में 200 संचालित हैं जो आगे भी संचालित रहेंगे। आउट आफ स्कूल बच्चों को दृष्टिगत रखतु हेय एवं भविष्य में नवीन प्राथमिक विद्यालय न स्थापित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुये इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि भी आवश्यक है। जो 20 केन्द्र प्रति वर्ष की दर से परियेाजना के अन्त तक रहेगी।

आर्थिकः-

जनपद लखीमपुर में 15 विकास क्षेत्र हैं । विकास क्षेत्र पलिया, निघासन, रमियाबेहड़, धौरहरा व ईसानगर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित हैं। यह विकास क्षेत्र आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से अति पिछड़े हैं । विकास क्षेत्र पलिया में चार प्रकार के निवासी 1. मूल निवासी हिन्दू एवं मुस्लिम,2. भारत सरकार द्वारा भारत विभाजन के समय सिख समुदाय को आश्रय देकर बसाया गया 3. पूर्वांचल जनपदों के लोगों को बसाया गया 4. अनुसूचित जन जाति- थारू जो जंगलों के बीच अपनी बस्तियां बनाये हुये हैं।

सामाजिक स्थितिः-

यहां सिख समुदाय अपने परिश्रम के कारण सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी बनाये हुये हैं एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सन्तोषजनक नहीं हैं। ये लोग शैक्षिक रूप से अति पिछड़े हुये हैं। पलिया से जुड़े हुये विकास क्षेत्र निघासन में भी थारू जनजाति के लेाग निवास करते हैं। दोनेा विकास क्षेत्र जनपद मुख्यालय से दूर होने के कारण स्थानीय शिक्षकों की संख्या बढ़ाये जाने की अति आवश्यकता हैं।

बाढ़ ग्रस्तताः-

तहसील धौरहरा में तीन विकास खण्ड हैं। जो शारदा,घाघरा एवं सरयू नदियां प्रवाहित होने के कारण वर्ष में लगभग चार माह बाढ़ग्रस्त रहते है। अतः यहां लोगों की सम्पत्ति को प्रतिवर्ष हानि होती रहने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े हुये हैं। यहां भी विद्यालय एवं छात्रों की दृष्टि से अध्यापकों की कमी हैं। इसके साथ ही पसगवां एवं मोहम्मदी जनपद मुख्यालय से दूरी पर स्थित है। विकास क्षेत्र बांकेगंज में अनु0जाति के लोगों की संख्या अधिक है। चूंकि जनपद में बड़ी संख्या में अध्यापक विकास क्षेत्र लखीमपुर के निवासी होने के कारण अधिकांश अध्यापक लखीमपुर शहर के पास ही रहना चाहते है। अतः दूरस्थ विकास क्षेत्रों में अध्यापकों के ठहराव हेतु स्थानीय अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता हैं एवं शिक्षा मित्रों की भी नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता है। एकल अध्यापकीय विद्यालयों में एक शिक्षा मित्र की नियुक्ति करके 720 विद्यालयों को आच्छादित किया जा चुका है एवं डी0पी0ई0पी0 से 144 व बेसिक शिक्षा परिषद से 751 कुल 1615 शिक्षा मित्र की व्यवस्था करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ,परन्तु छात्रों की दृष्टि से छात्र / अध्यापक अनुपात में बड़ा अन्तर है। अतः प्रत्येक विद्यालय में कम से कम पांच शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु अध्यापक एवं शिक्षा मित्रों का चयन किये जाने की आवश्यकता है।

जनजाति बालिका शिक्षाः-

जंगली इलाकों के पास थारू जाति के लोग रहते हैं। पलिया में चन्दनचौकी गांव में थारू परियोजना के द्वारा एक आवासीय स्कूल एंव विकास क्षेत्र निघासन में ग्राम पंचायत बेला परसुआ में आश्रम पद्धति आधारित आवासीय स्कूल संचालित है। इन विकास क्षेत्रों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्या केन्द्र एवं वैकल्पिक शिक्षा के 11 केन्द्र संचालित किये गये है। इसमें शत प्रतिशत बालिकाओं एवं बालकों को शिक्षा प्राप्त हो सके,ग्रामवासियों से सम्पर्क किया गया एवं नामांकन करवाया गया। पांच मजरो में म्ळै केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

बंजारा बालकों की शिक्षाः-

जनपद में चार बंजारा गांव में विद्या केन्द्र संचालित किये गये हैं। बंजारा जाति के रहनें वालों के अन्य मजरों को भी चिन्हित किया गया है। जहां पर विद्या केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

बंगाली समुदायः-

बंगाली समुदाय के लोग किसी न किसी उद्योग से जुड़े हुये हैं,जैसे चटाई बनाना,दोने बनाना, पत्तल बनाना आदि कार्य ये लोग प्रमुखता से करते है। शिक्षा की दृष्टि से ये पिछड़े हुये है। बंगाली समुदाय में बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष कार्य किये जाने की आवश्यकता है। बंगाली लोग बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। यदि भेजते भी हैं तो इन बालिकाओं का विद्यालय में ठहराव नही हो पाता है। प्रयास के तौर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शारदा बैराज के पास बसी बंगाली कालोनी में वैकल्पिक शिक्षा केन्द संचालित किया गया। अन्य जगह केन्द्र संचालन करने की आवश्यकता है।

अल्पसंख्यक समुदायः-

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बच्चे विशेषकर बालिकाओं के लिये शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम प्रदान करवाते हैं। अतः अल्पसंख्यक समुदाय की संस्कृति एवं परम्पराओं को ध्यान में रखते हुये प्राथमिक स्तर पर जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

शिक्षा गारंटी/नवाचार योजना लागू करने की रणनीतिः-

शिक्षा गारंटी एवं नवाचार योजना लागू करने के लिये निम्न बिन्दुवार रणनीति अपनाई जायेगीः-

- ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से शिक्षा केन्द्र खोलने के लिये मांग करवाने का प्रचाार करना।
- बस्ती को सूक्ष्म नियोजन की इकाई बनाना।
- समूदाय का प्रशिक्षण।
- जन जागरण अभियान।
- बालिका शिक्षा के अन्तर्गत खासकर शिक्षा से वंचित रहने वाले,अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गो को विशेष ध्यान हेतु जन चेतना रैली के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।
- गोष्ठियां- जनपद स्तर ब्लाक स्तर ,न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर ।
- पूर्ण पारदर्शिता के साथ समुदाय आधारित अनुश्रवण तथा माइक्रोप्लानिंग आंकड़ों का प्रयोग।
- जागरूक महिलाओं से सहयोग देने का आमंत्रण।
- स्वयं सेवी संगठनों से सहयोग तथा विशेष क्षेत्र का शैक्षिक उन्नति का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव।

शिक्षा गारण्टी योजना/**Egs**:-

इस योजना के अन्तर्गत 6.11 वयवर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु ऐसे ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले जो विद्यालय से एक किमी0 की दूरी की परिधि के बाहर हैं एवं 6.11 वयवर्ग के 30 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिये उपलब्ध हैं,वहां पर म्ळै केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इन केन्द्रों में कक्षा-1 व 2 तक पढ़ाई होगी। इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर चिन्हित स्टेट सोसायटी उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना निशातगंज लखनउ के द्वारा किया जायेगा। इन केन्द्रों के संचालन हेतु प्रतिकेन्द्र एक अनुदेशक प्रस्तावित है।

वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा/**AIE**:-

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने के कारण झेंप,मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चे विशेषकर कामकाजी तथा बाल श्रमिक को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिन ग्राम/बस्ती/मुहल्लों में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित होंगे,वहीं पर ।प्म् केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ,यह केन्द्र प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनो स्तरों के चलाये जायेंगे। प्राथमिक स्तर पर केन्द्र में एक अनुदेशक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माइक्रोप्लानिंग के आधार पर नियोजन की प्राथमिकता:-

- अनुसूचित जाति ,अनु0जन जाति क्षेत्र ।
- ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत में कम है।
- ऐसे क्षेत्र जहां ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है।
- ऐसे क्षेत्र जहां स्ट्रीट चिल्ड्रेन ,बाल श्रमिक ,घुतन्तू बच्चे एवं खतरनाक एवं गैर खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या अधिक हैं।

इकाई लागत:-

क्र0सं0	आइटम	प्राथमिक केन्द्र	उच्च प्राथमिक केन्द्र
1	अनुदेशक का मानदेय	रू0 1000/माह/अनु0	रू0 2000/माह/दो अनु0
2	अनुदेशक प्रशिक्षण	रू0 1500/वर्ष,30 दिन के लिये	रू0 4000/वर्ष/दों अनु0,40 दिन के लिये
3	शिक्षण सामग्री	रू0100/छात्र	रू0 150/छात्र
4	शिक्षण सामग्री,केन्द्र	रू01100/केन्द्र	रू0 1200/केन्द्र
5	आक0व्यय	रू0 468.75/केन्द्र	रू0 500ण्00/केन्द्र

उक्त केन्द्रों की अधिकतम लागत में पांच प्रतिशत राज्य एवं जिला स्तर पर व्यय होने वाले प्रशासनिक व्यय तथा विकास खण्ड स्तर के प्रबन्धन पर व्यय सम्मिलित है।

ब्रिज कोर्स :-

क्षेत्र आधारित कोर्स / ब्रिज कोर्स शिविर सड़क प्लेट फार्म मलिन बस्तियों,दुकानों,घुमन्तू बच्चों बाल श्रमिकों खतरे के उद्योग में लगे बच्चों जिनका वयवर्ग 9.14 है ,के ब्रिज कोर्स क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविर संचालित किये जायेंगे। विकास क्षेत्र पलिया के मध्य एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विकास क्षेत्र फूलबेहड़ में भी एक ब्रिज कोर्स खोला जाना प्रस्तावित है।

ब्रिज कोर्स क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित रहे बच्चों को मुख्य शिक्षा की धारा मे लाने कर प्रयास किया जायेगा।

प्रत्येक ब्रिज कोर्स क्षेत्र विशिष्ट आधारित शिविरों में 9.14 वर्ष तक के न्यूनतम् 50 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे तथा यह शिविर आवासीय होंगे इन शिविरों में बच्चों के रहने ,खाने पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी। निर्धारित मानक के अन्तर्गत ब्रिज कोर्स/ शिविरों के लिये एक केयरटेकर , दो पैराटीचर, एक कुक तथा एक चौकीदार की आवश्यकता होगी। इनका चयन मानक प्रकिया के अनुसार किया जायेगा। इसके लिये जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अल्पकानील अवधि हेतु संविदा के आधार पर व्यवस्था की जायेगी। केयरटेकर अनुदेशकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था छात्र छात्राओं के लिये निःशुल्क सामग्री आदि के लिये वित्तीय मानक प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी की भांति रखी जायेगी। केवल आवासीय व्यवस्था खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था एवं साज सज्जा आदि के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था में ग्राम पंचायत,ग्राम शिक्षा समिति ,जन समुदाय का सहयोग से कुछ अंशदान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स खोलने हेतु उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी ,जहों पर निःशुल्क आवास व्यवस्था हो सके। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि ब्रिज कोर्स विकास खण्ड / जनप मुख्यालय में स्थापित हो। ब्रिज कोर्स का संचालन ग्रामीण/ नगर क्षेत्र के मुख्यालयों में किया जायेगा। आवासीय व्यवस्था यदि निःशुल्क प्राप्त हो जाये ,तो उस क्षेत्र स्थान को प्राथमिकता दी जायेगी। ब्रिज कोर्स/शिविरों की अवधि चार माह से 18 माह तक रखी जायेगी।

हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाने बच्चों का विवरण
5+ - 6+ , 7 - 10+ तथा 11-14 वयवर्ग के बच्चों का विवरण

कारण	5+ - 6+		7 - 10+		11 - 14	
	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1.अपने घर के कामों में लगे रहना	6081	6585	8082	8787	10126	1076
2.मजूदरी में लगे रहना	1237	1065	3380	1982	5155	2198
3.भाई बहनों की देखभाल	2878	5357	4714	5410	1709	5360
4.विद्यालय से दूर होने के कारण	0	1738	0	0	0	1325
5.अन्य कारण	1858	0	0	0	0	0
कुल योग	12054	14745	16872	16179	16990	9959

जनपद में विभिन्न कारणों से विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण परिवार सर्वेक्षण कार्य जो माह मई2003 में किया गया था, से प्रकाश में आया है। इन बच्चों में से अधिकांश बच्चों का प्रवेश परिषदीय प्राथमिक , उच्च प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में कराने का प्रयास किया किन्तु फिर भी बहुत से बच्चें जो विभिन्न कारणों से विद्यालय नही जा पा रहे हैं उपके लिये वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नामांकन का प्रयास किया जायेगा जिसे 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन कराकर पूरा किया जायेगा।

1. घरेल कार्य में व्यस्त रहना:-

ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा वैकल्पिक एवं नवचार शिक्षा के माध्मय से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। जिसका विवरण व लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्र0स0	कार्यक्रम	2003.04		2004.05		2005.2006		2006.2007	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ब्रिज कोर्स एनपीआरसी लेवल	156	6240	156	6240	156	6240	0	0
2	वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम	100	4000	100	4000	100	4000	0	0

2. मजदूरी में लगे रहना:-

मजदूरी में लगे रहने वाले बच्चों का उम्र अधिकांशत: 11.14 वयवर्ग के बीच की होती है किन्तु जनपद में कम उम्र के मजदूरी करने वाले बच्चों की संख्या भी काफ अधिक है जिसमें लिये नवीन

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्ष 2003.2004 में खालने के साथ ही साथ अन्य माध्यमों से शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

क0स0	कार्यक्रम	2003.04		2004.05		2005.2006		2006.2007	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ए0आई0ई0 प्रा0स्तर	150	4500	100	3000	100	3000	0	0
2	ए0आई0ई0 उच्च प्रा0स्तर	40	1600	20	800	20	800	0	0
3	आवासीय ब्रिज कोर्स	6	360	6	360	6	360	0	0

3. भाई बहनों की देखभाल के कारण

जनपद में कुछ बच्चे मुख्यतः बालिकायें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं, वे बच्चे स्कूल जाना प्रारम्भ तो करते हैं किन्तु नियमित रूप से न जा पाने के कारण अथवा रूचि न लेने के कारण स्कूल छोड़ देते हैं ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिये निम्नवत् कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा वर्तमान विद्यालयों को और अधिक आकर्षक एवं सुसज्जित कनाने का प्रयास कर विद्यालय में लाया जायेगा।

क0स0	कार्यक्रम	2003.04		2004.05		2005.2006		2006.2007	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	ई0सी0सी0 ई0 केन्द्र	150	6000	50	2000	50	2000	0	0
2.	ग्रीष्मकालीन शिविर	25	1000	35	1400	35	1400	0	0

4.अन्य कारण

जनपद में कुछ बच्चे रूढ़िवादिता एवं गरीबी , खराब भौगिोलिक स्थिति के कारण विद्यालय नही जा पाते हैं। इन बच्चों को विद्यालय में लाने के वर्ष 2003.2004 में 200 विद्यालय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं एवं ब्रिज कोर्स भी संचालित किये जा रहे हैं। जिनसे अपेक्षित सफलता प्राप्त हुयी है। इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु निम्न प्रकार कार्यक्रम तेयार किये गये हैः-

क0स0	कार्यक्रम	2003.04		2004.05		2005.2006		2006.2007	
		संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे	संख्या	बच्चे
1	विद्या केन्द्र	200	8000	20	800	20	800	0	0
2	एस0एसी0एसटी ग्रिज कोर्स	7	280	10	400	10	400	0	0

इसके साथ ही विद्यालयों को आकर्षक बनाकर , मध्यान्ह भाजेन योजना एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित कराकर बच्चों को स्कूल आने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य प्राप्त में अब तक के प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि बालक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश तो हो जाता है परन्तु सामाजिक,आर्थिक एवं शैक्षिक कारणों से ठहराव में स्थायित्व न होने एवं उसमें वृद्धि न होने के कारण ड्राप आउट की समस्या आती है। ड्राप आउट समस्या को अधिकांशतः खत्म करने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव वृद्धि करने के लिये प्रभावी रणनीति बनायी गयी है ,जोकि निम्नांकित हैः-

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं कीआवश्यकता

सारणी 8ण्1

क्र0सं0	आइटम/सुविधा का नाम	प्राथमिक सतर	उच्च प्राथमिक स्तर
1	विद्यालय पुनर्निमाण	125	3
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1388	92
3	पेयजल सुविधा	61	0
4	शौचालय	149	50
5	चहारदीवारी	0	0

प्राथमिक स्तर पर अतिरिक्त कक्षों की मांग निम्नलिखित आधार पर की गयी हैः-

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में तीन कक्षों की आवश्यकता को धन मे रखते हुये कक्षा कक्षों की मांग की गयी है एवं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में पांच कक्षा कक्षों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मांग की गयी है। जिनका वर्षवार लक्ष्य निम्नवत है।

स्तर	वर्ष 2004.05	2005.2006	2006.2007	कुल योग
प्राथमिक विद्यालय	500	500	388	1388
उच्च प्रा0वि0	50	42	0	92

विद्यालयी सुविधायें

प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय में अवस्थापना मद में रू0 5000/- का अनुदान एवं विद्यालयों की रंगायी पुतायी तथा टाट पट्टी क्रय हेतु रू0 2000/- प्रतिवर्ष दिया जाता है। अवस्थापना मद में दी गयी धनराशि से ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित सामग्री का क्रय किया जाता है। जिनका वर्ष वार सहायता प्राप्त विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये विवरण निम्नवत् हैः-

विद्यालय	2004.2005			2005.2006			2006.2007		
स्तर	परिषदीय	सहा0	योग	परिषदीय	सहा0	योग	परिषदीय	सहा0	योग
प्राथमिक	2002	4	2006	2002	4	2006	2002	4	2006
उ0प्रा0	455	42	497	455	42	497	455	42	497

अतिरिक्त कक्षा कक्ष

विद्यालयों को मूल सुविधाओं से युक्त करने हेतु जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1388 एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 92 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को पाने के बाद सभी प्राथमिक विद्यालय तीन कक्षीय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चार कक्षीय हो जायेंगे। सारणी 8.2.1 देखें।

शौचालय

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में 149 एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 50 शौचालयों की धनराशि की मांग वर्ष 2004.2005 में की गयी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2004.2005 में कुल तीन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2004.2005 में रखा गया है।

पेयजल व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के 61 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प स्थापन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

पुनर्निर्माण प्राथमिक विद्यालय

जनपद में प्राथमिक विद्यालयों के 125 भवन जर्जर अवस्था में हैं ,इनके पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 2004. 2005 में लक्ष्य रखा गया है।

विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव

जनपद के सभी प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु रू0 5000 एवं रू0 2000 प्रतिवर्ष विशेष अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। जनपद के 585 प्राथमिक विद्यालय एवं 57 पूर्व मा0वि0लघु मरम्मत योग्य है,जिनकी मरम्मत हेतु रू0 20000 की दर से धन दिया जाना प्रस्तावित है। 334 प्राथमिक विद्यालय एवं 21 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहद मरम्मत योग्य हैं,उनकी मरम्मत हेतु रू0 70000 प्रति विद्यालय की दर से दिया जाना प्रस्तावित है। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा ।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें:-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समसत बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुलक पाठ्य पुस्तकें उपलबध कराई जायेंगी। प्राथमिक स्तर पर यह डी0पी0ई0पी0 योजना के पश्चात् सर्व शिक्षा योजना में प्रस्तावित होंगी। जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत् है।

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय		
		परिषदीय छात्र	सहा0प्राप्त0	योग
2003.2004	266130	33431	0	33431
2004.2005	271532	45512	3000	48512
2005.2006	277044	56814	3076	60214
2006.2007	282667	62441	3800	66241

प्रभावी नामांकन के सापेक्ष 1:40 के अनुपात सें वर्षवार आवश्य अध्यापकों का विवरण दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त अध्यापक/शिक्षा मित्रों के चयन मं 50 प्रतिशत महिलाओं को चयन करने का प्राविधान प्रस्तावित है,वर्षवार अतिरिकत अध्यापकों की आवश्यकता का विवरण निम्न सारणी में प्रस्तावित है:-

सारणी 8.2

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में आवश्यक अध्यापक/शिक्षामित्र

वर्ष	छात्रसंख्या	स्वीकृत शिक्षक	स्वीकृत शिक्षामित्र	कुल योग	40:1 से आवश्यकता	शेष आवश्यकता	शिक्षक	शिक्षामित्र
2003.04	289130	5051	2253	7304	9728	2424	1212	
2004.05	397029	6263	3465	9728	9926	198	99	1311
2005.06	405088	6362	3564	9926	10127	201	101	100
2006.07	413311	6463	3664	10127	10332	205	103	102

सन 2001 की जनगणना क आधार पर गांववार विस्तृत आंकडे प्राप्त नहीं हुए है। **आंकड़ें प्राप्त होने पर** आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन **एरिया, नगर पालिका** एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो **में प्राथमिक एवं उच्च** प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया **जायेगा।**

बालिका शिक्षा कार्ययोजना एवं बजट

पृष्ठभूमिः–

कुल जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। परन्तु महिला / पुरूष साक्षरता दर में काफी अन्तर हैं। जनपद लखीमपुर की महिला साक्षरता दर 35.89 है। इसमें भी ग्रामीण महिला साक्षरता दर 15.7 ही है। जनपद में बालिका शिक्षा अति न्यून होने के कारण बालिका शिक्षा की आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अन्तर्गत किये गये विभिन्न प्रयासों के बावजूद विभिन्न सर्वेक्षणों में यह तथ्य सामने आया है कि बालकों के नामांकन/धारण/सम्प्राप्ति स्तर में उल्लेखनीय प्रगति हुयी है, किन्तु बालिकाओं के नामांकन की स्थिति उनकी जनसंख्या के सापेक्ष असन्तोषजनक ही हैं । बालिकाओं के नामांकन होने के बाद धारण एवं सम्प्राप्ति की स्थिति अत्यन्त खराब है। इसमें सुधार हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यकम में बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुयी है किन्तु पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अभी भी बालक – बालिकाओं के नामांकन में काफी अन्तर है। यह बालिकायें 11-14 वयवर्ग की हैं जो स्कूल से बाहर हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के कम नामांकन अधिक शालात्याग का कारण अनेक पारिवारिक/सामाजिक समस्यायें हैं। बालिकाओं की शिाक्षा में पारिवारिक दृष्टिकोण बहुत प्रभावित करता है। ग्रामीण परिवेश में अधिकतर परिवार अशिक्षित हैं और शिक्षा के महत्व से अनभिज्ञ है। प्रायः बालिका शिक्षा के सन्दर्भ में यह तथ्य सामने आता है कि बालिकायें पराया धन हैं। उनका घर के कामकाज में कुशल होना अत्यधिक आवश्यक हैं। उन्हें शिक्षा दिलाने से कोई लाभ नहीं है।

सामाजिक कारणों में प्रमुख यह है कि ग्रामीण परिवेश में बालिकाओं को बाहर आना जाना अच्छा नहीं माना जाता है। बाल विवाह ,ग्रामीण समुदाय में अशिक्षा,निर्धनता ,बालिका शिक्षा सम्बन्धी परम्परायें,रूढ़िवादिता,अन्धविश्वास आदि बालिका शिक्षा के मार्ग को अवरूद्ध करते हैं। समाज का नारी वर्ग सदैव से ही उपेक्षित/वंचित रहा है,जिसमें शिक्षा को न्यूनतम प्राथमिकता से देखा जाने वाला विष य है।

विद्यालय सम्बन्धी कारणों में विद्यालय में महिला अध्यापिकाओं की कमी,विशेषकर पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन,धारण ,सम्प्राप्ति को प्रभावित करती है। कहीं कहीं घर से विद्यालय की दूरी एवं शौचालय की साफ सफाई की असुविधा से भी बालिकायें विद्यालय कम पहुंच पाती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की संख्या कम होने से विद्यालय का माहौल बालिका शिक्षा के अनुकूल नहीं रहता है। विद्यालय प्रांगण में बालिकाओं की रूचि के अनुकूल खेलकूद की सामग्री उपलब्ध नहीं होती है। न ही बालिकाओं की रूचि एवं योग्यता के अनुरूप कार्यकमों का आयोजन किया जाता हैं।

इसके अतिरिक्त विद्यालय में बालिकाओं के सन्दर्भ में जीवनोपयोगी पाठ्यकम का भी अभाव है। हमारे विद्यालय /परिवार एवं समाज में अभी भी माताओं को अभिभावक का दर्जा प्राप्त नही हैं इससे भी बालिका शिक्षा प्रभावित होती है। अभिभावक द्वारा अपनी गरीबी के कारण शिक्षा के खर्च को वहन न कर पाना ,विद्यालय जाने के लिये उचित

कपड़े विशेषकर जाड़ों के लिये उनी कपड़े न उपलब्ध करा पाना,पढ़ने लिखने का सामान ,गरीबी के कारण न खरीद पाना ,पढ़ने के स्थान पर बालिकाओं द्वारा काम करने की आर्थिक विवशता अभिभावक द्वारा बालिकाओं से पढ़ने के बजाये काम सीखने की अपेक्षा तथा बालिकाओं का बाल श्रमिक/दिहाड़ी मजदूर बनना, अभिभावक द्वारा बालिका शिक्षा पर अधिक धन खर्च हो जाने का भय है, वर्तमान शिक्षा से बालिका को रोजगार प्राप्त न होने की सम्भावना आदि प्रमुख बाधक है।

विद्यालय को अस्वस्थ्य वातावरण, बालिकाओं की पूर्ण या आंशिक विकलांगता तथा बालिकाओं का कमजोर स्वास्थ्य भी बालिकाओं की शिक्षा में प्रमुख बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकायें कुपोषण के कारण प्रायः बीमार रहती है और खराब स्वास्थ्य के कारण पढ़ायी से उदासीन हो जाती है ।

रणनीति

बालिकाओं की शिक्षा हेतु रणनीतिः–

शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा अत्यधिक उपेक्षित होने के कारण बालिका शिक्षा की विशेष रणनीतियों के माध्यम से उन्नत करना परियोजना का महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा हैं। बालिका शिक्षा की विकास के लिये निम्न रणनीतियों पर चलना होगा–

- समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता हैं।
- विशेष प्रकार के प्रबन्धतंत्र की आवश्यकतानुसार निर्माण करना
- बालिकाओं को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिये ईंधन ,चारा, शिशु के देखभाल की व्यवस्था करना।
- वैकल्पिक शिक्षा की विशेष सहभागिता ।
- शिक्षकों/जनसमुदाय में बालिकाओं के प्रति विशेष संवेदनशीलता उत्पन्न करने के लिये बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक प्रचार प्रसार ।
- बालिकाओं के प्रति अभिभावक भी विशेष ध्यान देकर बालिकाओं को शिक्षा की मूल धारा तक लाने के प्रयास में परियोजना का सहयोग करें इस हेतु अभिभावकों के साथ सम्पर्क कर/बैठक कर उन्हें प्रेरित करना।
- स्थानीय स्तर पर माता शिक्षक संघ,वी०ई०सी० तथा महिला प्रेरक समूह द्वारा बालिकाओं के नामांकन ,धारण एवं सम्प्राप्ति का अनुश्रवण किया जाना एवं इसके लिये इन संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करके उत्तरदायी बनाना।
- समुदाय के निकट जो प्राथमिक / पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना।
- बालिकाओं के लिये प्रासंगिक एवं जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम की उपलब्धता ।
- महिला अध्यापिकाओं की अनिवार्यता।
- प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में माता शिक्षक संघ का गठन आवश्यक रूप से किया जाना ताकि महिला समुदाय की सहभगिता विद्यालय में हो।

बालिका शिक्षा के विशिष्ट कार्यक्रम

ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरणः–

इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि अपने घर पर छोटे भाई बहनों की

देखभाल करने के कारण स्कूली शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाये। ऐसी बालिकायें जो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नही जा पाती है ,उनके छोटे भाई बहनों की ई०सी०सी०ई० केन्दों में देखभाल की जाये और उन बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कराकर उन्हें प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाये। यह केन्द्र जनपद के सभी विकास खण्डों में स्थापित किये जाये। प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 100 आंगनबाड़ी केन्द्रो (जो कि पूर्व से ही महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित हैं) को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय के साथ समन्वित रूप से ई०सी०सी०ई० केन्द्रों के रूप मे स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। इन केद्रों की स्थापना से बालिकाओं के नामांकन में अपेक्षित सुधार सम्भव है। ई०सी०सी०ई० केन्द्रों की स्थापना से 3-6 वयवर्ग के बच्चों की देखरेख हो सकेगीएवं उन्हें अनुपूरक पुष्टाहार मिलने के साथ साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दी जायेगी। इस कार्यकम से प्राथमिक शिक्षा के लिये पूर्व से ही प्रशिक्षित एवं अच्छे बालक बालिकायें उपलब्ध हो सकेंगे।

विकास खण्डवार केन्द्रों की संख्या – 120

कुल खोलने जाने वालेकेन्द्रों की संख्या 15*120 – 1800

कुल प्रशिक्षण सात दिवसीय – 4 वर्ष में

पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण – प्रत्येक वर्ष दो दिवसीय

सामग्री प्रत्येक चार वर्ष पर – रू० 5000.00 प्रतिकेन्द्र

क०सं०	विकास खण्ड का नाम	ICDS से संचालित केन्द्र	DPEP में ECCE केन्द्र	2003-2004 में प्रस्तावित	2004.2005 से परियोजना के अन्त तक
1	नकहा	103	25	25	25
2	बेहजम	123	25	25	25
3	बिजुआ	100	25	25	25
4	निघासन	153	23	23	25
5	धौरहरा	87	25	25	25
6	फूलबेहड़	125	24	24	25
7	ईसानगर	104	--	--	25
8	मोहम्मदी	142	--		25
9	पसगवां	165	--	--	--
10	मितौली	100	---	--	--
11	पलिया	103	--	--	-
12	बांकेगंज	96	--	--	-
13	गोला	135	--	--	--
14	लखीमपुर	177	--	--	--

15	रमियाबेहड़	--	--	--	-
	योग	1713	--	147	200

स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका:–

यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में किये जा रहे सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप काफी सुधार हुआ हैं फिर भी अभी अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ हैं । यह भी अनुभव किया जा रहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों के जटिल भोगोलिक परिस्थितियों के कारण सरकारी प्रयास प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं,इसलिये इस दिशा में स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही शैक्षिक संगठन , स्वयंसेवी संस्थायें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती हैं। शैक्षिक संगठनों के द्वारा ICDS से पृथक ECCE केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। यह स्थानीय स्वयं सेवी संगठन प्रभावी ढंग से कार्यक्रम का संचालन/पर्यवेक्षण कर सकते है।

माडल क्लस्टर डेवलेपमेण्ट अप्रोच:–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालक बालिकाओं को अनिवार्य रूप से पूर्व माध्यमिक सतर तक की शिक्षा प्रदान किये जाने की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं,फिर भी बालिकाओं के नामांकन तथा प्राथमिक शिक्षा में उनके ठहराव के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। जनपद में कुछ क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर अत्यधिक कम है ओर ऐसे स्थानों पर बालिकाओं की विद्यालय में संख्या भी कम है। अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग में बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन तथा ठहराव की स्थिति खराब है। इस समस्या को देखते हुये क्षेत्र विशेष के लिये विशेष प्रयासों की आवश्यकता है इसके लिये चरणबद्ध कार्यक्रम लागू किये जाने की आवश्यकता होगी। समस्या की गम्भीरता को देखते हुये विभिन्न प्रकार के कार्यबिन्दुओं को सुनियोजित ढंग से कियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त समस्या को ध्यान में रखकर प्रत्येक विकासखण्ड के चार न्याय पंचायतों को चयनित कर उनमें माडल क्लस्टर डेवलेपमेण्ट अप्रोच कार्यक्रम लागू किया जायेगा । इन न्याय पंचायतों में दो ऐसी न्याय पंचायतों को चयनित किया जायेगा जहां की समस्या अत्यधिक गम्भीर हो और दो ऐसी न्याय पंचायतें होंगी जोकिअपेक्षाकृत विकसित हों। दोनो के मध्य समन्वयक से विशेष प्रयास किये जायेंगे ताकि वे परस्पर एक दूसरे से सहयोग कर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

प्रस्तावित माडल क्लस्टर संख्या

कुल न्याय पंचायतें	*डी0पी0ई0पी0 में आच्छादित*	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
156	25	10	10	10	--

चयनित माडल क्लस्टरों में विभिन्न गतिविधियां मां बेटी मेला , मीना कैम्पेन, एम0टी0ए0ए0, पी0टी0ए0 प्रशिक्षण, महिला अभिप्रेरक समूह का गठन एवं प्रशिक्षण कर बालिकाओं के नामांकन को बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों से विद्यालयों

में नामांकन एवं ठहराव को बढ़ाने में अपेक्षित सफलता मिल सकेगी।

माडल क्लस्टर में आयोजित की जाने वाली गतिविधियां:

क्रम संख्या	गतिविधि	स्तर	कुल धनराशि
1	मीना कैम्पेन	ग्रामसभा	10000.00
2	मां बेटी मेला	तीन प्रति न्याय पचायत	12000.00
3	कोर टीम बैठक	न्याय पंचायत	3000.00
4	पी0आर0ए0	समस्त ग्राम सभा	25000.00
5	एम0टी0ए0 पी0टी0ए0 प्रशिक्षण	ग्राम सभा	12000.00
6	महिला अभिप्रेरक समूह प्रशिक्षण	प्रति ग्राम सभा	6000.00
7	क्लस्टर में समस्त अन्य प्रशिक्षण	न्याय पंचायत	7000.00
		कुल योग प्रति माडल क्लस्टर	75000.00

ग्रीष्मकालीन शिविरः–

बालिकाओं में शालात्याग अधिक होने के कारण DPEP की ही भांति सर्व शिक्षा अभियान में भी ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजन की आवश्यकता होगी ,इन ग्रीष्मकालीन शिविरों का आयोजन दो स्तर पर किया जायेगा,9-11 वयवर्ग की बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय में शाला त्याग दर को घटाने के लिये ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन प्रत्येक विकास क्षेत्र में तीन तीन शिविर प्रतिवर्ष सर्वाधित शालात्यागी की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

डी0पी0इ0पी0 में कुल संचालित	2003.2004	2004.2005	2005.2006	2006.2007
150	25	15	15	15

ब्रिज कोर्सः–

अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाये ऐसी भी होती हैं जो बिखरी बस्ती में रहती हैं। इसके अतिरिक्त कामकाजी बालिकाओं तथा जो कभी स्कूल नहीं गयी हैं,उन परिवारों से संबंधित बालिकायें जो मौसम एवं स्थान के अनुसार घुमन्तू परिवारों से जुड़ी हैं,उनके लिये ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाये ताकि उन्हें एक साथ कक्षा 5 / कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जा सके।

वर्ष 2003.2004	2004.2005	2005.2006	2006.2007	कुल योग
7	12	12	12	43

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव :–एसयूपीडब्लूः–

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की गतिविधियों,धारण एवं नामांकन में कार्य

अनुभवों को सुनिश्चित रूप से पहचानना मुख्य उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं द्वारा शाला त्याग को कम करना व व्यावसायिक कौशल को उनके उज्जवल भविष्य के लिये विकसित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यानुभव के कार्यक्रम द्वारा बालिकाओं को निम्नांकित विकल्पों की शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

- हाथ की बुनायी।
- सिलाई, कढ़ाई,कटिंग,फैशन डिजाइनिंग।
- चटाई बुनना,दरी बुनना।
- खड़िया बनाना।
- पौधों की पौधशाला /नर्सरी बनाना।
- फाइल कवर बनाना।
- स्कूल के बस्ते बनाना।
- खेती कृषि कार्य।
- रेशम कीट पालन ।
- मिट्टी / प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्ति कला।
- खाद्य सामग्री (चिप्स,पापड़,बड़ी,अचार,जैम निर्माण एवं सरक्षण तथा प्रसंस्करण)
- नृत्य,गायन व संगीत की शिक्षा।

बालिकाओं में ठहराव सुनिश्चित करने तथा शाला त्याग रोकने में इस हस्तक्षेप से सफलता मिलेगी। यह एक प्रोत्साहिक एवं महत्वपूर्ण है कि कौशल विकास कार्यक्रम बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा की उच्च प्राथमिकता में सहायता करताहै।

<u>ट्रेनर:–</u>

कार्यानुभव शिक्षा के लिये अध्यापकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हेंकार्यानुभव शिक्षक के लिये प्रशिक्षित कर विशेष शिक्षा प्रदान की जा सकती है।विशेष स्थानीय अतिथि प्रशिक्षकों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

स्थानीय गांव/क्षेत्र की पारम्परिक कार्यो में दक्ष महिला एवं पुरूषों के माध्यम से उन्हें विद्यालय में आमत्रित कर विशिष्ट कार्यानुभव शिक्षा सुलभ करायी जा सकती है। इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन पारिश्रमिक भी दिया जा सकता है। अलग से कार्यानुभव शिक्षा की नियुक्ति भी की जा सकती है।

<u>कार्यानुभव सामग्री:–</u>

1–	बुनाई के लिये	–	हाथ की सलाई एवं उन
2–	कटिंग व टेलरिंग	–	सिलाई मशीन,कैंची,मेजरिंग टेप,चाक,सुई धागा आदि।
3–	कढ़ाई	–	कोशिया,फ्रेम,सुई,धागा
4–	चटाई/दरी बुनना	–	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री
5–	खड़िया बनाना	–	प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल,सांचा आदि
6–	नर्सरी बनाना	–	खुर्पी,फावड़ा ,बाल्टी,कैंची ,हजारा आदि

7– फाइल कवर – कच्चा माल,भूसी,आदि
8– स्कूल के बस्ते – सिलाई मशीन,कपड़ा आदि
9– खेती – स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीज
10– रेशम कीट पालन – शहतूत के पेड़,बड़ा भगौना, मशीन आदि
11– गायन,वादन,नृत्य – ढोलक ,मजीरा,घुंघरू,तबला आदि

जनपद में कुल 2002.2003 तक 379 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें उक्त कार्यक्रम लागू किया जायेगा।

वर्ष 2003.2004	2004.2005	2005.2006	206.2007	कुल योग
0	10	10	10	30

मीना मंचः -

उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं की नेतृत्व ,अभिव्यक्ति एवं समूह गठन , स्वावलम्बन की भावना तथा क्षमता विकास के लिये जनपद में 10 मीना मंचों का गठन 2002.2003 में किया गया है। इसी तरह प्रतिवर्ष 10 मीना मंच गठित करने का लक्ष्य है।

2002.2003	2003.2004	2004.2005	2005.2006	2006.2007
10	10	10	10	10

कम्प्यूटर शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लियेः -

जनपद में 379 उच्च प्राथमिक विद्यालय है। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष 2003.2004 में 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा दिया जाना प्रस्तावित है।

2003.2004	2004.2005	2005.2006	2006.2007
12	12	12	12

समेकित शिक्षा

समेकित शिक्षा का अर्थ विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा से है। शिक्षा का सार्वजनीकरण तभी सम्भव है जब सभी श्रेणी के बच्चों को शिक्षा दी जाये चाहे वे किसी भी प्रकार की विकलांगता से सम्बन्धित बच्चे हों।

अक्षमता के प्रकार:–

- दृष्टि
- वाणी एवं श्रवण
- शारीरिक
- मानसिक
- अधिगम

समेकित शिक्षा की आवश्यकता:–

प्राथमिक रूप से जनपद में समेकित शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि पूरे जनपद का सर्वेक्षण कराने पर अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आयुवर्ग 6-14 वयवर्ग के प्राथमिक विद्यालयों में ऐसे 3531 बच्चे नामांकित हैं,जबकि आयु 0-14 वयवर्ग के 2255 बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं,जिनमें 1275 बच्चे 6-14 आयु वर्ग के हैं। जिनको विद्यालय में लाना हैं तथा उनको शिक्षा का भागीदार बनाना है। तथा जो बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं उनको भी ठीक प्रकार से उनकी क्षमता के अनुसार उचित शिक्षा नही मिल पा रही है। जिनके लिये पर्याप्त संसाधन व आवश्यकता को पूर्ण किया जाना हैं।

उद्देश्य:–

- कम एवं मध्यम श्रेणी के विकलांग बच्चों को विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना।
- विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह सामान्य अवसर प्रदान करना।
- स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना जिससे कि इन बच्चों में आत्मसम्मान एवं सकारात्मक भावना का विकास हो।
- समुदाय एवं अभिभावको में संवेदीकरण निर्देशन एवं आशातीत सफलता प्राप्त करना।
- अध्यापकों को ऐसे बच्चों के प्रति सकिय करने के उद्देश्य से समुचित प्रशिक्षण देकर इन बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना।

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले चरण,आरम्भिक खोज व पहचान:–

बच्चों को जो 0-5 आयुवर्ग ,उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 980 को चिन्हित कर उनको ICDS एवं ECCE केन्द्रों में नामांकित कराना,जिससे आगे उनको पठन पाठन हेतु नियमित शिक्षा के लिये नामांकित एवं व्यवस्थित किया जा सके। उचित होगा कि बच्चों की प्रारम्भिक आयु 0-6 वयवर्ग में ऐसे बच्चों को सर्वेक्षण अभियान के माध्यम से आकलन किया जाये एवं उन्हें ICDS एवं ECCE केन्द्रों की सहायता से इस योग्य बनाया जाये कि शारीरिक चुनौती का स्वयं सामना करने की प्रबल क्षमता विकसित हो सके।

मेडिकल असेसमेण्ट:–

बच्चों की पहचान होने के बाद 4806 बच्चे 0-14 वयवर्ग के हैं। बच्चों का मेडिकल

असेसमेण्ट चिकित्सा निभाग के विशेषज्ञ की टीम द्वारा किया जायेगा तथा उनकी योग्यता एवं कार्य करने की वर्तमान क्षमता के अनुसार उनका प्लेसमेण्ट किया जायेगा। मेडिकल कैम्प न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा जिसमें तीन न्याय पंचायत का एक केन्द्र बनाया जायेगा।

क०सं०	विकास खण्ड	NPRC	कैम्प की संख्या
1	लखीमपुर	15	5
2	नकहा	10	3
3	फूलबेहड़	9	3
4	धौरहरा	7	3
5	ईसानगर	11	4
6	पलिया	11	4
7	निघासन	9	3
8	मोहम्मदी	12	4
9	रमियाबेहड़	8	3
10	बांकेगंज	7	3
11	कुम्भी	10	3
12	मितौली	11	4
13	बेहजम	11	4
14	पसगवा	14	5
15	बिजुआ	11	4
	योग	156	54

प्रति कैम्प रू० 1000.00 धनराशि की आवश्यकता होगी। पूरे जनपद में156 NPRC हैं। अतः 54 कैम्प किये जायेंगेजिस हेतु 54000.00 रूपये की आवश्यकता होगी।

<u>एड एण्ड एप्लाएन्सेजः–</u>

जो बच्चे मेडिकल असेसमेण्ट कैम्प के बाद विभिन्न विकलांगता के निकलेंगे उनको उपकरण,उपस्कर ,वितरित किये जायेंगे जिससे कि विद्यालय आने में कोई समस्या न आये। यह एड एप्लाएन्सेज विभिन्न संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करके प्रदान कराये जाने हेतु प्रयास किये जायेगें। एक ब्लाक में एक एड एप्लाएन्सेज को बटवाने के लिये एक कैम्प लगाने की लागत रू० 10000.00 आयेगी। 15 ब्लाक हेतु रू० 150000.00 की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त जनपद में विकलांग बच्चों को एड एण्ड एप्लाएन्सेज प्रदान करने हेतु प्रति ब्लाक 150000.00 की दर से कुल रू० 2250000.00 की आवश्यकता होगी।

<u>मास्टर ट्रेनर्स को तैयार करनाः–</u>

समेकित शिक्षा को प्राथमिक विद्यालयों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रत्येक ब्लाक से कम सेकम चार मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने होंगे। जोकि विभिन्न संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगें। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में दो विकास खेत्रों में आठ शिक्षक प्रशिक्षक प्रशिक्षित हैं शेष 13 विकास क्षेत्रों में 4*1352 शिक्षक प्रशिक्षक और तैयार करने होंगे।

<u>सेवारत शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षणः–</u>

सेवारत 4201 शिक्षकों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें 2001

से 2002 में दो विकास क्षेत्र बेहजम एवं फूलबेहड़ में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण में 513 शिक्षक ,78 शिक्षा मित्र प्रशिक्षित हो जायेंगे। 3688 शिक्षक तथा 1537 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रतिवर्ष दो विकास क्षेत्रों में कार्य किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में उनको विभिन्न विकलांगता के बारे मेकं बताया जायेगा। एवं किस प्रकार से सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ायें जिससे उनको भी शिक्षा का लाभ मिल सके एवं मुख्य धारा से जुड़ सकें।

विद्यालय	शिक्षक संख्या		प्रशिक्षित संख्या	
प्राथमिक एवं उ०प्रा०वि० की सं०	अध्यापक	शिक्षामित्र	अध्यापक	शिक्षामित्र
2166	4201	1615	513	78

<u>शिक्षक अधिगम सामग्रीः–</u>

प्रत्येक विद्यालय में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिये कुछ शिक्षण सामग्री तैयार करनी होगी,जैसे फ्लैश कार्ड विभिन्न प्रकार के चित्रों एवं दैनिक किया कलापों से सम्बन्धित पोस्टर आदि जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे आसानी से समझ सकें। 500 प्रति विद्यालय शिक्षण सामग्री के लिये प्रस्तावित हैं । जनपद में 2000 से 2001 तक 1845 प्राथमिक विद्यालय है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय 321 हैं। वार्षिक योजना के प्रस्ताव के अनुसार 2001 से 2002 मे 30 प्राथमिक विद्यालय प्राविधानित हैं । तथा 2002 से 2003 तक 118 प्राथमिक विद्यालय का प्रस्ताव किया जा रहा है। वर्ष 2002 से 2003 के अन्त तक जनपद में 1993 प्राथमिक विद्यालय एवं 321 उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे। शिक्षण सामग्री हेतु डी०पी०ई०पी० कार्ययोजना में 252 प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्रावधान किया जायेगा,शेष प्राथमिक विद्यालयों का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में किया जायेगा।

<u>समुदाय एवं ग्राम शिक्षा समिति का संवेदीकरण कार्यशालाः–</u>

सर्व शिक्षा अभियान में बस्ती को इकाई माना गया है। इससे ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। समेकित शिक्षा क्या है– इस कार्यशाला में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य ,समाज के प्रभावी लोगों को शामिल किया जायेगा,जिनकी बात को सभी मानते हैं। इस कार्यशाला में विकलांगता क्या है,विकलांगता के प्रकार एवं उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से उंचा उठाया जाये,हेतु एक दिवसीय कार्यशाला में 50 प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे और प्रति कार्यशाला 5300 व्यय होगा। जिसमें दो विकास क्षेत्र में 2001 से 2002 तथा दो कार्यशाला विकास खण्ड स्तर पर करायी जायेगी एवं दो कार्यशाला 2002 से 2003 में आयोजित होगी एवं शेष कार्यशाला सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आयोजित की जायेगी।

<u>अभिभावकों का मार्गदर्शन एवं निर्देशनः–</u>

यह विकास क्षेत्र स्तर पर जिला समन्वयक,समेकित शिक्षा के द्वारा किया जायेगा जिसमें एक तिथि निर्धारित होगी और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता पिता अपनी समस्याओं के बारे में बतायेंगे और उनका समाधान किया जायेंगा।

<u>जिला समन्वयक एवं शिक्षक प्रशिक्षक का नियमित विद्यालयों का भ्रमणः–</u>

जिला समन्वयक एवं शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा नियमित विद्यालयों का भ्रमण किया जायेगा तो विभिन्न विद्यालयों में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण होगा। तथा साथ ही जिला समन्वयक सामान्य

कक्षा में बच्चों को पढ़ाकर आदर्श पाठ प्रस्तुत करेंगे,जिससे वहां के सम्बन्धित शिक्षकों को आने वाली समस्याओं को हल करने का ज्ञान प्राप्त होगा।

<u>होमबेस प्रोग्रामः–</u>

जो बच्चे सीनियर श्रेणी के हैं और रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके लिये एच०बी०पी० का संचालन करना पड़ेगा। इसमें माह के किसी एक दिन सम्बन्धित बच्चे के अभिभावक एवं बच्चें के साथ बी०आर०सी० या एन०पी०आर०सी० पर आयेंगे। जिला समन्वयक उसका कियात्मक आकलन करेंगे। एक माह का सीखने का कार्यक्रम बनाकर देंगे और उतना कार्य कर अगले माह फिर आयेंगे तो बच्चे का मूल्यांकन देखकर फिर कार्यक्रम बनाया जायेगा।

<u>विद्यालय के फिजीकल सेट अप में परिवर्तनः–</u>

विद्यालय में विकलांग बच्चों हेतु कुछ परिवर्तन करना होगा जैसे रैम्प का निर्माण ,जिससे ट्रायसायकिल आसानी से इधर उधर की जा सके तथा रोशनी का उचित प्रबन्ध आदि।

<u>स्वास्थ्य परीक्षणः–</u>

प्रत्येक बच्चा जो कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में आ रहे हैं ,उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा जो चिकित्सा विभाग के सहयोग से सम्पन्न होगा। इसमें प्रत्येक विद्यालय में रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें बच्चें के बारे में पूरी जानकारी होगी इस हेतु 2166 विद्यालयों के अनुसार 66000.00 का व्यय होगा। प्रतिवर्ष एवं आने जाने का व्यय रू० 30000.00 होगा।

<u>विकलांगता दिवस समारोहः–</u>

प्रत्येक वर्ष 4 दिसम्बर को विकलांगता दिवस समारोह राष्ट्र के साथ जनपद स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें विकलांग बचचों के द्वारा खेलकूद एवं सास्कृतिक कार्यकम प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी महोदय करेंगे। इस कार्यकम पर रू० 50000.00 प्रतिवर्ष व्यय होने का अनुमान है।

<u>गैर सरकारी संस्थाओं का योगदानः–</u>

दो विकास क्षेत्रों में कार्य कराया जायेगा। प्रति विकास क्षेत्र रू० 3.0 लाख दिये जायेंगे जिससे इनकों मेडिकल कैम्प ,शिक्षक प्रशिक्षण ,एड एप्लाएन्सेज बढाने होंगे तथा अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालयों का भ्रमण करेंगे और समस्याओं का निराकरण करेंगे।

<u>साहित्य एवं मुद्रणः–</u>

प्रत्येक विकास क्षेत्र के लिये वार्षिक मैटेरियल के लिये 104000.00 व्यय होगा।

<u>आकस्मिक व्ययः–</u>

इसके अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यों हेतु प्रत्येक विकास क्षेत्र को रू० 10000.00 की दरसे कुल रू० 150000.00 व्यय होंगे।

सामुदायिक सहभागिता

सामुदायिक सहभागिता क्या है?

सामुदायिक सहभागिता का व्यवहारिक तात्पर्य किसी योजना के उद्देश्यों व वांछित उत्कर्षों को तय करने से लेकर शोध,सर्वेक्षण,योजना निर्माण,कियान्वयन,मूल्यांकन जैसे प्रत्येक स्तर पर समुदाय के द्वारा सकिय योगदान सुनिश्चित किया जाये।

जन सहभागिता आज का प्रमुख मसला बनती जा रही है। आज राजनीतिक बदलाव,अनेक समाजवादी शासनों का ध्वन्स और जन संगठनों का विश्वव्यापी उभार यह सब एक ऐतिहासिक परिवर्तन की कड़िया है। आज लोग उन घटनाओं में यह सहभागिता करने की अधिकाधिक ललक दर्शा रहे हैं। जो उनके जीवन को रूप देते हैं।

जन सहभागिता यानी जनता की भागीदारी हर जगह विकास सम्बन्धी सोच और व्यवहार को अधिकाधिक प्रभावित कर रहा है। साथ ही निचले स्तर से यह मांग भी उठ रही है कि निर्णय में आम लोगों की भागीदारी होनी चाहिये।

- एक विचार पद्धति का मानना है कि परियोजना के सन्दर्भ में सहभागिता विकास सम्बन्धी प्रयासों में मानव संसाधनों का समावेश है,इससे परियोजना की सफलता में सम्भावना बढ़ जाती है।
- सहभागिता के द्वारा आम लोग उन संसाधनों पर प्रभाव कायम करना या उन तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं जो उनकी जीवन स्थितियों को बरकरार रखने औरसुधारने में सहायक होते हैं।
- सहभागिता ग्रामीण जनता के बीच अपनी समस्याओं की छानबीन करने और उन्हें समाधान ढूंढने की क्षमता पैदा करती है।

जन सहभागिता परियोजना को अपनी परिधि का विस्तार करने और कार्यक्रम/परियोजना को स्वामित्व प्रदान करने में समर्थ बनाती है।

ह्यूमन डेवलेपमेण्ट रिपोर्ट 1993 में कहा गया है कि सहभागिता ऐसा वृक्ष है जो मानवीय पर्यावरण म आसानी से नहीं उगता। जनता केन्द्र बिन्दु बने ,जनता को ज्ञान और सूचनायें प्राप्त हों,एक सिद्धान्त के रूप में सहभागितापूर्ण नजरिये में महिलाओं,निर्धन,अल्पसंख्यक और आदिवासी तथा ग्रामीण तबकों की भागीदारी पर बल दिया जायेगा। सामुदायिक सहभागिता जिस प्रकार छत के निर्माण मे कड़ी की आवयश्यकता है ठीक उसी प्रकार बिना समुदाय की सहभागिता के किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो सकता है ओर न ही कोई परियोजना सफल हो सकती है।

सामुदायिक सहभागिता की आवश्यकता:-

जनसंख्या डाटा

सारणी- 1.7

वर्ष	स्त्री	पुरूष	योग
1999-2000	1137681	1242368	2380049

विद्यालय न जाने वाले बच्चे:-

सारणी-2.7

0-6	6-11	11-14	योग
216577	38900	32842	288319

स्रोत:-परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र।

जनपद लखीमपुर खीरी में उपरोक्तानुसार जनसंख्या एवं बच्चों के विद्यालय न जाने की स्थिति को दर्शाया गया है,यह कार्य विद्यालय के शिक्षकों एवं समुदाय के सहयोग से किया गया। डी०पी०ई०पी० योजनान्तर्गत समुदाय की सहभागिता ,ग्राम शिक्षा समिति,अभिभावक शिक्षक संघ,माता शिक्षक संघ तथा गोष्ठियों का आयोजन करके समुदाय से सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया गया । इसके लिये ग्राम सभा स्तर,एन०पी०आर०सी० स्तर ,बी०आर०सी० स्तर पर बैठके आयोजित की गयीं। पेज नं० 15 में बैठको से सम्बन्धित जनपद के वर्तमान समय में उपरोक्तानुएसार संख्या को देखते हुये समुदाय की सहभागिता के बिना शिक्षा का विकास सम्भव नही है। शिक्षा का

सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्तापरक शिक्षा समुदाय की सहभागिता के बिना सम्भव नही है। समाज का विकास एव कल्याण तभी सम्भव है जब समुदाय का सहयोग विकास कार्यो में लिया जाये। सामुदायिक सहभागिता के द्वारा ऐसे प्रयास किये जायेंगे,जिनसे स्कूल स्तर से निचले स्तर तक कियात्मक विकेन्द्रीकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायतीराज संस्थाओं,निर्धारित क्षेत्रों में जनजातीय परिषदों जिनमें ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है,की स्वीकृति प्रदान करने के अलावा राज्यो को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे गैर सरकारी संगठनों,शिक्षकों एवं स्वयं सेवकों ,कलाकारों,महिला संगठनों आदि को शामिल करके अपनी जवाबदेही के क्षेत्र का विस्तार करें। ऐसा स्थिति में समुदाय की सहभागिता के बिना वास्तविक सूचनायें ऐत्रित कर उनको विश्लेषित करना,उनकी परिस्थितियों को समझना एवं उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिक के आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन सम्भव नही है। इसके साथ ही अपनी सोच के साथ बनाये गये कार्यक्रमों व योजनाओं के संचालन के लिये सामुदायिक सहभागिता की अपेक्षा करना भी व्यर्थ होगा। ग्रामीण सहभागी आकलन अथवा पी०आर०ए० की शुरूआत और प्रचलन इन्हीं लोक सहभागी प्रयासों का परिणाम हैं।

<u>सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजनाः–</u>

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रकिया को विशेष महत्व दिया गया है। इसका प्रयोजन है कि प्रत्येक बस्ती तथा गांव के प्रत्येक परिवार को 6-14 वयवर्ग के सभी बच्चों तथा बच्चियों का शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ,ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इनके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गयी । बस्तियों की सूची परिशिष्ट में देखी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार सहित सम्बन्धित सभी सूचनाओं,जिनकी सूची पहले से तैयार की गयी थी , का एकत्रीकरण किया गया ओर एकत्रित सूचनाओ, आकड़ों का विश्लेषण करने में समस्याओं /आवश्यकताओं की पहचान की गयी । सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गयी।

- ग्राम में 0-6 वयवर्ग केकुल बच्चों की संख्या
- ग्राम में 6-11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- ग्राम में 11-14 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- आंगनबाड़ी/ई०सी०सी०ई० केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा न ग्रहण करने वाले बच्चों के विद्यालय न जाने के कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। यदि मानक के अनुसार यदि नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नही है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं,यदि नहीं तो इसके सुधार के लिये ग्रामवासियों ने क्या सुझाव दिये?
- क्या विद्यालय में अध्यापकों के सृजित पद के अनुसार अध्यापक नियुक्त हैं?छात्र अध्यापक का अनुपात क्या?
- अध्यापक एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं शत प्रतिशत नामांकन एव शत प्रतिशत सम्प्राप्ति है,यदि नही तो कारण एवं निवारण के उपाय। शिक्षण कार्य एवं शिक्षण गतिविधि/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्रामवासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात् निम्न कार्य ग्रामवासियो के सहयोग से किये गये :–

- परिवार सर्वेक्षण
- स्कूल मैपिंग
- सूचनाओं का विश्लेषण
- ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण

<u>शैक्षिक मानचित्रों,विश्लेषण,ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारीः–</u>

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों,उत्साही युवक,युवतियों,युवक मंगल दल ,नेहरू

युवा केन्द्र,माता शिक्षक संघ,अभिभावक शिक्षक संघ शिक्षक शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्यसाओं के साथ साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गयी। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्र के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया।

इसके पश्चात् शैक्षित मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थितियों को परिलक्षित किया गया।प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रों के विश्लेषण के दौरान ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये गांव शिक्षा योजना बनायी गयी । शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक गांव के लिये निम्ननिखित सूचनायें एकत्र कीगयी:–

- बस्ती की पूरी जनसंख्या,
- विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या,
- स्त्री–पुरूष की जनसंख्या,
- पढ़ने/ न पढ़ने वाले बच्चों की जनसंख्या,
- बालश्रमिकों के विषय में जानकारी,
- विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी,
- बालिका शिक्षा की स्थिति।

उपरोक्त सभी सम्बन्धित तथ्यों पर समरयायें थीं। जानकारी कर विकास खण्ड स्तर पर रिकार्ड बनवाकर ,समुदाय के लोगों से विचार विमर्श कर ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी। वर्ष 1998-99 ,99-2000 तक सारी प्रकिया दोहराते हुये माइकोप्लानिंग डाटा को अधिकाधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी,उन्हें ग्राम स्तर पर हीविद्यालय मे रखा गया। ताकि उसका उपयोग ग्राम स्तर पर आसानी से हो सके। 1998 से 2000 तक माइकोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे,उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया। तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया। माइकोप्लानिंग से परिवार/बस्ती पर आकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/समन्वयक/सह समन्वयक की सहायता से वर्गीकृत व विकास खण्ड स्तर पर संकलित किया गया। 6-11 वयवर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभाजित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रसतावित शिक्षा गारंटी योजना ,वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना,ज्ञान केन्द्र ,ज्ञानशाला,प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोले जाने हैं,आंगनबाडी केन्द्र ,ऐसी बस्ती जहां नदी नाला पड़ता है,बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं,उनकी अलग अलग सूची तेयार करना आदि शिक्षा योजना कार्यकमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 0-3,3-5,6-8,9-14 वर्ष समूहों में आकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों एवं बालिकाओं की संख्या अलग अलग रखी गयी । इससे अतिरिक्त ऐसे बच्चो की सख्या आकलित की गयी जो कामकाजी ,घुमन्तू,सड़कछाप,अवारा,पैतृक व्यवसाय मे माता पिता की सहायता करते हैं,सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची तैयार की गयी । उपरोक्त सूचियों के आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यकमों की कार्ययोजना तैयार कर केन्द्र प्रस्तावित किये गये ।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समसत समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अधिकाधिक चक एवं सर्व शिक्षा अभियान की प्रथम वार्षिक कार्ययोजना 2001-2002 के कियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त आकलन/सूचनाओं का प्रेषण का उपयोग वार्षिक/कार्ययोजना 2002-2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

नगरीय क्षेत्र में भी परियोजनान्तर्गत पूर्व गतिविधियां के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा हो जाने पर इसका उपयोग 2002-2003 की वार्षिक कार्ययोजना में किया जायेगा।

<u>स्कूल चलो अभियान:–</u>

जनपद लखीनपुर–खीरी मे जुलाई 2000 तथा जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत नामांकन वृद्धि करने एवं ड्रापआउट समाप्त करने के उद्देश्य से 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान चलाया गया ,जिसके कारण ,शैक्षिक वर्ष 2000-2001 में बालक बालिकाओं को नामांकन में आशानुकूल प्रगति हुयी । इसके फलस्वरूप जो वातावरण सृजित हुआ है उसका लाभ सर्व शिक्षा अभियान मे उठाया जायेगा।स्कूल चलो अभियान कार्य कम का विवरण नीचे दिया गया है:–

स्कूल चलो अभियान कार्यकम के अन्तर्गत व्यापक प्रचार प्रसार किया गया।जिले में शत प्रतिशत नामांकन कराने का शिक्षा विभाग द्वारा एवं जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। प्रथम चरण के अन्तर्गत दिनांक 4-7-2000 को माननीय सहकारिता मंत्री पटेल श्रीरामकुमार वर्मा द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रैली का शुभारम्भ किया गया तथा 10-7-2001 को माननीय अपर जिलाधिकारी श्री रूद्र प्रताप सिंह द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रैनी का शुभारम्भ किया गया। 10-7-2001 को जिलाधिकारी,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,समन्वयकों ,जिला स्तरीय एवं ब्लाक सतरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी एवं रैली निकाली गयी तथा स्कूल चलो अभियान की रूपरेखा तय की गयी।

स्कूल चलो अभियान सफल बनाने हेतु जिला स्तरीय समिति ,ब्लाक स्तरीय समिति गठित करते हुये कार्यक्रम का निर्धारण कर तिथियां निश्चित कर जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड एवं न्याय पंचायतों पर रैली का आयोजन विद्यालय स्तर पर ,रैली आयोजन,अभिभावको से सम्पर्क समुदाय से सहभागिता के कार्यक्रम आयोजित। इसके लिये जनपद में डी०पी०ई०पी० कार्यक्रम विगत चार वर्षो से संचालित है,उसी के वृहत स्वरूप में सर्व शिक्षा अभियान संचालित किया जाना है। इसके अन्तर्गत ग्राम प्रधान ,पंचायत सदस्य,प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों तक यह संदेश एन०पी०आर०सी० के द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों को अवगत कराया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की सहभागिता पर निर्भर करता है। परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता,सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,समन्वक,सह समन्वयक ,एन०पी०आर०सी०, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक,स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागों के अधिकारियों तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से होगा।

समन्वयक एवं सह समन्वयक बी०आर०सी० को ब्लाक स्तरीय तथा न्याय पंचायत स्तरीय रैली मे प्रतिभाग करते हुये समुदाय के साथ बेठके कर समुदाय के बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु बैठकें भी आयोजित की गयी ।

जनपद में 1845 विद्यालयों मे ग्राम पंचायत स्तर पर स्कूल चलो अभियान के लिये ग्राम पंचायत पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल चलो अभियान सफल बनाने हेतु ,इसके साथ साथ जिला विकास अधिकारी,प्राचार्य डायट,जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायतराज अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी,जिला विलांग कल्याण अधिकारी,सचिव साक्षरता समिति ,जिला सूचना अधिकारी,तहसीलदार,उप जिलाधिकारी ने क्षेत्र का भ्रमण किया । तिथियां कब कब और कहा कहां रैली हुयी,विकास क्षेत्रवार सूची ।

<u>सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमः-</u>

परियोजना पूर्व कार्यक्रम के संबध में विभिन्न विभागों,जिला अर्थ एवं संख्या विभाग,विकलांग कल्याण विभाग,पंचायतीराज विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग ,महिला समस्या एवं स्वयं सेवी संगठनों के साथ एवं समुदाय के साथ विचार विमर्श एवं सहभागिता के द्वारा आंकडों का संकलन ,वातावरण सृजन किया गया। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान योजना के संचालन ,कियान्वयन में भी इसके द्वारा अभियान को सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के संकलन हेतु विभागीय गतिशीलता के साथ जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी के सहयोग से जनसंख्या सम्बन्धी मूलभूत आंकड़ों का संकलन किया गया। समेकित शिक्षा हेतु विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से 6-11 एवं 11-14 वयवर्ग के विकलांग बच्चों की सूची प्राप्त की । पंचायत राज विभाग के सहयोग से ग्रामों एवं बस्तियों की सूची तेयार की गयी। 6-14 आयुवर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वभौमिकरण में समुदाय की सकिय भूमिकारु/ग्रामीण अंचलों में रहने वाले निरक्षर लोगों की संख्या नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक है/ नगरीय क्षेत्र मे निर्धन बस्तियों की संख्या अधिक होने के कारण निरक्षर बच्चों की संख्या अधिक है। गांव एवं नगर दोनो में अधिक है। गांव में नगरीय क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था हेतु अधिक संख्या में विद्यालय खोले गये । शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखते हुये समुदाय की सकिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण खेत्रों में ग्राम शिक्षा समिहितयां तथा नगर में वार्डवार नगर शिक्षा समितियों का गठन किया गया। शैक्षिक योजना का निर्माण तथा विद्यालय संचालन में सहयोग प्रदान करने के लिये इन समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

<u>वातावरण सृजनः-</u>

कार्यक्रम नियोजन हेतु जनपद की विभिन्न बस्तियों एवं समुदायों के साथ विचार विमर्श करके उनका सहयोग प्रापत कर योजना को मूर्त रूप दिया गया। इन समुदायों के साथ विचार विमर्श के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व पर व्यापक चर्चा की गयी।

<u>ग्राम शिक्षा समितियों एवं नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षणः-</u>

सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समितियां एवं नगर शिक्षा समितियों की संख्या सकिय भागीदारी हेतु उनके प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें नवनिर्वाचित शिक्षा समितियों का सन्दर्भ प्रशिक्षण पुनः प्रति दो वर्ष पर पूर्व विधात्मक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष के अन्तराल पर नवीन चयनित शिक्षा समितियों का कासन्दर्भ प्रशिक्षण पर उन्हें भी प्रति दो वर्ष पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण कराया जाना है।

समुदाय सहभागिता के अन्तर्ग ग्राम शिक्षा समितियों को यह प्रचारित करना होगा कि स्थानीय जन समुदाय के अनुदेशक की आवश्यकता एवं उसके उद्देश्य के संबंध में जानकारी हो गयी है। ग्राम शिक्षा समिति सम्बन्धित अनुदेशक हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण करके उपयुक्त व्यक्ति की सूची बनायी जायेगी। चयन प्रकिया में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार को यदि आवश्यक हुआ तो सम्मिलित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक सतर के केन्द्रों के अनुदेशकों के चयन के लिये अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गयी है।

जहां पर स्नातक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सके वहां पर इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण महिला का चयन किया जायेगा। अनुदेशक के चयन के सम्बन्ध में अनुदेशसक एवं ग्राम शिक्षा समिति के मध्य एक संवदि पत्र भरा जायेगा जो निर्धारित प्रारूप पर होगा।

ग्रम शिक्षा समिति की भूमिकाः–

- 6-14 वर्ष के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को चिन्हित करना,
- कार्यकमों के संचालन हेतु वातावरण सृजन करना,
- अनुदेशकों का चयन करना
- केन्द्रों का समय निर्धारित करना,
- केन्द्रों की साज सज्जा हेतु शिक्षण सामग्री का बाजार मूल्यों पर नियमानुसार कय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।
- अनुदेशको को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र का दायित्व सौंपना,
- अनुदेशक की उपस्थिति ,बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं प्रतिदिननिरीक्षण करना।
- केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश कराने के लिये लगातार प्रोत्साहित करना।
- नियमित रूप से अनुदेशकों को मानदेय का भुगतान करना।

नवाचार शिक्षाः–

जनपद में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया जिसके फलस्वरूप बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में काफी वृद्धि हुयी है।,इसी बात को दृष्टिगत देखते हुये प्रत्येक विकास खण्ड के केन्द्रीय विद्यालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसी प्रकार प्रत्येक बी०आर०सी० पर० एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया है। इसके लिये प्रति कम्प्यूटर एवं उसके केबिन के लिये कुल रू० 1.70 लाख की युनिट कास्ट प्रस्तावित है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नत करने में सामुदायिक भूमिकाः–

सूक्ष्म नियोजन से प्रापत आंकड़ों के आधापर विद्यालय में जो समस्यायें हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे,ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी जहां विद्यालय के लिये भूमि नहीं है। वहां पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी । बच्चों के खेलने के लिये मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथाइस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता अतः विद्यालय में खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगाः–

स्वस्थ वातावरण एवं आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। वृक्षारोपण ,पुष्प वाटिका हेतु समुदाय के लोगों की सहायता ली जायेगी। उन्हीं से पोधों आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में इनका रोपड़ कराया जलायेगा। वन विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज सज्जा में सहयोगः–

विद्यालय में फर्नीचर टाट–पट्टी, श्याम–पट ,चाक शैक्षिक उपकरण आदि की वयवस्था में गांव के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी। तथा ग्राम शिक्षा समिति की भी मदद ली जायेगी । गरीब बच्चों के लिये समुदाय के लोगों से उनके गणवेश,स्लेट,पेन्सिल,कापी आदि की व्यवस्था के लिये सहयोग लिया जायेगा। पतिभावन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण में सकियताः–

विद्यालय को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त कक्षा कक्ष ,शौचालय,चहारदीवारी की व्यवस्था की जायेगी,प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी,विद्यालय प्रांगण की भूमि उंची नीची होने पर समतल करने हेतु समुदाय की सकिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश में समुदाय का सहयोगः–

विद्यालय के परिवेश को आकर्षक बनाने हेतु बच्चों की विद्यालयी गणवेश का विशेष महत्व है । गावं के

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढ़ीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायतीराज समितियों का सहयोग लिया जायेगा।

अभिभावकों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से गरीब बच्चों के लिये विद्यालयी गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। इससे बच्चे अन्य बच्चों से पृथक दिखायीदेंगे। उनकी विशिष्ट पहचान होगी। तथा परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल न जाने वाले बच्चा अपने को हीन भावना से देखेंगे। इसके परिणामस्वरूप वे स्वयं ही विद्यालय जाने को तैयार होंगे।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वो पर चेतना जागृतिः–

राष्ट्रीय पर्वो में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ,प्रभात फरियों में समुदाय का सहयोग लिया जायेगा। विशेष रूप से महिलाओं को एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को इससे जोड़ा जायेगा। समाज के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

शिक्षक सहयोगः–

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिये समय दें तथा अध्यापकों के कार्य में सहयोग दें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोगः–

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावक को इस बात के लिये गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय का सतत पर्यवेक्षण करते रहें और मासिक रूप से उसका अनुश्रवण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्धन हेतु अपना समारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिताः–

स्थानीय समुदाय के अभिभावकों तथा शिक्षकों में शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये । इन कार्यक्रम से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने के लिये सवयं सेवी संगठनों का उपयोग किया जायेगा । स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण में विशेष पारदर्शिता काध्यान रखा जायेगा जिससे समुदाय का अधिक से अधिक सहयोग मिल सके। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिये अनुमानित बजट इस प्रकार हैः–

ब्लाक सन्दर्भ समूहों का प्रशिक्षण

ब्लाक सन्दर्भ समूहों के प्रशिक्षण में बजट व्यवस्थाः–

अ–प्रतिभागी एवं प्रशिक्षण दल का भोजन	– रू० 75 प्रतिदिन / प्रतिभागी
ब–स्टेशनरी / प्रशिक्षण सामग्री	– रू० 500 प्रति शिविर
स–प्रशिक्षकों का मानदेय	– 100*4*3=1200
द–यात्रा भत्ता –प्रशिक्षक	– 50*4=200
य–यात्रा भत्ता–प्रतिभागी	– रू० 50 प्रति प्रतिभागी
योग	– रू० 2025 प्रति शिविर
प्रति विकास खण्ड 25 प्रतिभागीः–	
कुल 15 विकास खण्ड	– 25*15=375
375 प्रतिभागी 3 दिनरू० 75 प्रति प्रतिभागी	– 375*3*75=84375.00
प्रथम चक्र में बी०आर०जी० प्रशिक्षण हेतु	– रू० 84375.00
द्वितीय चक्र में बी०आर०जी० प्रशिक्षण हेतु	– रू० 168750.0
कुल योग	– रू० 253125.00

रू० दो लाख तिरपन हजार एक सौ पच्चीस रूपये मात्र।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण शिविर की बजट व्यवस्थाः–

1–प्रतिभागी एवं प्रशिक्षण दल का जलपान	– 25*10*3=750
2–स्टेशनरी / प्रशिक्षण सामग्री	– रू० 100 प्रतिशिविर
3–प्रशिक्षकों का मानदेय	– 150*2=300

कुल योग	– रू० 1150.00
कुल ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण पर व्यय – 993*1150=1141950.00	
प्रथम चक हेतु	– रू० 1141950.00
द्वितीय चक हेतु	– रू० 1141950.00
दोनो चकों का कुल योग	– रू० 2283900.00

मीना कैम्पेन

मीना कैम्पेन प्रति ग्राम सभा हेतु प्रस्तावित व्यय

1–टी०वी०,वी०सी०पी० तथा जेनेरेटर का किराया तथा मार्ग व्यय	–	रू०1000.00
2–बैनर ,पर्चा,सामग्री एवं अन्य व्यय	–	रू०200.00
एक ग्रामसीाा में होने वाला कुल व्यय	–	रू०1200.00
500 ग्रामसभाओं पर होने वाला कुल व्यय	–	रू०600000.00

मां बेटी शिक्षक मेला आयोजनः–

न्याय पंचायत स्तर पर एक कार्यकम हेतु बजट का प्राविधानः–

प्रदर्शनी एवं साज सज्जा	–	रू० 1000.00
वाहन पर व्यय	–	रू० 500.00
टी०वी०,वी०सी०आर०	–	रू० 800.00
जलपान पर व्यय	–	रू० 1000.00
बैनर ,पोस्टर,आकसमिक व्यय	–	रू० 500.00
कुल योग	–	रू० 3800.00
एक न्याय पंचायत पर मेले हेतु रू०	–	रू० 3800.00
100 न्याय पंचायत हेतु	–	रू० 380000.00

ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तरीय कार्यशालायेंः–

न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली एक वी०ई०सी० कार्यशाला का प्रस्तावित व्ययः–

1–	टेण्ट आदि की व्यवस्था	–	रू० 1000.00
2–	वीडियों प्रदर्शन आदि की व्यवस्था	–	रू० 1000.00
3–	जलपान व्यवस्था 60*10	–	रू० 600.00
4–	आकसिमक व्यय	–	रू० 600.00
5–	माइक व्यवस्था	–	रू० 200.00
6–	वाहन व्यय	–	रू० 500.00
	कुल योग	–	रू० 3900.00

कुल न्याय पंचायतों पर व्यय 156*3900 –	रू० 608400.00

<u>पी०आर०ए०</u>

ट्रेनर्स कार्यशाला प्रथम चरण	–	रू० 10000.00
द्वितीय चरण प्रतिगांव पी०एल०ए०	–	रू० 60000.00
कुल व्यय	–	रू० 70000.00
एक विकास खण्ड हेतु	–	रू० 70000.00
15 विकास खण्डों हेतु	–	रू० 1050000.00

परिवारसर्वेक्षण आंकड़ों को वार्षिक अद्यतन करना माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों का विवरण प्राप्त कर स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाता है । प्रतिवर्ष विद्यालय में नामांकित होने वाले बच्चों को चिन्हित करने तथा विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा। जिससे वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रतिवर्ष परिवारसर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50000.00 की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न **कार्यक्रम आयोजित** किये गये है तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा [illegible] केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है

अध्याय - 9

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन हेतु कार्य योजना

जनपद लखीमपुर तराई में बसा हुआ काफी बड़ा जनपद है। इसकी लम्बाई लगभग 1.32 कि0मी0 चौड़ाई 98 कि0मी0 है। इस जनपद की भौगोलिक स्थिति विषम होने के कारण बरसात के दिनों में बाढ़ की विभीषिका के कारण गांवों का सम्पर्क कट जाता है तथा पलिया ब्लाक में जंगल होने के कारण जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय शिक्षक न होने के कारण शैक्षणिक स्थिति प्रभावित रहती है।

जनपद स्तर पर डायट का महत्वपूर्ण स्थान है। डायट के नेतृत्व में 6–14 वर्ष के बालक–बालिकाएं को सफलता पूर्वक शिक्षा प्रदान की संकल्पना की गयी है। डायट के माध्यम से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की जा रही है। डी0पी0ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत डायट के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुये जिसका परिणाम पूर्व में अभिभावक अपने बालकों को विद्यालय में भोजन की इच्छा रखते थे उनके खान–पान, पहनावा एवं शिक्षा पर ही ध्यान देते थे। उन लोगों का ध्यान बालिकाओं की शिक्षा पर नहीं था। अथवा बहुत कम था। बालकों की तुलना में बालिकाओं के लिए सुविधाएं कम दी जाती थी। उनको घर–गृहस्थी में रहने की प्रेरणा दी जाती थी। परन्तु आज परिस्थितियां बदली हुई साफ–साफ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ –साथ दिखाई दे रही है। आज प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों के साथ–साथ बालिकाओं को भी सामान्य शिक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है। आज विद्यालयों में बालिकाओं की

संख्या बालकों से कम नहीं है। इस प्रकार हर वर्ग के बालक–बालिकाएं विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। साथ ही साथ जहां केवल पुस्तकीय ज्ञान दिया जाता था। वहां आजीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में छात्रों को ज्ञान दिया जाता है। आज बालक क्रियाशील है। वह हर क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार वह विद्यालय में आने में रूचि ले रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि ज्ञान क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। इस प्रकार नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सब जनपद स्तर पर डायट के निर्देश में सभी शिक्षा अभिकर्मियों के सहयोग का प्रतिफल है। डायट से लेकर एन0पी0आर0सी0 स्तर तक सभी योजना का सफल बनाने में अपने योगदान दे रहे हैं तथा शासन की नीति को समाज के सभी दबे–कुचले लोगों तक ले जाने में प्रयासरत है। डायट के बहु आयामी कार्यक्रम प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को निरन्तर की ओर ले जा रहे हैं।

डी.पी.ई.पी. (II) के अन्तर्गत गुणवत्ता संवर्धन हेतु डायट लखीमपुर द्वारा सम्पादित क्रियाकलापः–

डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत डायट स्तर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण सम्पन्न किये गये।

1– सेवारत प्रशिक्षण– अध्यापक, अभिप्रेरण, सबल, साधन

2– बी.आर.सी0 प्रशिक्षण–

3– एन.पी.आर.सी. प्रशिक्षण–

4– शिक्षा मित्र(डी.पी.ई.पी./बेसिक)– पुर्न बोधात्मक, 30 दिवसीय

5– आचार्य/ अनुदेशक प्रशिक्षण–

6– समेकित शिक्षा प्रशिक्षण–

7– आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रशिक्षण–

8– सतत एवंव्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण–

9– श्रेणीकरण

10– लिंग संबेदीकरण

11– शैक्षिक रिपोर्ट एवं अनुसर्मथन प्रशिक्षण–

12– S.O.P.T. प्रशि0 (माध्यमिक स्तरीय विज्ञान, गणित, अंग्रेजी,

13– विज्ञान एवं गणित रिट प्रशिक्षण–

14– कार्यानुभव प्रशिक्षण–

इन प्रशिक्षणों द्वारा अध्यापकों के गुणवत्ता में वृद्धि की गयी। इनकी सोच में परिवर्तन भी आया। यह अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण से ज्ञात हुआ है प्रशिक्षण से परिणाम उत्साहवर्धक प्राप्त हुये हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये सर्व प्रथम शिक्षक प्रशिक्षकों का चयन किया गया जिन्हें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया गया । जनपद लखीमपुर 15 विकास खण्डों तथा 156 न्याय पंचायतों से आच्छादित है विकास खण्ड स्तर पर स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों के लिये समन्वयकों तथा सह समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के लिये न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयकों का चयन किया गया जो उनके कार्यों उत्तर दायित्वों से सम्बन्धित था इसके साथ ही बी. आर.सी./एन.पी.आर.सी. समन्वयकों/ सह समन्वयकों को डायट में ही अकादमिक सपोर्ट एवं सुपर विजन का भी प्रशिक्षण दिया गया। समन्वयकों द्वारा विद्यालयों का नियमित भ्रमण कर आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण बी.आर.सी0एन.पी.आर.सी. एवं विद्यालय का उनके भौतिक, अकादमिक पक्षों के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय विद्या भवन लखनऊ में विकसित पैरामीटर के आधार पर श्रेणीकरण शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में

समाधान, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, मेलों का आयोजन आदि उपागमों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता संवर्धन एवं अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं तथा शिक्षकों को अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है, परन्तु कतिपय अन्य क्षेत्रों के लिये अकादमिक नेतृत्व /पर्यवेक्षण प्रदान किया जाना अपेक्षित है यथा–

1– उच्च प्राथमिक स्तरीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शैक्षिक गुणवत्ता, संवर्धन अकादमिक पर्यवेक्षण को भी परिधि में लाया जाना।

2– मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन, अकादमिक आवश्यकताओं की भी परिधि में लाया जाना।

3– अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/ इण्टर कालेजों एवं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों /इण्टर कालेजों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बच्चों की शैक्षिक कठिनाइयों के निवारण शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में लाया जाना है।

4– उच्च प्राथमिक विद्यालयों (राजकीय, परिषदीय, अशासकीय) माध्यमिक विद्यालयों (अशासकीय/ राजकीय) के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों उपलब्ध करा दी जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभाग एवं सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित राजनीति के अधीन अक्टूबर 1987 में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु लखीमपुर में डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अवधारणा के अनुसार तृतीय चरण में 1996 में की गयी यह संस्थान जनपद मुख्यालय पर राजापुर में स्थित है इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता संवर्धन करना शैक्षिक क्षेत्र में अभिकर्मियों को शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु क्रियात्मक शोध करना जनपद के शैक्षिक आंकड़ों का संकलन विश्लेषण एवं तदानुसार उपर्युक्त उद्देश्यों के प्रति के लिए संस्थान में सात विभागों की स्थापना की गयी है।

1— जिला संसाधन इकाई विभाग

2— सेवा पूर्व विभाग।

3— सेवारत विभाग।

4— पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन विभाग।

5— कार्यानुभव विभाग।

6— शैक्षिक तकनीकी विभाग।

7— नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग।

1— जिला संसाधन इकाई विभाग—

शिक्षा ही वर्तमान के निर्माण का अनुरूप साधन है सबको शिक्षा का समाज अवसर सुलभ कराने के लिये समय–समय पर अनेक कार्यक्रम चलाये जाते हैं । वे बालक जिनकी विद्यालय जाने की आयु समाप्त हो गई है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है इस कार्य के लिए उन

लोगों का आवाहन किया जाता है जो शिक्षा के प्रति समर्पित है और लोगों को शिक्षा देने में रूचि रखते हो। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न है–

1– अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

2– संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना।

3– पर्यवेक्षकों तथा प्रेरकों को प्रशिक्षण देना।

4– कार्यक्रम विकास के लिए सम्मेलन तथा गोष्ठियों का आयोजन करना।

5– कार्यक्रमों में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा उनके निराकरण का उपाय खोजना।

6– कार्यक्रमों के प्रभावी मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक परीक्षण उपकरणों का निर्माण करना।

7– कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2002–2007 तक जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य योजनाः--

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करने का कार्यक्रम	स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना	स्वयं सेवकों को पुनबोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन करना	पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।	पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत, जिला संसाधन इकाई विभाग द्वारा वर्ष 2002 से 2003 तक ड्राप आउट बच्चों को शिक्षित करना है, वर्ष 2003 से 2004 स्वयं

सेवकों (अनुदेशकों) को प्रशिक्षित करना पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य किया जायेगा। एवं वर्ष 2004 से 2005 के मध्य स्वयं सेवकों की पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य प्रस्तावित है, वर्ष 2005 से 2006 तक अनुदेशकों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण प्रदान करके उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा वर्ष 2006–2007 तक स्वयं सेवकों को पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण देकर उनका पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य प्रस्तावित है।

2– सेवापूर्व विभागः–

सेवा विभाग संस्थान में अध्ययनरत बी0टी0सी0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा शिक्षा मित्रों को 30 दिवसीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यह विभाग करता है। बी0टी0सी0 एवं शिक्षा मित्र को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना इस विभाग का मुख्य लक्ष्य है। जिससे वे अध्यापक के रूप में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके प्रशिक्षण में सामुदायिक शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं बी0टी0सी0 प्रशिक्षण	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य	बी0टी0सी0 प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवा पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है, वर्ष 2003–04 में शिक्षा मित्र एवं बी0टी0सी0

प्रशिक्षण को प्रदान किया जायेगा तथा वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं वर्ष 2006–07 में बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण एवं क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है।

3– सेवारत विभाग–

अध्यापक के लिए अध्यापन में होने वाली नवीनतम तकनीकी ज्ञान की जानकारी होना आवश्यक है एक अध्यापक के प्रभावशील, शिक्षक होने के लिए नियमित रूप से अपने ज्ञान में वृद्धि तथा व्यवस्थित दक्षता को बढ़ावा होगा जिस प्रकार देश की रक्षा में लगी हुई सेना को सदैव नवीन युद्ध कौशल को जानकारी देकर अभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण में लगे हुए अध्यापक को सेवारत विभाग द्वारा नई–नई तकनीकी ज्ञान की जानकारी दी जाती है। यह विभाग सेवा में लगे हुए अध्यापकों को समय–समय पर संस्थान में आयोजित पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण में सम्मिलित करके उन्हें नई–नई चुनौतियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
गणित एवं विज्ञान का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विज्ञान भाषा एवं पर्यावरणीय अध्यय का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण	गणित, विभाग, भाषा, अंग्रेजी संस्कृत एवं पर्यावरणीय अध्ययन पर सेमीनार	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी	गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी का पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण एवं अनुभूत समस्याओं पर गोष्ठी

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रशिक्षण प्रस्तावित है।

4– कार्यानुभव विभाग–

सामाजिक और आर्थिक रूपान्तरण कर सबसे सशक्त साधन शिक्षा को माना गया है। इसलिए समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भावी नागरिकों के निर्माण हेतु तदनुरूप शिक्षा व्यवस्था अपनाई गयी है। संस्थान में कार्यानुभव विभाग द्वारा कार्य अनुभव में द्वारा शिक्षा की जीवनोपयोगी बनाते हुए समाज में होने वाले कार्यों से जोड़ा जा सकता है। इस विभाग द्वारा सहायक सामग्री का निर्माण संस्थान परिसर में सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता का कार्य आदि कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
छात्राध्यापकों को निर्मूल्य सहायक सामग्री का निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को डायट पर कार्य करने के लिए तैयार करना तथा क्षेत्र में जाकर अध्यापकों की भी मदद करना।	सेवारत अध्यापकों का निंमूल्य सहायक सामग्री का पुनबोधात्मक प्रशिक्षण तथा छात्राध्यापक का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों को चटाई, निर्माण, खिलौने (प्लास्टर आफ पेरिस, थर्माकोल, कपड़े से निर्मित), मंजन मोमबत्ती, लिफाफे आदि का निर्माण एवं सिलाई बढ़ाई तथा फल संरक्षण	छात्राध्यापकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करके क्षेत्र में ले जाना।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यानुभव विभाग वर्ष 2002–2007 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य का सम्पन्न कराया जायेगा।

5– शैक्षिक तकनीकी विभाग–

इस वैज्ञानिक युग में छात्रों को वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराना, दैनिक जीवन में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी प्रदान करना व नवीन शैक्षिक उपकरणों का शिक्षण में उपयेाग कैसे करें। छात्रों की आमांत्रित कराना आवश्यक हो गया है। अतः शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य/ अल्प व्यय अल्प समय तथा अल्प सुविधाओं द्वारा अधिकाधिक विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय व्यवहारिक ज्ञान देना है। संरथान का शैक्षिक

तकनीकी विभाग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा गुणवत्ता संवर्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणों को सफल बनाया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
शिक्षा मित्रों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक तकनीकी उपकरण का प्रशिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण	शिक्षा मित्र छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों को शैक्षिक उपकरणों एव सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प मूल्य की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्प मूल्य की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण	छात्राध्यापकों का शैक्षिक उपकरणों एवं अल्पदाम की सहायक सामग्री के निर्माण का प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक तकनीकी विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

6– पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग–

पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वूपर्ण अंग है। पाठ्य निर्माण के समय छात्र की आयु उसकी मानसिक योग्यता, परिवेशीय आवश्यकताएं, सुलभ साधन छात्रों का विषयक्रम उनका वर्ग आदि विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भाषा तथा शैली पर भी ध्यान रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है। मूल्यांकन से यह ज्ञात किया जाता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण सही दिशा में किया गया है। शिक्षक अपने प्रयास में कहां तक सफल है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के उपागम के अनुप्रयोग के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सहज में म्भव बनायी जा सकती है। उपर्युक्त विचारों की दृष्टि में रखते हुए संस्थान का पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग इन क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जायेगा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन सतत रूप से किया जायेगा।	प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का समावेश सुनिश्चित किया जायेगा।	राष्ट्रीय मूल्यों जैसे धर्म निरपेक्षता समानता लोकतंत्र लिंग भेद आदि का पाठ्यक्रम में समावेश किया जायेगा।	अध्यापकों एवं छात्रों की नैतिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जायेगा।	सृजित पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन कार्यक्रम कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

7– नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग–

संस्थान का नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग संस्थागत नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन, मानव संसाधन का विकास, सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का प्रबन्ध एवं ई0एम0आई0एस0 का विकास करना आदि कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–2007 तक प्रस्तावित कार्य योजनाः–

वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
डायट स्तर पर जनपद की सभी संस्थागत शिक्षण ईकाइयों का वृहद कार्य नियोजन किया जायेगा।	डायट द्वारा निर्धारित कार्य नियोजन का शिक्षा अभिकर्मियों का प्रशिक्षण द्वारा जानकारी कराना एवं क्रियान्वयन कराना	ई0एम0आई0एस0 की कार्य प्रणाली को विधिवत जानकारी कराने के बाद कार्य रूप देना जिससे देना जिससे वास्तविक जानकारी प्राप्त की जायेगी।	अध्यापकों के शिक्षा कौशल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम	नियोजन एवं प्रबन्ध के लिए किये समस्त प्रयासों की जानकारी हेतु मूल्यांकन कार्यक्रम।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियोजन प्रबन्धन विभाग द्वारा वर्ष 2002–07 तक उपर्युक्त सारणी के अनुसार कार्य किये जायेंगे।

नोट– S.I.E/S.C.E.R.T./S.I.E.M.T./S.P.O. द्वारा निप्दिष्ट/ निर्धारित कार्यक्रमों का सभी विभागों में समायोजित करेंगे।

गुणवत्ता संबर्धन के क्षेत्र में समन्वयकों की भूमिका–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल B.R.C./N.P.R.C. की स्थापना, स्थायी पदों के प्रति पदस्थापना किया गया। जिसके लिये प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों में से योग्य अध्यापकों को प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिये समन्वयक हेतु चयन किया गया है। जिनका कार्य एवं दायित्व निम्नवत है।

ब्लाक संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका–

1– ब्लाक संसाधन केन्द्रों को विकास खण्ड स्तरीय सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उपयोग शिक्षकों की अकादमिक कठिनाइयों के समाधान के लिये किया जाता है।

2– डायट के दिशा निर्देश में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन एवं शाला चित्रण, वातावरण सृजन आदि का आयोजन किया जाता है।

3– विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षणों का नियोजन आयोजन एवं प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण किया जाता है।

4— ब्लाक संसाधन केन्द्र पर मासिक बैठकों का आयोजन, विद्यालयों का भ्रमण कर कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें अकादमिक फीड बैंक प्रदान किया जाता है।

5— वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों शिक्षु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया जाता है पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण किया जाता है।

6— ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन कार्य।

7— ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की कार्य योजना तैयार करना तदनुरूप बजट निर्माण, तथा वार्षिक कार्ययोजना में क्रियान्वयन।

8— एन0पी0आर0सी0 सम्बन्धी आवश्यकताओं को समझना और उनके लिये आवश्यक अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना।

9— एन0पी0आर0सी0 के फीड बैंक और इनपुट की आवश्यकता पर कार्यवाही के निमित्त जिला स्तर पर दायित्व सम्बन्धी स्पष्टता के लिये एक सक्रिय समिति गठित करना।

10— संकुल स्तरीय मासिक बैठकों की संरचना कार्यसूची अवधारणात्मक ब्योरा तैयार करना जिसमें शैक्षिक क्षेत्र के मुद्दों का विषय उल्लेख होगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक की भूमिका

न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयक संकुल स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु है। ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना शिक्षकों के अनुभवों को परस्पर विनिमय करना सूक्ष्म नियोजन तथा मानचित्रण

करना। स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को शैक्षिक सहयोग प्रदान करना आदि न्याय पंचायत केन्द्र समन्वयकों का प्रमुख कार्य है इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा निम्नवत कार्य किये जाते हैं।

1– संकुल स्तरीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए मासिक बैठकों /कार्यशाला का आयोजन करना।

2– स्कूल चलो अभियान बाल गणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन कार्य।

3– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन विद्यालय शिक्षण योजना का विकास।

4– वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना।

5– ब्लाक संसाधन केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्रतिभाग सूचनाओं का आदान प्रदान करना तथा ब्लाक संसाधन केन्द्रों को वांछित सहयोग प्रदान करना।

6– संकुल स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का अभिलेखी करण करना तथा उसकी रिपोर्ट तैयार कर ब्लाक समन्वयक एवं डायट को उपलब्ध कराना।

7– अध्यापकों की मासिक बैठकों में भाग लेना नियोजन एवं मूल्यांकन के क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान तथा अध्ययन के न्यूनतम स्तरों सम्बन्धी पाठ्य चर्या एवं पाठ्य पुस्तकों के कठिन स्थलों में उनको मदद करना।

8– अध्ययन के न्यूनतम स्तरों पर आधारित सूचना का ब्लाक स्तर पर कार्यान्वयन करना और इस क्षेत्र में पहले से ही प्राप्त सूचना के लिए अपेक्षित उपचारात्मक उपलब्ध कराना।

9– न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन और प्रशिक्षण।

10– ग्राम शिक्षा समितियों ओर महिला समूहों को अनुसमर्थन प्रदान करना।

11– विद्यालय श्रेणीकरण का कार्य।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्राथमिक स्तर पर)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0पी0ई0पी0) से आच्छादित जनपद लखीमपुर–खीरी कार्यक्रम के द्वितीय चरण में आच्छादित जनपदों के रूप में दिसम्बर 97 से आच्छादित है। जिला प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सम्वर्धन के लिए प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों के डायट स्तर पर चिन्हित किया गया तथा उनको प्रशिक्षण राज्य संदर्भ समूह के व्यक्तियों द्वारा डायट लखीमपुर में आयोजित किया गया । उक्त प्रशिक्षण में सफल संदर्भ दाताओं द्वारा ब्लाक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

जनपद लखीमपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वितीय चरण में होने के कारण प्रथम चक्र के शिक्षक अभिप्रेरण प्रशिक्षण, द्वितीय चक्र के सबल प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जा चुका है । इन प्रशिक्षणों में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित माडयूलों का प्रयोग किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित थे।

1– शिक्षकों को अपने दायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से अभिप्रेरित करने का प्रयास।

2– शिक्षण कार्य में बच्चों की सक्रियता भागीदारी के प्रति विकसित करना।

3– बच्चों को सीखने सम्बन्धी कठिनाईयों को समझाना शिक्षकों में बच्चों की कठिनाइयों के प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदन शील बनाना।

4– शिक्षण के समय कक्षा के वातावरण को जिज्ञासा पूर्ण बनाना।

5– वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली कठिनाईयों संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय का सहयोग प्राप्त करने हेतु गतिविधि आधारित शिक्षण करना।

6– सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य में रोचकता लाने का प्रयास।

7– विभिनन विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण तथा शिक्षण कार्य में गतिविधियों का प्रयोग।

8– अध्यापकों में बच्चों के प्रति हित की भावना पैदा करना।

9– अध्यापकों को प्रत्येक बच्चें में आशवादिता एवं आत्म विश्वास जागृत करने पर बल देना।

10– गतिविधियों द्वारा पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने के तरीके का अभ्यास कार्य।

11– एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए बहु कक्षा/ बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का कार्य।

12– बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण शिक्षण में उपयोग एवं सम्भावनायें।

13– शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए समेकित शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य।

14– समय प्रबन्धन में आने वाली कठिनाईयों के निदान हेतु समय सारणी बनाकर शिक्षण कार्य करना।

15– बच्चों को ज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का सतत् मूल्यांकन।

16– शिक्षण कार्य में विषयाधारित कहानी लोक कथाओं के प्रयोग से भाषा गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के साथ शैक्षणिक स्तर गतिविधियों से सभी विषयों में रोचकता पैदा करना।

उच्च प्राथमिक स्तरीय सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नेतृत्व में उच्च प्राथमिक स्तरीय गणित शिक्षकों की शिक्षण क्षमता अभिवृद्धि के लिए गणित विषयाधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 96 अध्यापक लाभान्वित हुए वर्तमान में उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान अध्यापकों का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 108 अध्यापक प्रशिक्षित किये गये। उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए अन्य विषयगत प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

शिक्षकों को अकादमिक सहयोग एवं समर्थन की व्यवस्था

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक को अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राजापुर लखीमपुर–खीरी के नेतृत्व में प्राथमिक शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने के लिये उनके विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशल में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाई गयी है।

शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की व्यवस्था है। ए0पी0आर0सी0 समन्वयक द्वारा निरन्तर प्राथमिक विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। शिक्षकों की शैक्षिक एवं

विद्यालयीय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं का तात्कालिक निदान न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित मासिक बैठक में तथा ऐसे समस्यायें जिनका निदान नहीं हो पाता, एन0पी0आर0 सी समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक की मासिक बैठक में रखी जाती है। एन0पी0आर0सी0 /बी0आर0सी0 स्तर पर शिक्षकों की शैक्षिक समस्यायें तथा विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी जिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता उनका समाधान डायट स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयकों की मासिक बैठक में किया जाता है। शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन देने के लिये डायट संकाय सदस्यों निरीक्षक वर्ग बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्याम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षक में प्रभाव–

जनपद लखीमपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वितीय चरण के अन्तर्गत सितम्बर 1997 से संचालित है। जनपद में प्रशिक्षण का कक्षा शिक्षण में प्रभाव का अनुश्रवण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) डायट मेन्टर्स सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त अवलोकन आख्याओं के अनुसार संज्ञान में आया हैं कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षणकार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रारम्भ हो गया है तथा बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन धौरहरा, रमियाबेहड़, निघासन, ईसानगर, पलिया में अभी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्राथमिक विद्यालयों का श्रेणीकरण–

जनपद लखीमपुर में एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के 156 पद सृजित हैं जिनमें से मात्र 96 में समन्वयक कार्यरत हैं जिसके कारण श्रेणीकरण का कार्य

बाधित हो रहा है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार रिक्त पदों पर प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के प्रभारी न्याय पंचायत समन्वयक बनाया गया है श्रेणीकरण का कार्य उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा विभाग लखनऊ द्वारा जारी राजाज्ञा संख्या 2314/ 15–5–01 – 346/ 2001 दिनांक 11–7–2001 द्वारा शुरू हो चुका है। जुलाई से अब तक जनपद में विद्यालय श्रेणीकरण की स्थिति निम्न है।

विद्यालयों की संख्या	श्रेणीकृत विद्यालय	श्रेणीकरण की स्थिति
1884	1754	ए – 713
		बी – 682
		सी – 305
		डी – 54

प्राथमिक विद्यालयों की प्रोत्साहन योजनाएं :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य छात्र नामांकन, धारण एवं ठहराव है। जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद में 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति के बालकों एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी है। जिसके सकारात्मक परिणाम से छात्र नामांकन में आशातीत वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2001–2002 को शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन वर्ष मनाये जाने के उद्देश्य से माह जुलाई 2001 में स्कूल चलो अभियान के आयोजनोपरान्त कक्षा–1 से 5 तक के सभी जाति के बालक बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गयी।

प्राथमिक विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव को बनाये रखने के लिए छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण पोषाहार योजना आदि कारगर सिद्ध हुए हैं जिससे अभिभावकों को सहयोग मिलने के साथ–साथ विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है तथा हास की समस्या पर भी अंकुश लगा है छात्रवृत्ति का लाभ नामांकन बढ़ा है तथा ह्रास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सभी बालक एवं बालिकाओं तथा पिछड़ी जाति के कुछ बालक/ बालिकाओं को दिया जा रहा है। पोषाहार योजना के लाभ सभी बालक/ बालिकाओं को मिलता है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति

जनपद लखीमपुर–खीरी में डी0पी0ई0पी0।। लागू होने के पश्चात अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर उपलब्धि निम्नवत रही। अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में कक्षा 2 एवं 5 के छात्रों की भाषा एवं गणित विषयों में उपलब्धि विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर पड़ने वाले अन्तिर्विहित चरो यथा विद्यालय परिवार, अध्यापक सम्बन्धी समान्वीकरण एवं निष्कर्ष आधारभूत मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में प्राप्त उपलब्धियों की तुलना के आधार पर प्रतिपादित किये गये हैं :–

* कक्षा 2 एवं 5 में कमशः अनु0जाति 34.1 प्रतिशत व 31.1 प्रतिशत पिछडी जाति 35.4 प्रतिशत व 34.2 प्रतिशत एवं अन्य जाति 30.5 प्रतिशत व 34.7 प्रतिशत अध्ययनरत है।
* कक्षा 2 एवं 5 के छात्रों की औसत उपलब्धि भाषा 84.5 प्रतिशत व गणित में 91.12 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि बालको की 84.5 प्रतिशत व बालिकाओं की 83.35 है। गणित में उपलब्धि बालको की 92.91 प्रतिशत व बालिकओं की 89.22 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 में भाषा में औसत उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र में 83.02 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 85.12 प्रतिशत है। गणित में ग्रामीण क्षेत्र 90.33 व शहरी क्षेत्र में 94.73 है।
* कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि अनु0जाति 92.43 पिछडी जाति 90.63 एवं सामान्य जाति की औसत उपलब्धि 82.17 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि अनु0जाति 92.43, पि0जाति 90.63 एवं सामान्य जाति के 90.23 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 भाषा एवं गणित में कमशः 20.9 प्रतिशत एवं 16.30 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त कर चुके हैं।
* कक्षा 2 भाषा में बालक 67.6 व बालिका 64.1 दक्षता प्राप्त कर चुके है जबकि गणित में बालक 74.84 व बालिका 80.11 दक्षता प्राप्त कर चुके है।
* कक्षा 2 भाषा में ग्रामीण छात्र 65.7 तथा शहरी 66.9 दक्षता प्राप्त कर चुके है जबकि गणित में दक्षता प्राप्त करने वाले ग्रामीण व शहरी छात्र कमशः 78.1 व 89.2 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 भाषा में अनु0जाति, पिछडी जाति तथा सामान्य जाति के कमशः 70.9 प्रतिशत 66.0 प्रतिशत व 60.2 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले छात्र हैं। जबकि गणित में 84.6 व 75.4 व 80.5 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले छात्र है।

गणित में 84.6 व 75.4 व 80.5 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले छात्र है।

* कक्षा 5 के छात्रों की भाषा में शब्द कोष ज्ञान एवं पठनबोध में उपलब्धि कमशः 78.34 व 75.1 प्रतिशत में कुल भाषा में उपलब्धि 76.68 प्रतिश त है।
* कक्षा 5 में भाषा में औसत उपलब्धि बालक एवं बालिकाओं की कमशः 75.31 व 78.26 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 भाषा में अनुसूचित जाति पिछडी जाति एवं सामान्य जाति की औसत उपलब्धि कमशः 78.78, 75.79, 75.67 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 गणित में छात्रों की औसत उपलब्धि 63.46 है।
* कक्षा 5 गणित में औसत उपलब्धि बालक व बालिकाओं की कमशः 62.48 व 64. 59 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 के छात्रों की गणित में ग्रामीण शहरी क्षेत्र की उपलब्धि कमश 63.9 व 64.84 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 गणित के अनुसूचित जाति पिछडी जाति तथा सामान्य जाति की औसत उपलब्धि कमश 65.12,62.91 तथा 61.67 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 भाषा व गणित में कमशः 39.3 एवं 44.8 प्रतिशत छात्र दक्षता की ओर अग्रसर है तथा 45.7 एवं 13.4 प्रतिशत दक्षता प्राप्त करने वाले छात्र है।
* कक्षा 5 भाषा में बालक 41.3 प्रतिशत व बालिका 38.4 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है तथा 40 प्रतिशत बालक व 50 प्रतिशत बालिकाएं दक्षता प्राप्त करचुके हैं।
* कक्षा 5 गणित में बालक 11.5 प्रतिशत व बालिका 15.3 दक्षता प्राप्त कर चुके हैं जबकि 45.5 बालक व 44.8 प्रतिशत बालिका दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है।
* कक्षा 5 के छात्रों की भाषा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कमशः 43.9 व 32.5 प्रतिशत दक्षता प्राप्त तथा 42.9 व 29 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है।
* कक्षा 5 के छात्रों की गणित में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कमशः 13.3 व 13.3 दक्षता प्राप्त कर चुके है तथा 42.7, 54.4 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है।
* कक्षा 5 भाषा में अनु0जाति, पि0जाति व सामान्य जाति के कमशः 46.9, 43, तथा 47.5 प्रतिशत दक्षता प्राप्त कर चुके है जबकि कमशः 47.8, 10.8, प 32 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है।
* कक्षा 5 गणित मे अनु0जाति, पि0जाति तथा सामान्य जाति के कमशः 15.1, 14.1 व 10.8 प्रतिशत दक्षता प्राप्त कर चुके है तथा कमशः 50.0,43.5,42.5 प्रतिशत दक्षता प्राप्त की ओर अग्रसर है।
* कक्षा 2 के छात्रों की आधारभूत सर्वेक्षण में भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धि कमशः 40.45 व 38.50 थी जबकि अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धि कमशः 84.5 प्रतिशत व 91.12 प्रतिशत हो गयी है। अतः आधारभूत औसत उपलब्धि कमशः 84.5 प्रतिशत व 91.12 प्रतिशत हो गयी है। अतः आधारभूत सर्वेक्षण से अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में जी0पी0ई0पी0 में 25

प्रतिशत उपलब्धि के लक्ष्य की पूर्ति हुई है। अतः डी0पी0ई0पी0 का लक्ष्य पूरा हुआ है।

* कक्षा 5 के छात्रों की आधारभूत सर्वेक्षण में भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धि कमशः 40.23 व 30.0 प्रतिशत थी जबकि अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में भाषा व गणित में औसत उपलब्धि कमशः 76.60 व 63.46 प्रतिशत हो गयी है। अतः आधारभूत सर्वेक्षण से अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में डी0पी0ई0पी0 के 25 प्रतिशत उपलब्धि के लक्ष्य की पूर्ति हुई है। अतः डी0पी0ई0पी0 का लक्ष्य पूरा हुआ है।
* आधारभूत सर्वेक्षण में कक्षा 2 के बालको की भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धि कमशः 42.80 व 37.86 प्रतिशत थी। अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में कमशः 84.50, 92.91 प्रतिशत हो गयी है।
* आधारभूत सर्वेक्षण में कक्षा 2 के बालिकाओं की भाषा एवं गणित में औसत उपलब्धि कमशः 37.80 व 45.93 थी जो अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में कमशः 83. 53 व 89.22 प्रतिशत हो गयी है।
* लिंगवार विभेद 5 प्रतिशत से कम हुआ है जिससे डी0पी0ई0पी0 के लक्ष्य की पूर्ति हुई।
* कक्षा 2 भाषा व गणित में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्र की औसत उपलब्धि कमश : 43.35 व 37.86 तथा शहरी क्षेत्र की औसत उपलब्धि 42.1 व 94.73 प्रतिशत है
* अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि अनु0जाति, पि0जाति व सामान्य जाति की कमशः 85.30,84.47 व 82.17 प्रतिशत है। गणित में उपलब्धि कमशः 92.43,90.63 व 90.23 प्रतिशत है।
* अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में कक्षा 5 भाषा व गणित में बालको की औसत उपलब्धि कमशः 75.31 व 62.48 है जबकि बालिकाओं की औसत उपलब्धि कमशः 78.26, 64.59 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 भाषा व गणित में ग्रामीण क्षेत्र की औसत उपलब्धि कमशः 76.81 प्रतिशत व 63.09 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्र में कमशः 76.20 व 64.84 प्रतिशत है।
* कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अनु0जाति, पि0जाति व सामान्य जाति की कमशः 78.78 प्रतिशत, 75.19 व 75.67 प्रतिशत है जबकि गणित में कमशः 65.72, 62.91 व 61.97 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 के अधिकांश छात्र भाषा व गणित में दक्षता प्राप्त कर चुके है जिसका प्रतिशत कमश 65.9 व 80.11 प्रतिशत है।
* कक्षा 2 भाषा में अनु0जाति, पि0जाति व अन्य जाति के कमशः 70.9 प्रतिशत, 66, 60.2 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त कर चुके हे जबकि गणित में कमशः 84.6,75.4 व 80.5 प्रतिशत छात्र दक्षता प्राप्त कर चुका है।
* कक्षा 5 के अधिकांश छात्र भाषा व गणित नें दक्षता की ओर अग्रसर है।दक्षता प्राप्त कर चुके है।
* कक्षा 5 भाषा व गणित में अनु0 जाति, पि0जाति0 व अन्य जाति के अधिकांशतः छत्र दक्षता की ओर अग्रसर है। दक्षता प्राप्त चुके है।

विधार्थी पार्श्व चित्र से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए

* अधिकांश छात्र पिछडी जाति के हैं जिनका प्रतिशत 59.7 प्रतिशत है।
* अधिकतर छात्रों के माता पिता निरक्षर/प्राथमिक स्तर के शिक्षा ग्रहण किये है।
* अधिकतर छात्रों के पिता कृषक व माता गृहणी है।
* अधिकांश छात्रों को उनके पिता/भाई/बहन द्वारा शैक्षिक सहयोग दिया जाता है।
* अधिकतर छात्रो के पास पाठ्यपुस्तके उपलब्ध है तथा अतिरिक्त अध्ययन सामग्री की उपलब्धता है।
* अधिकांश छात्र स्नातक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करना चाहते है।
* अधिकाश छात्रों की रूचि व्यवसायिक/व्यापार की तरफ है।
* शिक्षक द्वारा अधिकांश छात्रों को इमला व गणित के प्रश्न हल करने को दिये जाते है।
* अधिकांश अध्यापक विद्यालय में आते है और शिक्षण कार्य करते है।
* अधिकतर शिक्षकों द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।
* अधिकतर शिक्षकों द्वारा छात्रों को गृहकार्य दिया जाता है और जांच भी दिया जाता है।
* अधिकाश शिक्षको द्वारा सत्र में छात्रों का परीक्षण किया जाता है।
* अधिकांश शिक्षकों द्वारा छात्रों को कठिनाई आने पर शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है।
* अधिकतर छात्रों द्वारा गृहकार्य पूरा करने में 31 मिनट से एक घंटा का समय लिया जाता है।
* अधिकतर छात्रों को विद्यालय से पढने हेतु कभी–कभी कहानी की पुस्तकें प्राप्त होती है।

अध्यापक पार्श्व चित्र से निम्नलिखित निश्कर्श प्राप्त हुए

* पुरूष शिक्षक 88.2 प्रतिशत तथा महिला शिक्षक 11.8 प्रतिशत कार्यरत है।
* अधिकांश शिक्षक 45 वर्ष से अधिक है।
* अधिकतर शिक्षक इन्टर स्तर की योग्यता रखते है।
* अधिकतर शिक्षक 85.3 प्रतिशत प्रशिक्षित है।
* अधिकतर शिक्षक सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त है।
* अधिकांश प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र पर आयोजित किये गये हैं।
* सेवारत प्रशिक्षण का शिक्षक के शिक्षण एवं गतिविधियों पर प्रभाव का स्तर औसत है।
* 77.9 प्रतिशत शिक्षको द्वारा बहुकक्षा शिक्षण किया जाता है।
* 98.8 प्रतिशत शिक्षको द्वारा भाषा व गणित विषयों का शिक्षण किया जाता है।
* अधिकांश शिक्षकों के पास शिक्षण सामग्री की उपलब्धता है जिसका प्रयोग सदैव/कभी–कभी किया जाता है।
* अधिकतर शिक्षको द्वारा सदैव गृहकार्य दिया जाता है और जांच किया जाता है।

* अधिकांश शिक्षको को प्रधानाध्यापक/अन्य अध्यापक द्वारा नियमित सहयोग प्रदान किया जाता है तथा कभी–कभी डायट/स0बे0शि0अ0/ब्लाक समन्वयर/ संकुल प्रभारी द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

विद्यालय पार्श्व चित्र से निम्नलिखित निश्कर्श प्राप्त हुए

* सभी विद्यालय राज्य सरकार/बे0शि0परिषद द्वारा संचालित है।
* प्रति विद्यालय औसत शिक्षको की संख्या 2.2 है।
* अधिकतर विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात 1:100 से ऊपर है।
* वर्तमान कार्य दिवसों की संख्या 220 है
* सभी प्राथमिक विद्यालय आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (ओ0बी0एस0) से आच्छादित है।
* अधिकांश विद्यालयों में भौतिक सुविधा उपलब्ध है।
* सभी विद्यालयो में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता है।
* 92 प्रतिशत विद्यालयों में खेल परिसर है।
* 94 प्रतिशत विद्यालयों में खेलकूद की सामग्री उपलब्ध है।
* शत–प्रतिशत विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक एवं कार्य पुस्तिका उपलब्ध है।
* अधिकांश विद्यालय में शिक्षक संदर्शिका एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध है।
* सभी अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक एवं मध्याहन आहार दिया जाता है।
* सभी छात्रों का मध्याहन आहार प्रदान किया जाता है।

कार्यकारी बिन्दु

* अभिभावकों को जनपद में लागू सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान साक्षर किया जाना।
* नियमित उपस्थिति बनाये रखने हेतु मध्याहन आहार एवं पाठ्य पुस्तकों को सभी छात्रों को निःशुल्क वितरित किया जाना है।
* छात्रों को उपलब्धे परीक्षण के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन को प्रभावी बनाना।
* अप्रशिक्षित अध्यापको को सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
* छात्र अध्यापक अनुपात को कम करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था करना।
* सभी अध्यापको को शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करने हेतु रू0 500.00 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाना।
* समय–समय पर सेवारत शिक्षको को पाठ्यकम/नयी–नयी प्रतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
* समस्त शिक्षको को शिक्षक संदर्शिका एंव शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
* समस्त विद्यालयों को भौतिक/शैक्षिक सामग्रियो की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान प्रदान किया जाना।
* विद्यालयों में पाठ्यकम/पाठ्यपुस्तक/अनुपूरक साहित्य हेतु लघु पुस्तकालय की स्थापित करना।

* समस्त विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा नवाचार को लागू कराना।
* कक्षा 2 व 5 में भाषा और गणित के उपलब्धि को बनाये रखने हेतु पाठ्य पुस्तक के अन्त में दिये गये अभ्यास कार्यो को नियमित कराना एवं निरीक्षण कराना।
* संज्ञानात्मक एवं संज्ञान सहगामी कियाकलापों को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षको/बच्चों का प्रतियोगिता कराना।

सर्व शिक्षा अभियान एवं लक्ष्य :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यन्त महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद प्रतापगढ़ में 6 से 14 वर्ष के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक गुणवत्ता परक जीवनोपयोगी व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा शैक्षिक परिवेश में समुदाय की शत–प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करके प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्रदान किया जा सकेगा। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य निम्नवत है–

1– 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य एवं प्रासंगिक प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

2– वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय शिक्षा गारन्टी केन्द्र, बैंक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।

3– वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा–5 तक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।

4– वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा–8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना।

5– गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।

6– बालक बालिकाओं तथा समाज के विभिन्न वर्गो के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन ठहराव व सम्प्राप्ति के अन्तर को समाप्त करना।

7– सामाजिक क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

8– शिशु शिक्षा के महत्व को देखते हुए वय वर्ग का विस्तार 0 से 11 को बढ़ाकर 0 से 14 करना तथा बाल विकास परियोजना के प्रयास को समर्थन देना तथा जहां बाल विकास परियोजनाएं नहीं चल रही हैं वहां विशेष पूर्व विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत सर्व प्रथम प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन के लिए पूरे लखीमपुर जनपद का एक विजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद स्तरीय विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी शिक्षा विभाग अभिकर्मियों डायट संकाय के सदस्यों जिला परियोजना कार्यलय के अभिकर्मियों न्याय पंचायत/ विकास खण्ड स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। सिजमें मुख्य सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति एवं उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता निष्कर्ष एवं सहममियां तय की जायेगी। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों के लिए विजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के आयोजन न्याय संसाधन केन्द्रों पर किया जायेगा। कार्यरत शिक्षकों के शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि शिक्षकों की दक्षता तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षक प्रशिक्षण को इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि बी0आर0सी0 स्तर पर 6 से 8 दिवसों के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्य योजना शिक्षकों के लिए

नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी। डीपीईपी के अन्तर्गत आयोजित सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों से प्राप्त प्रशिक्षण अनुभवों तथा वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहु कक्षा बहु स्तरीय शिक्षण विधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के प्रभावी एवं बेहतर उपयोग आदि के आलोक में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में समस्त प्राथमिक शिक्षकों शिक्षा मित्रों सहित को बहु कक्षा शिक्षण/बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण का दस दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें से सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिवसों का प्रशिक्षण क्रमशः एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा जिसका विवरण निम्नवत है :–

1– विजिनिंग कार्यशाला का आयोजन तीन दिवसीय।

2– बहु कक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण।

3– मैटेरियल मेले का अयोजन।

4– विकास खण्ड स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण के फालोअप के लिए पाठ्य प्रस्तुतीकरण पर आधारित मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

5– अंग्रेजी संस्कृत विषय के गुणात्मक शिक्षण हेतु कार्यशाला दो दिवसीय

1– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों / शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षणः–

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर (लागत)	अनुमानित व्यय
2003-04	7304			
2004-05	9926			
2005-06	10127			
2006–07	10332			

2– प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों / शिक्षा मित्रों के टी0एल0एम0 का प्रशिक्षणः–

वर्ष	प्राइमरी	उच्च प्राथमिक	दर	अनुमानित व्यय
2002–03	—			
2003–04				
2004–05				
2005–06				
2006–2007				

उपरोक्त कार्यक्रम वर्ष के पांच महीनों में आयोजित होगा। जिसके लिये प्रशिक्षण का एजेन्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा । न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखीकरण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का अभिलेखीकरण ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयेाजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यशालाओं गोष्ठियों का अनुश्रवण समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा

डायट के ब्लाक मेन्टर द्वारा किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र के प्रथम वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिये रूपये 80 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से रूपया 4 लाख रूपया अनुमानित व्यय होगा।

द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षण में अध्यापकों की आवश्यकता पर आधारित मुख्यतः भाषा एवं गणित विषय की दक्षता को केन्द्रित कर दिया जायेगा। जिसमें सात दिनों का प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तर पर तथा शेष तीन दिनों का प्रशिक्षण एक एक माह के अन्तराल पर न्याय पंचायत केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा। जिसका विवरण इस प्रकार है –

(1) न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर वर्ष के सात दिनों में मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जिसमें ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

(2) वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए नयी रणनीतियों से सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण के लिए रूपये 60,00,000/– (साठ लाख रूपया) अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तृतीय वर्ष में विज्ञान सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी संस्कृत एवं उर्दू विषय के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण आठ दिवसीय होगा जिस पर रू0 80.00 प्रतिभागी प्रतिदिन की दर से रूपये .60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के चौथे वर्ष के शिक्षक प्रशिक्षण में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण सामग्री निर्माण हेतु आठ दिवसीय प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा जिसके तारतम्य में न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर लघु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी।

1– एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं जिसमें न्याय पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों को सम्मिलित करते हुए आयोजित की जायेगी।

2– डायट द्वारा तैयार किये गये एजेन्डे के अनुसार प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी0आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी। इन प्रशिक्षणों पर प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी रूपये 80.00 रूपये की दर से 60 लाख अनुमानित व्यय होगा।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के पांचवे वर्ष के प्रशिक्षण में उपरोक्त चार वर्षों के फालोअम से उभरने समस्याओं के निराकरण एवं शिक्षकों की आवश्यकताओं का आंकलन करके प्रशिक्षण दिया जायेगा। सह प्रशिक्षण दस दिवसीय होगा जिसमें पांच दिवसीय प्रशिक्षण कक्षा शिक्षण पर आधारित होगा तथा शेष प्रशिक्षण में पूर्व में दिये गये प्रशिक्षणों की पुनरावृत्ति पर ध्यान दिया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों का प्रशिक्षणः–

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन के लिए समस्त परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा इंटरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य करने वाले प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को शिक्षण प्रदान किया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत वर्ष 2002 से 2007 तक प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना–

	वर्ष 2002–03	वर्ष 2003–04	वर्ष 2004–05	वर्ष 2005–06	वर्ष 2006–07
कार्यशाला सेमीनार प्राइमरी	1– आवश्यकताओं का आकलन 2– गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3– टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
अपर प्राइमरी	1– आवश्यकताओं का आकलन 2– गणित के कठिन स्थलों का चयन एवं समाधान 3– टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला	आवश्यकताऐं का आंकलन टी0एल0एम0 कार्यशाला
प्रशिक्षण प्राइमरी	1– मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण 2– रोस्टर ट्रेनिंग 3– आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण माड्यूल	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मुख्य अध्यापक प्रशिक्षण गणित अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
अपर प्राइमरी	गणित अध्यापक प्रशिक्षण 2– विज्ञान अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	अंग्रेजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण मूल्यांकन	पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	हिन्दी एवं व्यायाम स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षण मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर्यवेक्षण, अनुश्रवण मूल्यांकन	पूर्व प्रशिक्षण का वृहद मूल्यांकन अनुश्रवण
क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन हेतु	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण क्षमता सम्बर्धन में अनुभूत समस्याओं पर	एस0डी0आई0 / ए0बी0एस0ए0 का प्रशिक्षण समस्याओं का निराकरण तथा अन्य सुझाव	एस0डी0आई0 ए0बी0एस0ए0 प्रशिक्षण मूल्य
	बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण श्रेणीकरण	के0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण (विद्यालयों में समस्याओं के आंकलन पर)	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण छात्रों और अध्यापकों की समस्याओं के हल करने हेतु	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का श्रेणीकरण का प्रभाव का आंकलन	बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 द्वारा मूल्यांकन
	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	अनुदेशक प्रशिक्षण पर्यवेक्षण अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण	डायट संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण
	श्रेणीकरण	श्रेणीकरण	**श्रेणीकरण**	**श्रेणीकरण**	**श्रेणीकरण**
	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 एम0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर	क्रियात्मक शोध प्रस्ताव 1– बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर 2– डायट स्तर पर
जनपद स्तरीय प्रतियोगिताए	जनपद स्तर पर 1– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता का आयोजन। 2– कक्षा शिक्षण प्रतियोगिता 3– सुलेख प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– कला प्रतियोगिता 2– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता 3– विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2– विज्ञान प्रतियोगिता	जनपद स्तर पर 1– टी0एल0एम0 प्रतियोगिता 2– सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता	1– विज्ञान प्रतियोगिता 2–टी0एल0एम0 प्रतियोगिता
S.T. बाहुल्य क्षेत्रीय अध्यापक प्रशिक्षण (प्रा0स्तर)	शिक्षक प्रशिक्षण (शिक्षको का विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र प्रशिक्षण (शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन	S.T. बाहुल्य क्षेत्र में कार्यानुभव प्रशिक्षण (एन0पी0आर0सी0 व शिक्षक	—	मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण
धीमी गति से सीखने वाले बच्चों हेतु प्रशिक्षण	एन0पी0आर0सी0सी0 और बी0आर0सी0सी0 हेतु	सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	सहायक अध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय	—	मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण

विशेष प्रशिक्षणः–

1– कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण।

2– लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षण।

3– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी।

4– स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

5– सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षण।

6– व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।

7– समुदाय छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षण।

8– शिक्षा/मित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण।

9– समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण।

कम्प्यूटर के उपयोग हेतु प्रशिक्षणः–

इस निमित्त दस उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चुने हुए शिक्षकों को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण डायट में प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु डायट के सदस्यों को एक माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के माड्यूल का विकास डायट तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से किया जायेगा।

इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करेंगे

लिंग संवेदनशीलता का प्रशिक्षणः–

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव दूर करने के लिए बी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणः—

सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को नेतृत्व क्षमता विकास समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

स्कूल प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणः—

स्कूल प्रबन्धन ही शैक्षिक गुणवत्ता की आधारशिला है एक सुप्रसिद्ध स्कूल में गुणवत्ता के तीनों पक्षों यथा स्कूल का भौतिक परिवेश, शिक्षक एवं शिक्षण अधिगम सम्बन्धी प्रक्रियायें तथा छात्रों के मूल्यांकन सम्बन्धी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित रूप से संचालित होते रहते हैं साथ ही उक्त प्रक्रियाओं के लिए समुदाय सहयोग आवश्यक है इन सभी वर्णित तथ्यों पर आधारित प्रशिक्षण जूनियर हाईस्कूल के समस्त अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा। इसकी अवधि चार दिवसीय होगी। इस प्रशिक्षण हेतु माड्यूल का विकास एवं मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट द्वारा किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं स्कूल मानचित्रण सम्बन्धी प्रशिक्षणः—

इस निमित्त तीन दिवसीय कार्यशाला बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण डायट पर किया जायेगा। माड्यूल का निर्माण भी सीमेट इलाहाबाद द्वारा किया जायेगा।

व्यक्तित्व विकास सम्बन्धी प्रशिक्षणः—

यह प्रशिक्षण समस्त जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों को प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपने छात्रों के भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके।

समुदाय, छात्र एवं शिक्षक के बीच सह सम्बन्ध स्थापित करने सम्बन्धी प्रशिक्षणः—

इस प्रशिक्षण हेतु तीन सदस्यीय कमेटी प्रत्येक विद्यालय से जिसमें एक ग्राम प्रधान (यथा संभव महिला) एवं अभिभावक परिषदीय जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का और सम्बन्धित स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्रदान किया जायेगा

प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कर्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा । शिक्षा मित्र/ आचार्य जी प्रशिक्षण जनपद में चयनित होने वाले शिक्षा मित्रों तथा विद्या केन्द्रों के आचार्य जी के तीन दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त होगा।

समय प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षणः–

इस निमित्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। तीन दिवसीय प्रशिक्षण का माड्यूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित किया जायेगा।

ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षणः–

पूर्व माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से स्थापित शिशु केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का निर्माण किया जायेगा।

बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षणः–

डीपीईपी के अन्तर्गत उक्त समन्वयकों द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज में 6–8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस निमित्त बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है इस दृष्टि से बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी अकादमिक पर्यवेक्षण के समबन्ध में सात दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया

जायेगा। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर पर किया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 के समन्वयकों की उक्त प्रशिक्षण के अतेरिक्त समय समय पर शिक्षा मित्र आचार्य जी0ई0सी0सी0ई0 के अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर विकसित किया जायेगा।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक का प्रशिक्षणः—

विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता कार्यक्रमों का नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 /एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भूमिका है इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरिएटेशन प्रशिक्षण डायट स्तर पर सीमेट इलाहाबाद द्वारा तैयार किया गया प्रशिक्षण माड्यूल के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर आधारित होगा। क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों मकतब मदरसों आदि के अकादमिक पर्यवेक्षण तथा समुदाय की सहभागिता हेतु कार्यक्रम का अनुश्रवण ।

ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षणः—

विद्यालयों की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ युवक मंगल दल के सदस्य माडल क्लस्टर डवलपमेन्ट एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाने की दृष्टि से वूमेन्स मेन्स ग्रुप, मदर टीचर्स एसोसिएशन पैरेन्ट टीचर्स एसोसिएशन को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहयोग–

भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसका तात्पर्य स्वतंत्र भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो जाये या कम से कम साक्षर तो हो ही जाये शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को दृष्टिगत रखकर संशोधित पंचायती राज्य अधिनियम लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गयी। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की प्रतिपूर्ति की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के प्रबन्धन तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायती राज्य व्यवस्था के अनुसार स्थापित ग्राम शिक्षा समिति का विधिवत गठन किया गया जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। ग्राम शिक्षा समिति में उक्त के अतिरिक्त महिलाओं, अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभिभावकों , विकलांगों बच्चों के अभिभावकों , स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत निर्माण एवं अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं के साथ–साथ विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के कार्यों के लिये प्रत्येक विकास खण्ड में नेहरू युवा केन्द्र के स्वयं सेवकों स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों, शिक्षकों, ग्राम सभा स्तर पर उत्साही युवकों जिनका संख्या प्रति विकास खण्ड 25 से 30 होगी का चयन कर ब्लाक संसाधन समूह बी0आर0सी0) तथा जिला संसाधन समूह (डी0आर0जी0) का गठन किया गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के तीन दिवसीय अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर का प्रावधान है। ग्राम

शिक्षा समितियों के सदस्यों का अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिये जिला साक्षरता एवं प्रशिक्षण संस्था डायट लखीमपुर के नेतृत्व में ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0सी0) के सदस्यों का चार दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षित ब्लाक संसाधन समूह (बी0आर0सी0) के सदस्यों ने राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर जनपद की कुल 1595 ग्राम शिक्षा समितियों में से प्रथम एवं द्वितीय चक्र में 70 ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2000–2001 तथा शेष ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण वर्ष 2001–2002 में आयोजित किया गया।

वर्तमान में सभी ग्राम शिक्षा समितियों प्रशिक्षित हो चुकी है अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर निम्न बिन्दुओं पर आधारित थे।

1– समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलता पूर्वक प्रस्तुतीकरण

2– ग्राम शिक्षा समिति सदस्यों का कौशल निर्माण।

3– प्रतिभागिता उपागम रोल प्ले कैस स्टडी क्षेत्र भ्रमण एवं सम्प्रेषण अभ्यास।

4– समस्या समाधान एवं प्रतिभागिता परक विश्लेषण अभ्यास कार्य।

5– गांव के सर्वांगीण शैक्षिक विकास हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक मानचित्रण ग्राम शिक्षा योजना निर्माण।

6– लिंग भेद एवं बालिकाओं के शिक्षा के प्रति जागरूकता तथा विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा अभ्यास कार्य।

ग्राम शिक्षा समिति के अभिप्रेरण प्रशिक्षण शिविर में प्रयुक्त माड्यूल (ग्राम शिक्षा समिति संकाय एवं प्रयास) के अनुसार विद्यालय स्तर पर नियोजन स्कूल न आने वाले बच्चों एवं उनके स्कूल न आने वाले कारणों की पहचान के लिये सूक्ष्म नियोजन (माइक्रो प्लानिंग) तथा स्कूल मानचित्रण (स्कूल मैपिंग) का

कार्य किया गया । ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, विद्यालय विकास योजना तथा ग्राम शिक्षा योजना निर्माण से विद्यालयी क्रियाकलाप में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। जिससे स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा तथा स्कूल न आने वाले बच्चे विशेष कर बालिकाओं के नामांकन एवं ठहराव से आशातीत वृद्धि हुई है प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिये समुदाय की सहभागिता में और अधिक वृद्धि करने के लिये विद्यालय के शिक्षण कार्य को देखने के लिये विद्यालय में आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय पर्वों एवं वार्षिक कार्यक्रमों के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय से सेवित समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में परियार एवं समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों के विद्यालय में नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने में सहयोग मिलता है साथ ही परेवार के सदस्यों भाई–बहन एवं माता पिता के शिक्षित होने पर बच्चों की गृह कार्य करने में मदद मिली है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों के कम पढ़े लिखे या निरक्षर होने तथा शहरी क्षेत्रों के परिषदीय विद्यालयों में आने वाले अधिकांश बच्चे गरीब परिवार के होने के कारण बच्चे की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में शिक्षा के लिये बच्चों को मात्र शिक्षकों का ही सहयोग मिल पाता है।

ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षणोपरान्त कराये गये सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में समुदाय का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण:–

जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों एवं डायट के संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण सीमेट इलाहाबाद में परियोजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण की विषयवस्तु सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों एवं कार्य योजना की रणनीतियों पर आधारित होगी। आगामी वर्षों में आवश्यकतानुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

अन्य हस्तक्षेपीय उपायः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अन्य हस्तक्षेपीय उपायों में से एक विद्यालय में वास्तविक शिक्षण के समय में वृद्धि करना है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समय सारणी का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रवक्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों द्वारा विद्यालयों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान किया गया । जिसका विवरण निम्नवत है—

कुल कार्य दिवस जिनमें विद्यालय खुला — 220

शिक्षण कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या — 160

विवरण	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
शिक्षण दिवस	220	220
परीक्षा	160	200
पल्प पोलियो चुनाव	10 दिन	14 दिन
ड्यूटी आर्थिक गणन	30 दिन	30 दिन
खेलकूद एस0ए0की बैठक		
खेलकूद की रैली		
बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी		
समुदाय से सम्पर्क	7 दिन	7 दिन

स्कूल समय सारिणी के अनुसार जनपद लखीमपुर से उपलब्ध शिक्षण समय

विषय	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
	वाहन X समय	वाहन X समय
भाषा 1 हिन्दी	10 X 40	3 X 40
भाषा 2 अंग्रेजी	3 X 40	3 X 40
भाषा 3 संस्कृत	3 X 40	3 X 40
विज्ञान	6 X 40	3 X 40
गणित	10 X 40	3 X 40
सामाजिक विषय	5 X 40	3 X 40
बेसिक क्राफ्ट /कला	5 X 40	3 X 40
शारीरिक शिक्षा	3 X 40	3 X 40
कृषि		2 X 40

कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्याय संसाधन केन्द्रों पर न्याय पंचायत समन्वयक के नेतृत्व में होने वाली बैठकों को और अधिक उपादेय बनाने की दृष्टि से डायट स्तर पर एक वार्षिक कार्ययोजना भी बनायी जायेगी। इस वार्षिक कार्य योजना को बनाने में बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों की सहायता भी ली जायेगी तथा तैयार की गयी वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर निम्नवत कार्यशालाओं / गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

1– बच्चों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति।

2– अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।

3– विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास

4– छात्र / छात्राओं की सम्प्राप्ति के मूल्यांकन टेस्ट आईटम का निर्माण।

5– समुदाय की सहभागिता विद्यालय प्रबन्धन में कैसे बढ़ायी जाये।

6– छात्र / छात्राओं के गणवेश में आने हेतु प्रेरित करने के लिए संगोष्ठी।

7– छात्र / छात्राओं के बुद्धि लब्धि के परीक्षण के लिए टैस्ट आईटम का निर्माण।

8– कक्षा कक्षों में प्रशिक्षण का प्रभाव सुनिश्चित करने के लिये गोष्ठी विचार।

क्रियात्मक अनुसंधानः–

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा ऐक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। इन कार्यशालाओं के आयोजन के सीमेट इलाहाबाद तथा निदेशक शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का सहयोग लिया जायेगा। बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदानों के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनाये और समाधान ढूढ़ने में सफल हो सके। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है :–

1– शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?

2– बहु कक्षा शिक्षण की स्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार किया जाये ?

3– बच्चों के सतत व्यापक मूल्यांकन में मानीटर का सहयोग कैसे ?

4– कक्षा कक्ष की प्रक्रेया (क्लास रूम प्रोसेस) में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास ?

5– शिक्षण प्रशिक्षण की कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतकों (इन्डीकेटरों का विकास) ?

6– बच्चों की न्यून सम्प्राप्ति स्तर होने के कारणों की पहचान ?

7– बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरूचि बढ़ाने के प्रयास ?

8– समुदाय को विद्यालय के करीब लाने हेतु प्रयास ?

9– शिक्षकों एवं छात्रों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने के लिए प्रयास ?

10– अध्यापकों द्वारा सक्रिय अधिगम पद्धति को प्रयोग में न लाना ?

11– धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सहायता देने की विधियॉ खोजना ?

12– उद्देश्य पूर्ण शिक्षण करना।

13– बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण।

14– प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं का कम नामांकन होने की समस्या।

15– विद्यालय परिसर के दुरूपयोग की समस्या।

16– अल्पसंख्यक बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या।

17– छात्रों का लेखन अच्छा न होने की समस्या।

18– मध्यावकाश के पश्चात कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति कम होने सम्बन्ध समस्या।

19– अधिकांश छात्रों का विद्यालय गणवेश में न आने का अध्ययन व समाधान।

20– छात्रों की अनियमित उपस्थिति।

21– छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान न होने के कारण उसका समाधान।

22– गणित विषय की पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों का समावेश होने से छात्रों का समझने में होने वाली कठिनाई का निवारण।

23– दण्डात्मक शिक्षण प्रणाली के कारण विद्यालय में अधिकतर छात्रों की अनुपस्थिति रहने की समस्या एवं समाधान।

शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणालीः–

शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन को अधिकाधिक यथार्थ प्रासांगिक आवश्यकतापरक तथा प्रभावपूर्ण बनाने हेतु शैक्षिक आंकड़ों तथा सूचनाओं की सुलभता आवश्यक है इसके लिए आधार भूत आंकड़ों तथा सूचनाओं के संकलन विश्लेषण तथा निष्कर्ष के सोपनों के माध्यम से शैक्षिक सूचना प्रबन्धन प्रणाली R.M.I.D. का विकास अपेक्षित होता है। विद्यालय न्याय पंचायत ब्लाक संसाधन केन्द्र जनपद राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं तथा आंकड़ों को तैयार करने और उनके उपभोग के अनेक अवसर आते हैं। इस प्रसंग में यह विशेष उल्लेखनीय है कि सूचना संकलन तथा विश्लेषण के क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली एक नवोद्घाटित आयाम है।

ई0एम0आई0एस0 द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव/विद्यालय की मूलभूत समस्या एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है। ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से गुणवत्ता सूचनांक के द्वारा बच्चों की सम्प्राप्ति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा।

ब्लाक ससांधन केन्द्र द्वारा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उसका उपयोग शैक्षिक योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

प्रत्येक न्याय पंचायत प्रभारी एवं ब्लाक समन्वयक के आंकड़ों के विश्लेषण एवं उससे निष्कर्षों को निकालने सम्बन्धी पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण को लेने के उपरान्त उपरोक्त समन्वयक अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के प्रयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

मूल्यांकन प्रणालीः–

छात्रों के मासिक वार्षिक मूल्यांकन की जो प्रणाली वर्तमान में प्रचलित है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा–5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एवं कक्षा–8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी। मूल्यांकन की व्यवस्था डायट में होगी। तथा प्रश्नपत्र निर्माण डायट में ही होगा। साथ ही छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करने के लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षा माड्यूल निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही अध्यापक का प्रशिक्षण (प्राथमिक स्तरीय) भी कराया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को भी सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी अभिमुखीकरण भी कराया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान में एतद् विषयक प्रशिक्षण डायट/बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों को भी प्रदान किया जायेगा ताकि वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कर सके।

गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका अकादमिक नेतृत्व प्रदान करनाः–

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा जनपद विकास खण्ड न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन

तथा क्रियान्वयन अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास का शोध, एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 आकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूहों का सुदृढ़ीकरणः–

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया जायेगा। जिससे डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद, कालेजों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल स्तर के शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इनकी क्षमता सम्वर्धन हेतु निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी । यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण, स्कूल प्रबन्धन शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी तथा प्रति वर्ष पांच दिवसीय आयोजित की जायेगी।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सामग्री का विकास (उच्च प्राथमिक स्तर के लिए):–

प्राथमिक कक्षाओं (1 से 8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6–8 तक) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित कराये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि का इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तक का विकास निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के तत्वाधान में किया जा रहा है। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं का विकास भी किया जायेगा।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रयोग सम्बन्धी बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्रीः-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा उन्हें भावी जीवन के लिए तैयार कर सके।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/प्रोत्साहन की व्यवस्थाः-

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन शिक्षकों ग्राम स्तरीय अधिकर्मियों, न्याय पंचायत/ ब्लाक संसाधन केन्द्र स्तरीय अभिकर्मियों डायट संकाय सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन विशेष कर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रम को सुचारू संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति का स्थापित करने की दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्ष के गुणवत्ता में विकास में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर दो ग्राम शिक्षा समितियों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए क्रमशः 15,000 एवं 10,000.00 रूपये दिया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियां इस धन का उपयोग विद्यालयों को समृद्ध करने में अपने निर्णयानुसार करेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिए प्रेरित करना पठन–पाठन के उत्कृष्ट मानदंड स्थापेत करने के लिए प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चिन्हित कर प्रत्येक विकास खण्ड में एक एक अध्यापक को 5000.00 रूपये पुरस्कार दिया जायेगा जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दो बी0आर0सी0 को एवं प्रत्येक विकास खण्ड के एक एन0पी0आर0सी0 को 10,000.00 एवं 7,000.00 की दर से पुरस्कार दिया जायेगा। सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डायट अभिकर्मियों को मानदेय दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा।

डायट/ बी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कैलेण्डरः–

वर्ष 2003–04

क्रमांक	कार्यक्रम	अवधि
1–	विजनिंग कार्यशाला	4 दिन
2–	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
3–	शिक्षा मित्र आचार्य जी प्रशिक्षण	30 दिन
4–	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	3 दिन
5–	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	7 दिन
6–	वी0आर0सी0/ एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण	5 दिन
7–	ब्लाक संसाधन ग्रुप का प्रशिक्षण	3 दिन
8–	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	15 दिन

9– अंग्रेजी तथा संस्कृत के विषयों हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
10– नेतृत्व क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण	4 दिन
11– ऐक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	5 दिन
12– विज्ञान शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
13– गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	8 दिन
14– वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु कार्यशाला	2 दिन
15– व्यक्तित्व क्षमता विकास कार्यशाला	3 दिन
16– समुदाय शिक्षक एवं अभिभावकों के बीच अतः सम्बन्ध विकसित करने हेतु कार्यशाला	5 दिन
17– टी0एल0एम0 कार्यशाला (प्राइमरी एवं उच्च प्राइमरी)	3 दिन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों का कौशल विकासः--

डायट संकाय के सदस्यों को भी कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है जिसमे प्रशिक्षणों आदि के आयोजन तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन में सुविधा हो सके। डायट संकाय सदस्यों को निम्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है :–

1– समेकित शिक्षा कार्यशाला हेतु संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण।

2– कम्प्यूटर प्रशिक्षण।

3– लाइब्रेरी संचालन व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण।

4– शैक्षिक, तकनीकी उपकरणों को संचालित किये जाने विषयक प्रशिक्षण।

5– मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के उपकरणों/ टेस्ट प्रयोगों का प्रशिक्षण।

6– क्रियात्मक शोध प्रशिक्षण।

सर्व शिक्षा अभियान का अकादमिक सुपर विजन :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षिक अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों ब्लाक स्तर पर राह समन्वयक एवं समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा डायट स्तर पर ब्लाक मेन्टर की भूमिका रही है। किन्तु कार्यक्रम के प्रभावी अनुश्रवण के लिये कुछ और अधिक परस्पर लिकेजेज की आवश्यकता अनुभव की जा रही है इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों/ ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा डायट के ब्लाक मेन्टर में परस्पर लिंकजेज बनाया जायेगा। समन्वयक न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपने अकादमिक अनुश्रवण का प्रतिवेदन अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र समन्वयक को देगा तथा प्रतिवेदन का समाधान हर संभव ब्लाक संसाधन केन्द्र पर किया जायेगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र से प्राप्त होने वाले जिन प्रतिवेदनों का समाधान नहीं हो पायेगा उन्हें समन्वयक ब्लाक संसाधन केन्द्र द्वारा डायट स्तर पर आयोजित मासिक बैठक कार्यशाला में प्रस्तुत किया जायेगा। शिक्षा के गुणवत्ता सम्वर्धन तथा शिक्षकों की शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि के लिए डायट स्तर पर गणित अकादमिक संसाधन समूह के सदस्यों की मासिक बैठक में बी0आर0सी0 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर चर्चा करके भविष्य का एजेंडा तैयार किया जायेगा। डायट द्वारा जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। जिसके दिशा निर्देशन में बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 समन्वयक कार्य करेंगें प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण कार्यों का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में

अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इंटर कालेज में कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों को परिधि में लिये जाने का प्रस्ताव है। अतएव इन विद्यालयों के शिक्षकों का भी अकादमिक पर्यवेक्षण किया जायेगा।

बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास तथा संस्थागत क्षमता सम्वर्धन की भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। जिसमें इस बात पर विशेष बल होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गयी अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली की ओर अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों ब्लाक संसाधन केन्द्रों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्यक परक मानक) के आधार पर राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरा मीटर (उद्देश्य परक मानक) के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों उच्च प्राथमिक विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता आधारित क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा की एक महत्वाकांक्षी योजना है तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं प्रत्येक स्तर पर परस्पर लिंकजेज बनाये रखने के लिए वर्तमान में कार्यरत अभिकर्मी पर्याप्त नहीं है। अस्तु सृजित पदों के विपरीत अभिकर्मियों पदस्थापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदानः—

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों (शिक्षामित्रों सहित) के प्रशिक्षण का प्राविधान है। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम सामग्री (टी0एल0एम0) निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।
शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास के लिये प्रत्येक अध्यापक एवं शिक्षामित्र को रूपये 500 की दर से प्रतिवर्ष टी0एल0एम0 अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक

विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षकों एवं अतिरिक्त शिक्षकों को वर्ष 2002–03 से यह अनुदान दिया जायेगा। किन्तु प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों/ शिक्षामित्रों नवीन विद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षामित्रों को वर्ष 2002–03 से टी0एल0एम0 अनुदान किया जायेगा।

टी0एम0एम0 अनुदान का वर्षवार प्रावधान बजट में निम्नवत् कर लिया जायेगा।

सारिणी संख्या–

वर्ष	टी0एल0एम0 अनुदान हेतु शिक्षकों/ शिक्षामित्रों की संख्या	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
2002–03		
2003–04		
2004–05		
2005–06		
2006–07		
2007–08		
2008–09		
2009–2010		

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राजापुर लखीमपुर–खीरी का सुदृढ़ीकरणः–

डायट लखीमपुर में डायट का प्रशासनिक भवन तथा पुरूष/ महिला छात्रावास डायट की स्थापना के समय निर्मित किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के एकेडमिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता रहेगा इसलिए प्रतिभागियों के आवास के लए 150 शैय्या का छात्रावास तथा अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष डारमेटरी की आवश्यकता है।

डायट के कक्षा कक्ष के लिए 200 मेज, 200 कुर्सी छात्रावास के लिए 150 बेड 150 गद्दा, 150 बेडशीट तथा तकिया तथा 150 कम्बलों की आवश्यकता है। कार्यक्रमों की टेली कान्फ्रेसिंग के लिए बड़े रंगीन टी0वी0 वी0सी0आर0 के साथ उपलब्ध है। संस्थान में कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर रूम नहीं है। संस्थान में कम्प्यूटर

कक्षा के लिए एक डाट मेटिक्स प्रिन्टर एवं एयर कन्डीशनर की आवश्यकता है। पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण हेतु अलमारी और फर्जीचर की आवश्यकता है। विभागाध्यक्ष के लिये फर्नीचर की आवश्यकता है। छात्रावास की बिजली फिटिंग पुरानी है तथा उखड़ चुकी है पुनः बिजली फिटिंग की आवश्यकता है संस्थान में दो कक्षा कक्ष और एक प्रशिक्षण कक्ष अति आवश्यक है।

ाायट सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावित बजट

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	अतिरिक्त वक्ष का निर्माण	2.00
2	सभाकक्ष क निर्माण	8.00
3	पुताई, रंग ई, सुधार मरम्मत आदि योग	2.00 12.00

उपकरण साज–सज्जा

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	कम्प्यूटर्स वर्क्स स्टेशन	6.00
2	पुस्तकालय हेतु फर्नीचर	0.50
3	वाटर, कूलर डुप्लीकेटग मशीन ए0सी0 योग	2.00 8.50

अन्य मद

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	जलापूर्ति हेतु पाइप की मरम्मत	1.00
2	ड्राइवर हेतु वेतन	1.00
3	योग	2.00

आवर्तक प्रतिवर्ष

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	क्रियात्मक शोध अध्ययन	2.00
2	कार्यशाला /सेमिनार	2.00
3	प्रकाशन एवं मुद्रण	4.00
4	कन्टेन्जसी	1.00
5	वाहन रखरखाव एवं पी0ओ0एल0	0.50
6	योग	9.50

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत डायट की क्षमता/दक्षता संवर्धन हेतु डायट से प्राप्त उपर्युक्त प्रस्ताव एवं अभियान के अन्तर्गत अनुमानित आवश्यकता का आंकलन करते हुए निम्नलिखित प्राविधान किये जायेंगे–

सारणी संख्या–93

क्रमांक	मद का नाम	अनुमानित लागत (हजार में)	अन्य विवरण
1	फर्नीचर	50	
2	उपकरण (दृश्यश्रव्य सामग्री सहित)	200	
3	कम्प्यूटर वर्क स्टेशन	600	
4	वाहन	500	
5	किराये का वाहन	80	
6	पी0ओ0एल0 एवं वाहन का रखरखाव	400	
7	सेमिनार	1600	
8	शोध/क्रियात्मक शोध	1600	
9	संकाय विकास	400	
10	एक्सपोजर विजिट	400	
11	पुस्तकालय	25	
12	कम्प्यूटर आपरेटर का वेतन	56	
13	ड्राइवर का वेतन	60	
14	कन्ज्यूमेबिल/कम्प्यूटर स्टेशनरी	16	
15	आनुपयोगिक व्यय	800	
		6787000	

बेस लाइन सर्वे वर्ष 2000 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति
सारिणी संख्या – 9.01

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2							
2	2							
3	5							
4	5							

सोत – बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट।

अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण वर्ष 2002 के आधार पर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति की स्थिति
सारिणी संख्या – 9.02

क्रमांक	कक्षा	विषय	बालकों की संख्या			बालिकाओं की संख्या		
			एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %	एम0एल0एल0 %	दक्षता %	एम0एल0एल0 प्राप्त नहीं कर सके %
1	2							
2	2							
3	5							
4	5							

सोत – मध्यावधि मूल्यांकन सर्वे रिपोर्ट

प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम
1	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	कला
2	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी	गणित	बुक क्राफ्ट शा0शि0	कला
3	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	नैतिक शिक्षा
4	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	कार्यानुभव
5	हिन्दी	गणित	विज्ञान	पर्यवर्णीय अध्ययन		हिन्दी / गणित	अंग्रेजी / संस्कृत	बुक क्राफ्ट शा0शि0	कार्यनुभव

उच्च प्राथमिक स्तरीय समय सारिणी

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	मध्य अवकाश	पंचम	षष्ठ	सप्तम	अष्टम
6	हिन्दी	विज्ञान	सा0विज्ञान	गणित		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
7	हिन्दी	गणित	सा0विज्ञान	विज्ञान		संस्कृत	अंग्रेजी	कृषि	कला / व्यायाम
8	विज्ञान	विज्ञान	गणित	सा0विज्ञान		अंग्रेजी	कृषि	संस्कृत	कला / व्यायाम

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डो में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग / ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में .....05..... प्राथमिक एवं .....05..... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2003-04 में 100 की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 450 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	200	
2005-06	150	
2006-07	—	
योग	350	

Lakhimpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	118	30562	0	0	5	1280	0	0	123	31842
A2	New Upper Primary Schools	451	21	9471	71	19880	0	0	5	1400	0	0	97	30751
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	63	5940	63	7560	63	7560	63	7560	63	7560	315	36180
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	118	1593	118	2920.5	123	3044.25	123	3044.25	482	10602
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	118	6372	118	12744	123	13284	123	13284	482	45684
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	213	12780	213	25560	228	27360	228	27360	882	93060
A8	Teaching Learning Equipment		0	C	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	118	1180	0	0	5	50	0	0	123	1230
A8.2	UPS	50	33	1650	71	3550	0	0	5	250	0	0	109	5450
A9	TLE UPS not covered OBB	50	30	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**18561**	0	**83477**	0	**48984.5**	0	**54428.25**	0	**51448.25**		**256899**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	200	4225	220	4647.5	240	5070	240	5070	900	19012.5
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost [illegible] models of DPEP(per child)- Shiksha	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	Ghar	0.85	0	0	150	3168.75	250	5281.25	350	7393.75	350	7393.75	1100	23237.5
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	40	1440	60	2160	80	2880	80	2880	260	9360
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	15	900	15	900	15	900	45	2700
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	3	540	6	1080	6	1080	0	0	15	2700
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	156	5272.8	156	5272.8	156	5272.8	0	0	468	15818.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	1	250	1	250	3	750
	ACCESS Subtotal		0	**18561.00**	0	**98123.55**	0	**68576.05**	0	**77274.80**	0	**67942.00**	**0**	**330477.40**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	125	23875	0	0	0	0	125	23875
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	3	1149	0	0	0	0	3	1149
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	C	70	4900	500	35000	500	35000	388	27160	1458	102060
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	12	840	60	4200	50	3500	42	2940	0	0	164	11480
R4.1	Toilets Upper Primary	10	20	200	95	950	50	500	0	0	0	0	165	1650
R4.2	Toilets Primary	10	0	0	100	1000	200	2000	150	1500	0	0	450	4500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	61	1098	0	0	0	0	61	1098
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	1853	9265	1884	9420	2002	10010	2007	10035	7746	38730
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	321	1605	339	1695	384	1920	455	2275	460	2300	1959	9795
[illegible]	[illegible]	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R7.2	Salary of Additional teacher as Old Shiksha Mitra PS@2.25 pm	2.25	0	0	0	0	2135	52841.25	3446	85288.5	3546	87763.5	9127	225893.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	1311	125856	1412	135552	1515	145440	4238	406848
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	2135	28823	1311	32447.25	100	2475	102	2524.5	3648	66269.25
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	2026	4052	2152	4304	2272	4544	2272	4544	8722	17444
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	321	642	489	978	567	1134	643	1286	643	1286	2663	5326
R12	**Promoting Girls Education**		0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	25	112.5	35	157.5	35	157.5	95	427.5
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	9	675	9	675	9	675	27	2025
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	15	60	15	60	15	60	45	180
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	9	225	9	225	9	225	27	675
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	202	282.8	202	282.8	202	282.8	606	848.4
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	600	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		200		200		200		600	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	200	1000	200	1000	200	1000	600	3000
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	200	750	200	750	200	750	600	2250
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	200	300	200	300	200	300	600	900
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	200	14	200	14	200	14	600	42
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	1154	553.92	1156	554.88	1156	554.88	1156	554.88	4622	2218.56
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2212	0	0	15	1000.5	15	1000.5	15	1000.5	45	5213.5
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	12	720	12	720	12	720	36	7160
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	156	390	156	390	156	390	468	1170
	RETENTION Sub Total		0	**6436**	0	**61416.42**	0	**301254.2**	0	**287126.18**	0	**287307.68**	**0**	**943539.46**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		0		0			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	118	247.8	3663	7692.3	105	220.5	102	214.2	3988	8374.8
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	99	207.9	0	0	1311	2753.1	121	254.1	103	216.3	1634	3431.4
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	1477	2067.8	5144	7201.6	5051	7071.4	6268	8775.2	6367	8913.8	24307	34029.8
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	1483	1557.15	1546	1623.3	1768	1856.4	1768	1856.4	6565	6893.25
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	0	0	1733	2426.2	3668	5135.2	3768	5275.2	9169	12836.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	120	252	120	252	120	252	360	756
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	45	31.5	45	31.5	45	31.5	135	94.5
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	156	109.2	156	109.2	156	109.2	468	327.6
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	16	22.4	16	22.4	16	22.4	48	67.2
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	25	35	25	35	25	35	75	105
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	984	1180.8	1602	1922.4	1602	1922.4	1602	1922.4	5790	6948
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	5156	2578	7324	3662	9956	4978	1057	528.5	23493	11746.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	1576	788	2383	1191.5	1798	899	2026	1013	2026	1013	9809	4904.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	281651	14082.55	271532	13576.6	277044	13852.2	282667	14133.35	1112894	55644.7
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	24817	3722.55	45382	6807.3	48512	7276.8	60214	9032.1	66241	9936.15	245166	36774.9
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	455	68.25	455	68.25	455	68.25	1365	204.75
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	410	20.5	430	21.5	450	22.5	1290	64.5
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	15	225	15	225	15	225	45	675
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	15	112.5	15	112.5	15	112.5	45	337.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	30	750	30	750	30	750	90	2250
	QUALITY Sub Total		0	**6786.25**	0	**34846.7**	0	**50533.95**	0	**48670.95**	0	**45642.15**		**186480**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	1	60	1	60	1	60	3	180
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	1	26	1	26	1	26	3	78
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	1	80	1	80	1	80	3	240
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	1	84	1	84	1	84	3	252
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	1	48	1	48	1	48	3	144
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	3	150
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	15	2160	15	2160	15	2160	45	6480
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	15	990	15	990	15	990	45	2970
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	15	540	15	540	15	540	45	1620
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	15	90	15	90	15	90	15	90	60	360
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	15	30	15	30	15	30	45	90
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	15	150	15	150	15	150	45	450
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	15	75	15	75	15	75	15	75	60	300
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C2.11	Contigency	12.5	0	0	15	187.5	15	187.5	15	187.5	15	187.5	60	750
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	15	54	15	54	15	54	45	162
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	15	75	15	75	15	75	45	225
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	156	10920	156	10920	156	10920	468	32760

C3.2	Salary Co-ordinator @12 for 12 mths	12	0	0	0	0	156	22464	156	22464	156	22464	468	67392
C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	156	780	156	780	156	780	468	2340
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	156	156	156	156	156	156	156	156	624	624
C3.4	Contingency	2.5	0	0	156	390	156	390	156	390	156	390	624	1560
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	156	374.4	156	374.4	156	374.4	156	374.4	624	1497.6
C4	District Project Office/Management		0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	8	1440	7	1260	7	1260	7	1260	29	5220
C4.3	Salary of AE	15	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	1	30	4	120	4	120	4	120	13	390
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	1	30	2	60	2	60	2	60	7	210
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	25	450	25	450	25	450	75	1350
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	25	250	12	120	12	120	12	120	61	610
C4.9	Consumaables	40	0	0	1	40	12	480	12	480	12	480	37	1480
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	1	30	1	30	1	30	1	30	4	120
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	4	400
C4.12	Pay to JE	10	0	0	15	1800	15	1800	15	1800	15	1800	60	7200
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	1	10	5	50	5	50	5	50	16	160
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	2001	2801.4	2002	2802.8	2002	2802.8	2002	2802.8	8007	11209.8
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	354	495.6	389	544.6	455	637	455	637	455	637	2108	2951.2
C4.16	Contingency	100	0	0	1	100	5	500	5	500	5	500	16	1600
C4.17	AWP & B	10	0	0	1	10	1	10	1	10	1	10	4	40
	Total		0	**765.6**	0	**8648.9**	0	**49103.7**	0	**49103.7**	0	**49103.7**		**156725.6**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	1	554	0	0	0	0	0	0	1	554
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	1	144	1	144	1	144	3	432
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	1	90	1	90	1	90	3	270
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	1	30	1	30	1	30	3	90
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	1	40	1	40	1	40	3	120
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	1	20	1	20	1	20	3	60
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	1	10	1	10	1	10	3	30
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	1	25	1	25	1	25	3	75
	CAPACITY Sub Total		0	**765.6**	0	**9202.9**	0	**49627.7**	0	**49627.7**	0	**49627.7**	0	**158851.6**
	GRAND TOTAL		0	**32548.9**	0	**203589.57**	0	**469991.88**	0	**462698.63**	0	**450519.53**	0	**1619343.46**
	Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention													**Lakhimpur**
				2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
	Civil			10511.0		61492.0		67122.0		42120.0		27160.0		208405.0
	Management			495.6		7376.0		9133.8		9133.8		9133.8		35827.0
	Programme			21542.3		134721.6		393736.1		411444.8		414225.7		1375116.5
	Total			**32548.9**		**203589.6**		**469991.9**		**462698.6**		**450519.5**		**1619348.5**
	Percentage - Civil			**32.3**		**30.2**		**14.3**		**9.1**		**6.0**		**12.9**
	Percentage - Management			**1.5**		**3.6**		**1.9**		**2.0**		**2.0**		**2.2**
	Percentage - Programme			**66.2**		**66.2**		**83.8**		**88.9**		**91.9**		**84.9**
	Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**